पुलिस विज्ञान

संयुक्त अंक - 2016

सलाहकार समिति

डा. मीरां चड्ढा बोरवणकर
महानिदेशक

परवेज हयात
अपर महानिदेशक

डा. निर्मल कुमार आजाद
महानिरीक्षक (एन.पी.एम.)

संपादक :

बी.एस. जायसवाल
उप महानिरीक्षक (एस. एंड पी.)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
एन एच-8, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नही।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती है। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रु. प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में 40,000/- रु. के दो पुरस्कार हैं। जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रुपरेखाएं आमंत्रित की जाती है। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 5-6 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएं/रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि सामान्यत: 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), एन एच 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क करें।

(दूरभाष : 011-26781310 तथा फेक्स : 011-26781315)

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डाक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृतियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत विज्ञापन प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष 25,000/- रु. तथा तीसरे वर्ष 28,000/- प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान एकक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एन एच 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेब साइट www.bprd.nic.in में भी देखी जा सकती है। (संपर्क के लिए फोन नं. 011-26781326 व 011-26781314

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोध कर्ताओं को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु) एवं सहायक निदेशक (अनु.) एन एच 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 (फोन नं. 011-26781326 एवं 011-26781314) पर संपर्क कर सकते हैं। तथा ब्यूरो की www.bprd.nic.in वेब साइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अप्रैल-दिसंबर, 2016 का संयुक्त अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अत: अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए अपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **पुलिस सुधार : चुनौतियां और समाज एवं मीडिया की भूमिका, मानव तस्करी : कारण और निवारण, 21वीं शताब्दी में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में पुलिस की भूमिका का न्यायिक मूल्यांकन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों है एक अकाट्य साक्ष्य, रिजर्व पुलिस लाईन्स : इंतजार नए सवेरे का, महिलाओं के विरूद्ध अपराध - एक सामाजिक अभिशाप, नक्सलवादी समस्या के प्रस्तावित समाधान तकनीकी व गैर तकनीकी और पुलिस की भूमिका, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस की कार्यक्षमता एवं अपेक्षित सुधार : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारत में नक्सलवादी समस्या, उनकी रणनीति और योजना तथा निरोधी उपाय** से संबंधित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

संपादक

लेखकों से निवेदन

यदि पुलिस विज्ञान में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथा शीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है।

यदि आपने पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडूलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों ता हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि पुलिस विज्ञान से संबंधित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कापीराइट हो अथवा उनके कापीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों पर समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कापीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस विज्ञान की नमूने की प्रति मंगाने के लिए संपर्क करें:-

संपादक
पुलिस विज्ञान
एन एच-8,
महिपालपुर
नई दिल्ली-110037
वैब साइट - डब्लू.डब्लू.डब्लू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम.जेड.खान, नई दिल्ली
श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शेलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री वी.वी. सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

''डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों है एक अकाट्य साक्ष्य?''
• कैलाश नाथ गुप्त ---------- 7

पुलिस सुधारः चुनौतियां और समाज एवं मीडिया की भूमिका
• डॉ. कुंजन आचार्य एवं श्री देवेन्द्र शर्मा ---------- 17

मानव तस्करी : कारण और निवारण
• अरूण कुमार पाठक ---------- 25

21वी शताब्दी में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में पुलिस की भूमिका का न्यायिक मूल्यांकन
• आशीष श्रीवास्तव ---------- 33

रिज़र्व पुलिस लाईन्सः इंतज़ार नऐ सवेरे का
• जोरावर सिंह राणावत ---------- 39

महिलाओं के विरूद्ध अपराध- एक सामाजिक अभिशाप
• डा0 मीरा सिंह ---------- 47

भारत में सामुदायिक पुलिस पद्धति-राजस्थान पुलिस के विशेष संदर्भ में
• जालमसिंह ---------- 50

नक्सलवादी समस्या के प्रस्तावित समाधान तकनीकी व गैर तकनीकी और पुलिस की भूमिका
• डा0 दिनेश कुमार गुप्ता ---------- 58

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस की कार्यक्षमता एवं अपेक्षित सुधारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
• प्रो0 श्रीमती अनुपम शर्मा ---------- 63

भारत में नक्सलवादी समस्या, उनकी रणनीति और योजना तथा निरोधी उपाय
• डा0 एस.पी.सिंह ---------- 73

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : चार दिशाएं प्रिन्टर्स प्रा.लि., जी-39-40, सेक्टर-3, नौएडा (यू.पी.)

''डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों है एक अकाट्य साक्ष्य?''

कैलाश नाथ गुप्त
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, (सेवा निवृत्त)
दिल्ली-110058

सारांश-

सरल भाषा में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अपराधियों को पकड़ने हेतु एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। परन्तु आज के युग में इसके अनेक महत्वपूर्ण आयाम हैं- आयुर्विज्ञान के विश्लेषण में, पेडिग्री एप्लीकेशन में, जानवरों के सेक्स चुनाव में, वन्य प्राणी संरक्षण में तथा मानव प्रजाति के उद्भव तक में भी। यह एक क्रांतिकारी तकनीक है, जिसके भारत में महान वैज्ञानिक व विद्वान हैं, डा. लाल जी सिंह जी, जो कुछ समय पूर्व तक सेंटर फॉर सेल्यूलर एवं मोलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB), CSIR, हैदराबाद में निदेशक पद को सुशोभित कर रहे थे एवं देश सेवा में तन-मन से पूर्ण समर्पित व संलग्न रहे। देश को उनकी सेवाओं पर नाज है। उन्हें ही यह श्रेय जाता है कि भारत के न्यायालयों में उसकी महत्वपूर्ण स्वीकृति एवं विश्वसनीयता के झंडे गाड़े एवं इसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकृति प्रदान कराई, स्थापित कराई। अब यह एक अकाट्य साक्ष्य के रूप में न्यायालय में धड़ल्ले से स्वीकार की जा रही है। डा. लाल जी सिंह का इस हेतु कोटि-कोटि धन्यवाद।

अपराध के शातिराना तरीकों व जटिल मामलों में सटीक और पुख्ता सुबूतों के अभाव में इंसाफ नजरअंदाज हो जाता है, हालांकि बीते कुछ अरसे से डीएनए परीक्षण के जरिए वल्दियत, अपराध, बलात्कार और हत्या की कई अबूझ पहेलियों बेहद दिलचस्प अंदाज व सटीक पैमानों पर सुलझाई गई हैं। इस जांच से जुड़े कई अहम पहलुओं और इस की प्रासंगिकता पर रोशनी डालना अपयोगी होगा। डीएनए के जरिए वल्दियत का सही-सही पता लगाया जा सकता है, यानी वल्दियत जांचने लिए डीएनए जांच एक सटीक जरिया है, जहां पारंपरिक सुबूत नहीं होते या कोई झूठ बोलने पर उतारु हो तो वहां एक मात्र डीएनए जांच ही सहारा होती है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता है।

प्रामाणिकता--

एक दो नहीं, बल्कि अब तक देशभर में सैकड़ों ऐसे मामलों में जहां या तो स्पष्ट सुबूत नहीं थे या दूसरे पेच थे, उन्हें डीएनए जांच के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, हर व्यक्ति के डीएनए की बनावट, उंगलियों की बनावट की तरह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। दो अलग-अलग व्यक्तियों के डीएनए एक जैसा होना 10 अरब मामलों में से कोई एक मामला हो सकता है, यही नहीं, पूरी दुनिया के डीएनए वैज्ञानिक दावा करते हैं कि जांच में गलती के लिए अक्सर 300 अरब मामलों में से किसी एक मामले में ही हो सकता है। आज की तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि लगभग एक दर्जन देशों में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जांच की बदौलत जटिल से जटिल आपराधिक मामलों का निबटान हो रहा है।

कब और कैसे-

डीएनए जांच की विधि वास्तव में अमेरिका में खोजी गई थी और अमेरिका तथा ब्रिटेन में यह जांच विधि 1980 के दशक में ही अस्तित्व में आ गई थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने 80 के दशक में तमाम ऐसे मामलों का निबटारा डीएनए परीक्षण विधि से किया और अपराधियों की दुनिया में भूकंप आ गया क्योंकि उनका बचना बहुत मुश्किल हो गया था। ब्रिटेन में भी इस विधि से सैकड़ों आपराधिक वारदातों का निबटान हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला तीसरा देश भारत है।

डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का रहस्य छुपा है, डा. लाल जी सिंह के विचारों, उद्घोषों, प्रशिक्षण सामग्री व अभिव्यक्तियां हैं, जो हर प्रकार से काफी प्रेरणा दायक व महत्वपूर्ण है।

अपराध उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। पर उसी प्रकार मानव की जिज्ञासा भी है, अपराध के

अनुसंधान हेतु। लगभग 150 वर्षों पूर्व (1860 में) अंगुल छाप (डीएनए फिंगर प्रिंट नहीं) का पहली बार एक ब्रिटिश प्रशासक सर विलियम हरशेल द्वारा प्रयोग में लाया गया था, जिससे अशिक्षित मिलिटरी जवानों द्वारा भारी मात्रा में धन गबन को रोका जा सके। उन्होंने इन लोगों से एक पेपर पर अंगुल छाप देने को कहा था, बिना उसकी उपयोगिता को समझे। फिलहाल, इससे धन का गबन रुक गया।

सर विलियम इरशेल ने यह पाया कि किसी भी दो व्यक्तियों के अंगुल छाप आपस में नहीं मिलते। वे हर एक व्यक्ति के लिए अनूठे होते हैं। वे इसे एक वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करना चाहते थे, अत: उन्होंने अति महत्वपूर्ण पत्रिका 'नेचर' में अपना एक लेख प्रस्तुत किया, जो लंदन से प्रकाशित होती थी। यद्यपि पेपर इस आधार पर स्वीकार नहीं हुआ कि क्या ये अंगुल छाप किसी भी व्यक्ति में आजीवन उसी प्रकार रहते हैं? सर विलियम हरशेल ने सन् 1860 में अपनी अंगुल छाप ली और पुन: 1888 में 28 वर्षों बाद दोनों यह प्रदर्शित करते हुए कि इन दोनों में कोई अन्तर नहीं था- केवल कुछ टूट-फूट के अतिरिक्त।

उन्होंने फिर अपना लेख मशहूर पत्रिका 'नेचर' में छपने हेतु 1888 में पुन: जमा किया, अर्थात 28 वर्षों बाद और इस बार यह स्वीकार हो गया। ('नेचर'-Vol.28 ए पेज-201) तिथि-28 जून, 1888 को।

उस समय की यह एक अद्‌भूत खोज थी। इसने पूरे विश्व के काफी विद्वानों, जाने-माने बायोलॉजिस्टों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे फ्रांसीस गेलटन जिन्होंने जनगणना विश्लेषण किया और एक पुस्तक जिसका शीर्षक था- 'फिंगर प्रिंट' की रचना की, जिसके आधार पर विश्व के पहले व्यक्ति को अर्जेंटिना में 1891 में फांसी की सजा हुई। फिलहाल फिंगर प्रिंटिंग की मान्यता तब अधिक बढ़ी जब ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडवर्ड हेनरी ने एक विस्तुत विवरण फिंगर प्रिंट का प्रस्तुत किया जो अनेक सेक्टर पर आधारित था अर्थात रिजेज और ग्रूव्ज तथा उनके एंगल आदि। फिंगर प्रिंट का यह विश्लेषण पूरे विश्व में आज भी प्रयोग किया जाता है।

सजायाफ्ता अपराधियों के डेटावेस बनाए गए हैं। किसी भी दो व्यक्तियों के आपस में उसी प्रकार होने का अनुपात 10:10 में किसी एक व्यक्ति का पया जाता है। यह मानते हुए कि विश्व की जनसंख्या औसतन 6.9 x1.9 है। इसकी संभावना बहुत कम है कि विश्व में दो व्यक्ति ऐसे जीवित हों जिनके फिंगर प्रिंट आपस में मिलते-जुलते हों। यहां तक कि दो जुड़वा लोगों में भी फिंगर प्रिंट भिन्न-भिन्न होते हैं। अत: अपराध के स्थान पर पाये जाने वाले फिंगर प्रिंट उसी प्रकार है जैसे अपराधी ने अपनी फोटोग्राफ छोड़ दी हो।

अपराधियों में आपस में यह होड़ लगी रहती है कि वही अपराध करने के नये-नये तरीके अपनाएं और अन्वेषण संस्थाओं को नये-नये विचार तथा तकनीक से अपराध का अनुसंधान करना पड़ता है। जब अपराधियों ने यह समझ लिया कि अगर अपराध स्थल पर वह अपना फिंगर प्रिंट छोड़ते हैं तो वह अवश्य पकड़े जाएंगे, अत: उन्होंने दस्तानों का इस्तेमाल शुरु किया। इस प्रकार अन्वेषण एजेंसियां मजबूर हो गई।

खून की उपयोगिता- 1901 तक यह माना जाता था कि सभी मानव का खून एक ही होता है। यह दुर्भाग्य की बात रही कि हजारों लोगों की मृत्यु गलत खून के चढ़ाने से होती रही। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने पहली बार यह प्रदर्शित कर दिखाया कि मानव खून को चार ग्रुपों में (ए, बी, एबी, एवं ओ) में विभाजित किया जा सकता है, जो आजकल खून के ग्रुपिंग के 'एबीओ सिस्टम' के रूप में जाना जाता है। यह एक आश्चर्यजनक खोज थी जिसने हजारों लोागों की जान प्रतिदिन बचाया। कार्ल लैंडस्टीनर को 29 साल बाद महत्वपूर्ण 'नोबेल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

जैसे ही 'ब्लड ग्रुप सिस्टम' की खोज हुई, फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने अपनाना शुरु कर दिया, जिससे अपराध अन्वेषण में व्यक्तियों की खास पहचान सिद्ध की जा सके। परन्तु ब्लड ग्रुप के साथ एक समस्या है कि अगर यह मैच कर जाता है तो शत प्रतिशत निश्चितता के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि यही व्यक्ति उस बालक का बायोलॉजिकल पिता है।

अथवा ऐसा अपराधी है जिसका खून अपराध स्थल पर पाया गया है। यह इसलिए कि दो व्यक्ति जो आपस

में संबंधित न हो परन्तु उनके ब्लड ग्रुप के मिलने की संभावना काफी रहती है। कम-से-कम ऐसे दो व्यक्ति पाये जा सकते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप एक जैसा हो। अत: इस कारण से इसको सकारात्मक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। परन्तु अगर ब्लड ग्रुप आपस में ना मिले तो एक दूसरे से अलग करने के लिए इसके शत-प्रतिशत साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।

सन् 1937 में 'आरएच फैक्टर की खोज हुई जिसको फोरेंसिक विद्वानों ने पहचान स्थापित करने हेतु अपनाना प्रारम्भ कर दिया। आज हम जानते हैं कि हमारे रक्त में 100 से अधिक विभिन्न फैक्टर हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। इनमें सम्मिलित हैं-'आइसोजीम्स' जो हमारे खून में मौजूद है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मानव 'लिम्फोसिट एंटीजेन (एचएलए) जो हर व्यक्ति में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं।

अगर हम 18 भिन्न-भिन्न प्रकार के टेस्ट ध्यान में रखें जिनमें सम्मिलित हों ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर्स, विभिन्न प्रकार के 'आइसोजीम्स' और 'एचएलए', तो शत-प्रतिशत बहिष्कारिता पायी जा सकती है। फिर भी सकारात्मक एकात्मकता 99.7 प्रतिशत होती है। यह सभी संभावित संदेह से परे नहीं माना जा सकता। अत: न्यायालयों में यह मान्य नहीं है। अगर न्यायाधीश को किसी को हत्या के मुकदमें फांसी की सजा देनी है तो उन्हें 99.999 प्रतिशित संभावित साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी। इनके अतिरिक्त यह टेस्ट प्रोटीन पर निर्भर करते हैं जो अपराध स्थल के बायोलॉजिकल टिसूज में पाए जाते हैं। प्रोटिन उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं।

जिस समय तक फोरेंसिक लेबोरेटरी में अन्वेषण हेतु लाए जाते हैं, तब तक उनके कोटि में कमी आ जाती है। अत: फोरेंसिक विद्वान इन नमूना जांच की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते।

अत: इस बात की आवश्यकता थी कि बायोलॉजिकल सामग्री ही ऐसी पहचान निकाली जा सके जिससे वह एक तरफ स्थिर रह सके तथा दूसरी ओर व्यक्तियों पर विशेष रूप से आधारित हो सके। इस आवश्यकता की पूर्ति की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज ने 1985 में ब्रिटिश साइंटिस्ट प्रोफ्रसर एलेक जफ्रीज ने जो लेसेस्टर विश्वविद्यालय के थे। यह एक आश्चर्यजनक खोज थी। यह जनसंख्या जैनेटिक्स के लिए आश्चर्यजनक खोज के रूप में आई जो यह समझते थे कि हम सभी का 'डीएनए' एक ही होता है तथा व्यक्तियों में फर्क नहीं होता है।

एलेक जेफ्रीज ने एक अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किया कि 'डीएनए' का वर्ग अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग होता है जो एक ऐसा स्वरुप प्रदान करता है जो अलग-अलग व्यक्तियों पर आधारित होता है। उन्होंने अपनी खोज को फोरेंसिक अन्वेषण हेतु प्रस्तुत किया। आज 'डीएनए फिंगर प्रिंटिंग' घर-घर मे जाना जाने वाला नाम है, पूरे विश्व में यह अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा रहा है- जैसे माता या पिता की पहचान (जैसे कुछ दिन पूर्व ही श्री नारायण दत्त तिवारी पूर्व गवर्नर के बेटे होने का एक बालक ने दावा किया था), गुमशुदा बच्चे की पहचान, बलात्कार के मामले, हत्या, सड़ी-गली लाशें, वन्य प्राणी संरक्षण तथा इसी प्रकार अन्य मामलों में।

डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है?

बीते कुछ सालों के दौरान कई पितृत्व व आपराधिक गुत्थियों को सुलझाने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है यह समस्त प्रक्रिया डीएनए पर आधारित होती है। सभी मनुष्यों, जीव-जन्तुओं की कोशिकाओं में एक रसायन डीएनए रहता है जो मनुष्य को उसकी विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। यह डीएनए शरीर के किसी भी भाग लार, रक्त, बाल, वीर्य, आदि से प्राप्त किया जा सकता है।

इस पद्धति का सर्व प्रथम प्रयोग 1984 में सर एलेक जोसेफ ने किया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी फोरेंसिक साइंस की विधा फिंगर प्रिंट तकनीकी पर आधारित है जिस प्रकार संसार में किन्ही दो व्यक्तियों के अंगुल छाप समान नहीं हो सकते, उसी प्रकार डीएनए का क्रम भी सभी में एक समान नहीं होता।

इस विधि में शरीर के किसी भी भाग की कोशिका में से रसायनिक विधि के द्वारा प्राप्त डीएनए को अलग-अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। फिर उन्हे रेडियो सक्रिय बनाने के बाद उनका एक विशिष्ट

क्रम प्राप्त होता है। यह क्रम ही वह विशिष्ट क्रम होता है जो उस व्यक्ति को ओर लोगों से अलग करता है। इसके बाद इसकी छानबीन करके इसे एक्स-रे फिल्म पर एक्सपोज किया जाता है, जहां वे ब्लैक बार बनाते हैं। इसे ही डीएनए फिंगर प्रिंट कहते हैं।

डीएनए की यह समस्त क्रिया पांच स्टेप्स में पूरी होती है:-

- सबसे पहले डीएनए को कोशिका में से अलग किया जाता है इसके बाद डीएनए को रेट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कई जगहों पर तोड़ा जाता है।
- इन टूटे हुए डीएनए को जैल पर लगाया जाता है।
- विद्युत करेंट की धारा प्रवाहित करने पर यह अपनी लम्बाई के हिसाब से अलग होने लगते हैं।
- इन सभी अलग-अलग डीएनए खंडों को डीनैचुरेशन कर दोनों तंतुओं को अलग किया जाता है।
- अंतिम चरण में सभी खंडों को रेडियो सक्रिय कर जांच की जाती है, उसी दौरान विशिष्ट पेयर की पहचान की जाती है।

इसके अलावा मानव विरुद्ध अपराध संबंधी फोरेंसिक विश्लेषण में, वन्य जीव संबंधी अपराधों के अन्वेषण में, पितृत्व और मातृत्व को स्थापित करने में, अज्ञात मृतक की पहचान में, क्षत-विक्षप्त/नर कंकाल शवों की पहचान में, और प्राकृतिक आपदा में व्यक्तियों की पहचान आदि में डीएनए परीक्षण उपयोगी है।

प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का कैमिकल स्वरूप वही होता है। इसका मुख्य आधार है शुगर और फॉस्फेट। ये दोनों चार मुख्य यूनिट द्वारा एक में सम्मिलित होते हैं अर्थात अडेनाइन (A), गुनाइन (G), थैमीन (T) और सिटोसिन (C) इन आधारों का कैमिकल स्वरूप इस प्रकार होता है कि एक का A दूसरे के T के साथ बॉण्ड बनाता और G भी C के साथ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि A G के साथ हाईड्रोजन बॉण्ड बनाए अथवा G C के साथ या C T के साथ या G C के साथ।

व्यक्तियों में फर्क या जानवरों में जो फर्क होता है वह केवल बेस जोड़ों के आर्डर का। प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में हजारों लाखों बेस पेअर होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न स्वरूप में होते हैं। इन स्वरूपों की पहचान करके प्रत्येक व्यक्ति की पहचान निश्चित तौर पर की जा सकती है। फिलहाल चूंकि लाखों बेस पेअर होते हैं अत: वैज्ञानिक लोग एक छोटा रास्ता अपनाते हैं जो डीएनए के रिपीटिंग पैटर्न पर आधारित होता है।

डीएनए के बारंबार आने वाले क्लास जैसे GAT को विशेष रूप से अलग किया जाता है, उसकी तीस प्रतियां दूसरे व्यक्ति के उसी अनुरूप बनायी जाती है और वह तकनीक जिसके आधार पर हम फर्क या विभिन्नता महसूस करते हैं, उसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। इसका नामकरण किया था एलेक जैफ्रीज ने यह जोर देने के लिए कि हरेक व्यक्ति का डीएनए पैटर्न एक दूसरे से अनोखा होता है जैसे हमारे अंगुल छाप। वास्तव में डीएनए फिंगर प्रिंट पैटर्न किसी भी अंगुल छाप से अधिक अनूठे होते हैं।

प्रो. एलेक जैफ्रीज ने अनेकानेक नॉन कोडिंग (जंक) डीएनए सीक्वेंसेज को ग्लोबिन जीन के फ्लैंकिंग रीजन से अलग कर दिया, जिसको उन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के रूप में सिद्ध कर दिया। इसको पेटेंट करवा लिया, अत: यह अन्य लोगों को मुफ्त में उपलब्ध नहीं था।

सीसीएमबी ने रीपेटेटीव की एक वर्ग को अलग कर दिया जिसमें एक जहरीले सांप (बेन्डैड करेत) के गाटा रीपीड्स थे। इसको बेन्डेड करेत माइनर सेटेलाइट डीएनए का नाम दिया गया। इस डीएनए के 545 बेस जोड़ों को क्लोन किया गया जिसमें अधिक्तर गाटा रीपीड्स थे। अलग-अलग असबंधित व्यक्तियों के डीएनए फिंगर प्रिंट में व्यक्तिगत विशिष्ट पैटर्न पाये जाते हैं।

कुछ व्यक्तियों में कुछ बैंड्स सामान्य हो सकते हैं लेकिन दो व्यक्तियों में निश्चित तौर पर उसी प्रकार के बैंड्स नहीं हो सकते। केवल जुड़वा लोगों को छोड़कर, जिनके फिंगर प्रिंट पैटर्न आइडेंटिकल हो सकते हैं। इन बैंड्स का प्रयोग फोरेंसिक अन्वेषण में किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर एक परिवार में माता-पिता एवं बच्चे में अगर डीएनए फिंगर प्रिंट टेस्ट किया जाय तो इन सभी में पैर्टन भिन्न-भिन्न प्रकार का दिखाई देगा। परंतु यदि बहुत गंभीरता से देखा जाय तो बच्चे में जो बैंड मौजूद होगा, वही या तो मां में होगा या पिता में एवं इससे भिन्न नहीं। साधारण तौर पर मातृत्व में निश्चितता होती है। अगर मातृत्व का ज्ञान है तो इससे पैतृकता को स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर पैतृत्व का ज्ञान है तो मातृत्व को स्थापित किया जा सकता है। अगर माता-पिता का ज्ञान है तो बच्चे के व्यक्तित्व को स्थापित किया जा सकता है। भाईयों और बहनों के केस में डीएनए फिंगर प्रिंट पैटर्न एक से नहीं होंगे वरन् अलग-अलग होंगे। यह इसलिए होता है क्यों कि 46 क्रोमोजोम्स में केवल 23 ही बच्चे के विरासत में आ पाते हैं क्यों कि क्रोमोजोम्स के द्वारा ही डीएनए आगे बढ़ता है, अत: बच्चे में जो 50 प्रतिशत बैंड्स मौजूद होते हैं वो मां से विरासत में आते हैं तथा 50 प्रतिशत पिता से। फिलहाल कौन सा 50 प्रतिशत बैंड्स किसके विरासत में आया, यह एक रैंडम फेनामेन होता है। अत: भाईयों और बहनों के फिंगर प्रिंट पैटर्न में विभिन्नता होती है। फिलहाल इन दोनों में 50 प्रतिशत से अधिक बैंड्स मिलते-जुलते होते हैं जबकि अन्य बिना रिश्ते के लोगों ये बैंड्स केवल 30 प्रतिशत ही मिलते-जुलते पाये जा सकते हैं। अत: इस तकनीक द्वारा यह स्थापित किया जा सकता है कि कोई भी दो व्यक्ति भाई अथवा बहन हैं या नहीं।

अगर जुड़वा व्यक्ति में कोई अपराध करता है तो डीएनए फिंगर पैटर्न द्वारा यह स्थापित करना कठिन हो जाता है कि उन दोनों में से किसने किया है। इस तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। इसके विपरीत अंगुल छाप के द्वारा यह स्थापित किया जा सकता है कि अपराध किसने किया है क्योंकि जुड़वा लोगों में भी अंगुल छाप अलग-अलग होते हैं।

डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विभिन्न उपयोगिताएं- डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आज अनेकानेक क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है, जैसे-

(1) अपराध अनुसंधान- उदाहरण हत्या, बलात्कार, चोरी आदि।

(2) कंज्यूमर प्रोडक्टस की प्रामाणिकता- अक्सर यह पाया जाता है कि मशहूर कंपनियों के नाम पर जाली सामाग्रियां निकाल दी जाती है। इसलिए बहुत सी अच्छी कम्पनियां अपने उत्पादनों में डीएनए सिक्वेंस अंदर चिपका देते हैं। जहां शंका होती है, उन लेबल्स को निकाल कर डीएनए सिक्वेंस एवं उत्पादन की प्रामाणिकता स्थापित की जा सकती है।

(3) मेडिकल डायगनोसिस-जैसे ल्यूकेमिया आदि बीमारियों में। रक्त का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पेटर्न व्यक्ति के माता-पिता से भिन्न होता है। अत: बीमारियों की पहचान की जा सकती है।

(4) पेडीग्री विश्लेषण- यह घोड़ों, जानवरों, भैंसों की ब्रीडिंग प्रोग्राम में अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। कुछ लोग अधिक दूध पाने, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने या दौड़े में अधिकता लाने के लिए अधिक पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका प्रयोग कुत्तों में भी किया जाता है।

(5) सीड्-स्टॉक पहचान- जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित करके किसानों को दिया जाता है। यह पोधों के मालिक्यूलर ब्रीडिंग में भी प्रयोग किया जाता है।

(6) जानवरों में सैक्स-सलैक्शन- गर्भाधान कराकर इच्छित सैक्स के जानवरों को पैदा करने हेतु।

(7) रक्षा रिकार्ड्स- अमेरिका में नये भर्ती जवानों के रक्त के नमूने एक फ्रीजर में स्टोर कर लिए जाते हैं। युद्ध के दौरान जब कोई जवान गुम हो जाता है और क्षत-विक्षप्त शरीर प्राप्त होता है जिसे पहचानना मुश्किल होता है तब उसके शरीर के डीएनए की उस संरक्षित ब्लड सैम्पल से मिलान की जाती है जिससे पहचान की जा सके।

(8) वन्य जीवन संरक्षण- वन्य जीवन संरक्षण में इसका प्रयोग जंगली जानवरों की विभिन्नताओं और उनकी इनब्रीडिंग के लिए किया जाता है जो उनकी नस्ल को बचाने के हेतु आवश्यक है। यह उनकी पवित्रता को स्थापित करने हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है।

(9) पारिवारिक मामले- इन में सम्मिलित हैं पितृत्व एवं मातृत्व की स्थापना, गुमशुदा बच्चे की पहचान और

जच्चा-बच्चा वार्ड में बच्चों के अदला-बदली के मामलों में।

डीएनए फिंगर प्रिंट की उपयोगिता और व्यावहारिक उपयोग के बारे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश के सहायक निदेशक डा. नीती प्रकाश दुबे के मतानुसार डीएनए परीक्षण से किसी व्यक्ति, पौधे, जानवर आदि की कोशिका में पाए जाने वाले डीएनएके विश्लेषण के आधार पर उन की आनुवंशिकी व पहचान स्थापित की जाती है और किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच विभेद भी किया जाता है। किसी भी व्यक्ति में आधे आनुवंशिक गुण पिता से और आधे माता से प्राप्त होते हैं। जब किसी की जैनेटिक पहचान सिद्ध करनी होती है तो उसके जैनेटिक मारकर का अध्ययन किया जाता है। वैसे सभी मनुष्यों का 99 फीसदी डीएनए समान होता है लेकिन जैनेटिक मार्कर का एक छोटा हिस्सा सभी में भिन्न होता है। इस जैनेटिक मार्कर का क्रम और इसकी संख्या सभी में अलग-अलग होती है, जिसके आधार पर उस व्यक्ति की पहचान सिद्ध की जाती है। सामान्यत: फोरेंसिक एनालिसिस में कोशिका की नाभिक के पूर्ण डीएनए का परीक्षण किया जाता है, लेकिन वाई डीएनए (यह केवल पुरुष को पिता से मिलता है) के अध्ययन से पितृ पीढ़ी का पता लगता है जबकि एम डीएनए (यह स्त्री और पुरुष दोनों को माता से प्राप्त होता है) का अध्ययन से मातृ पीढ़ी का पता लगता है। पीसीआर तकनीक से जैव अंश के कम सैंपल का संवर्धन करके अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। यह सौ फीसदी विश्वनीय है।

भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को अनेक रोमांचक और बड़े मामलों के सुलझाने हेतु प्रयोग किया गया है।

खोए हुए छात्र की कंकाल से पहचान- भारत में डीएनए परीक्षणों की शुरुआत एक रोमांचक वारदात से हुई, दरअसल, 1989 में स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का हैदराबाद के निकट से कहीं लापता हो गया। कई दिनों तक घर वाले और पुलिस भी उस लड़के के खोजबीन करती रही मगर उसका कहीं पता नहीं चला, लगभग एक हफ्ते बाद स्कूल से थोड़ी दूर मौजूद कूड़े के ढेर से हड्डियों का एक कंकाल बरामद हुआ। पुलिस को शक हुआ कि यह कंकाल खोए हुए छात्र का ही है, मगर यह बात किसी के गले उतरे ? मां-बाप भी इस बात को मानने को राजी नहीं थे। उन्हीं दिनों हैदराबाद में डीएनए फिंगर प्रिंटिग प्रयोगशाला में काम करना शुरु किया गया था इसलिए हैदराबाद के केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में वह कंकाल लाया गया।

प्रयोगशाला को उस कंकाल के खोए हुए छात्र के शव के होने या ना होने की पुष्टि का कार्य सौंपा गया। यहां के प्रमुख डीएनए वैज्ञानिक लालजी सिंह ने उस कंकाल की हड्डियों से कुछ टिश्यू को इकट्ठा किया और खोए हुए छात्र के मां-बाप के रक्त के नमूने लिए, इसके बाद उन्होंने अपनी डीएनए परीक्षण जांच शुरु कर दी, लगभग एक हफ्ते बाद लालजी सिंह ने सिद्ध कर दिया कि वह कंकाल खोए हुए छात्र का ही था।

पितृत्व कि पहचान (अविवाहित युवती विलासिनी के बेटे मनोज का मामला)-

पितृत्व के मामले में भी डीएनए जांच की शुरुआत लगभग 20 साल पहले तब हुई जब डीएनए जांच विधि के शुरू होने के कुछ दिनों के भीतर ही केरल की एक आदलत में अपने ढंग का एक अनूठा मामला आया। 28 साल की अविवाहित युवती विलासिनी ने अपने 4 साल के बेटे मनोज को न्यायालय में पेश किया। उसने दावा किया कि उसके बेटे का बाप कुम्हिरामन नामक व्यक्ति है जो एक प्रसिद्ध ट्रांस्पोर्टस है। कुम्हिरामन अपने क्षेत्र का एक दबंग व्यक्ति था। उसके उच्च राजनीतिक और सामाजिक रिश्ते थे। वह पैसे वाला भी था और पुलिस तथा प्रशासन के लोग आसानी से उसके साथ हो सकते थे। चूंकि हिन्दुस्तान की किसी अदालत में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया था, इस वजह से यह न केवल चौंकाने वाला मामला था बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच के लिए भी एक चुनौती था। कुम्हिरामन बार-बार और जोरदार ढंग से इस बात की खंडन कर रहा था कि विलासिनी का बेटा उसका नहीं है और उसने विलासिनी पर उलटे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया।

कुम्हिरामन के वकील के तेजतर्रार तर्कों के बावजूद जज के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि कोई

हिंदुस्तानी महिला भरी अदालत में यह कह सकती है कि उसका बेटा ए नाजायज औलाद है और उसका बाप उसका पति नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति है।

विलासिन एक सामान्य परिवार की लड़की थी, वह तेल्लीचेरी की रहने वाली थी, जहां का कुम्हिरामन निवासी था। विलासिनी के अनुसार 55 साल के कुम्हिरामन ने उसे शादी का लालच देकर अपने विश्वास में ले लिया था और उसी का परिणाम 4 वर्षीय मनोज था। विलासिनी की इसी सीधीसादी कहानी ने जज को अंदर तक झकझोरा और जज ने फैसला किया कि वह उस महिला को न्याय दिला कर ही रहेगा।

आखिरकार तेल्लीचेरी के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट ज्ञान सुदर्शन ने आदेश दिया कि विलासिनी, कुम्हिरामन व मनोज का डीएनए प्रिंट परीक्षण कराया जाए, अदालत के आदेश पर तीनों के रक्त के नमूने लेकर सीसीएमबी, हैदराबाद भेज दिए गए, एक बार फिर डा. लालजी सिंह के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने की चुनौती थी। डा. सिंह ने परीक्षण के बाद पाया कि कुम्हिरामन ही मनोज का जैविक पिता है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत को भेज दी, लेकिन कुम्हिरामन के वकील ने अपने मुवक्किल के बचाव के लिए इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अदालत में जोरदार तर्कों के साथ प्रतिवाद किया कि उसका मुवक्किल इलाके का प्रतिष्ठित, सामाजिक व्यक्ति है और महज एक जांच रिपोर्ट के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की किसी तरह की कोशिश न की जाए।

चूंकि इसके पहले पितृत्व के जांच के लिए कभी डीएनए परीक्षण विधि का इस्तेमाल नहीं हुआ था इसलिए अदालत के पास भी इस तरह का कोई तर्क नहीं था जिसके आधार पर वह अपने फैसले के अकाट्यता का लबादा पहना सके।

लेकिन जज ज्ञान सुदर्शन कुम्हिरामन के वकील के तर्कों से सहमत नहीं थे। जज ज्ञान सुदर्शन विज्ञान के छात्र रह चुके थे। विज्ञान से संबंधित आधुनिक शोधों में भी उनकी रुचि थी। वे डीएनए प्रिंट पर भी यकीन रखते थे। बावजूद इसके उन्होंने कोई एकतरफा फैसला सुनाने के बजाए डीएनए परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक डा. लालजी सिंह को अदालत में बुलाने का फैसला किया। इसके पीछे उनकी सोच यह थी कि सभी पक्ष इससे रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। लिहाजा उनके फैसले पर भी उंगलियां नहीं उठ सकेंगी।

15 सितम्बर 1989 को केरल की तेल्लीचेरी की अदालत में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डा. लालजी सिंह हाजिर हुए। उन्होंने अदालत कक्ष में ही एक प्रोजक्टर व स्लाइड के सहारे वहां मौजूद लोगों को समझाया कि डीएनए फिंगर प्रिंट क्या है और क्यों इस रिपोर्ट के आधार पर दावे से कहा जा सकता है कि कुम्हिरामन ही 4 वर्षीय मनोज का पिता है।

आदलत ने डा. लालजी सिंह के तर्कों को आसानी से नहीं पचाया। खासकर कुम्हिरामन के वकील तो उन्हें एक भी वाक्य बोलने देने के पक्ष में नहीं थे। डा. लालजी सिंह जब भी अपनी बात कहना शुरू करते वे बीच में ही कोई ना कोई सवाल पूछ कर व्यवधान पैदा कर देते। इससे एक दो बार डा. लालजी सिंह ने बीच में रुक कर वकील के सवाल का जवाब दिया लेकिन जब कुम्हिरामन के वकील बारबार उन्हें ध्यान बंटाने के लिए सवाल दर सवाल छोड़ने लगे तो लालजी सिंह ने जज से अनुरोध किया कि एब बार पहले उन्हें अपनी बात पूरी कहने दी जाए, इसके बाद ही किसी वकील को उनकी बात पर सवाल करने दिया जाए, जज ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कुम्हिरामन के वकील को सख्त निर्देश दिया कि जब तक डा. सिंह अपनी बात कह रहे हैं तब तक वे बीच में न बोलें।

डा. लालजी सिंह ने जब अपनी बात समाप्त की तो वकीलों ने कई घंटों तक उन से लंबी जिरह की, उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का तर्कसम्मत उत्तर दिया, जिससे न सिर्फ जज, बल्कि अदालत में मौजूद सभी लोग संतुष्ट हुए और 24 अप्रैल 1990 को अदालत ने डा. लालजी सिंह की रिपोर्ट को आधार मानते हुए विलासिनी के पक्ष में फैसला सुनाया, बाद में उच्च न्ययलय ने भी उस फैसले का अनुमोदन कर दिया। इस तरह पितृत्व के किसी मामले में पहली बार भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने डीएनए रक्त परीक्षण को मान्यता दी।

नैना साहनी मर्डर मामला-

1995 में दिल्ली की नैना साहनी को उसके पति ने हत्या करके तंदूर में झोंक दिया। हालांकि लाश पूरी तरह से खाक नहीं हो पाई, उसके पहले ही एक पुलिसवाले द्वारा सतर्कता के चलते लाश को तंदूर से निकाल लिया गया। लेकिन लाश में कोई भी अंग न तो साबूत था और न ही उसे पारंपरिक तरीके से पहचाना जा सकता था।

समस्या यह थी कि उस लाश को नैना साहनी की लाश कैसे माना जाए? इस जटिल मामले को कोई मंझा हुआ जासूस भी नहीं सुलझा सकता था, क्योंकि नैना साहनी की तंदूर में जलने से बची जो लाश हासिल हुई थी वह महज जलाभूना हड्डियों का एक कंकाल भर था।

ऐसे में यह जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित सैंटर फौर मौलिक्यूलर बायोलौजिकल स्टडीज के डीएनए प्रिंट विभाग के तत्कालीन निदेशक लालजी सिंह को सौंपी गई। लालजी सिंह ने नेतृत्व में फोरेंसिक वैज्ञानिकों के एक दल ने नैना साहनी की जली भूनी हड्डियों से कुछ ऊतकों को इक्टठा किया। इसके बाद जांच शुरू हुई डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जांच। लगभग 1 महीने बाद ही लालजी सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में जला हुआ शरीर नैना साहनी का ही था।

गुमशुदा बच्चे का मामला (मद्रास हाईकोर्ट)-

एक युगल जोड़ी का बच्चा गुम हो गया था जिसे उन्होंने कई वर्षों बाद मद्रास में कैम्प कर रहे एक खानाबदोश के पास देखा। उनके अनुसार यह बच्चा उन्हीं का था और उन्होंने खानाबदोश से अपने बच्चे को पा लेने की भरपूर कोशिश की। अंत में यह मामला मद्रास हाई कोर्ट गया जिन्होंने राज्य फोरेंसिक लैबोरेटरी तमिलनाडु की सहायता ली। कई प्रयोग करने के बाद भी मामला ना सुलझ पाया, तब यह मामला सीसीएमबी को भेजा गया। उन्होंने अनेक टेस्ट करके यह सिद्ध कर दिया कि यह बच्चा उन युगल जोड़ी का नहीं था। यह प्रयोग डीएनए फिंगर प्रिंट की सहायता से किए गए। तब मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चे को खानाबदोश के हवाले कर दिया।

राजीव गांधी की हत्या का मामला-

विश्व में पहली बार इस तकनीक का प्रयोग राजीव की हत्या के मामले में किया गया। अपराध स्थल पर शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर और सिर क्षत-विक्षत थे। पुलिस ने इनको एकत्रित करके मारने वाले के शरीर को बनाने का प्रयास किया, मुख्य सवाल यह था कि क्या यह सभी अंग केवल एक ही व्यक्ति के थे और वह पुरूष था या स्त्री। इस पर डीएनए फिंगर प्रिंट टेस्ट किए जिससे यह नतीजा हासिल हुआ कि यह सभी अंग एक ही व्यक्ति के थे तथा यह एक स्त्री के थे। इसी प्रकार शिवारासन की पहचान भी डीएनए फिंगर प्रिंट के द्वारा की गई। यह सारे साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए जिनके आधार पर विभिन्न मुलजिमों को सजाएं सुनाई गई। 'मानव बम' के रूप में राजीव गांधी की हत्या करने वाली महिला धनु के शव की पहचान इसी परीक्षण के सहारे हुई थी।

अप्रवासी मामलों में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग-

अनेक देश जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अप्रवासीयों के लिए डीएनए फिंगर प्रिंट टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।

स्वामी श्रद्धानंद केस

एक उच्च परिवार की महिला बंगलौर में स्वामीजी के साथ रहने लगी। अपने पति से उसको चार लड़कियां थी जो अपनी मां के पास अक्सर आया-जाया करती थी। उनकी मां महंगे गिफ्ट भी बच्चों को देती रहती थी। एक दिन जब लड़की आश्रम आई तो उसने पाया कि उनकी मां वहां नहीं थी। उसको यह बताया गया कि उनकी मां मानसिक रूप से अस्वस्थ थी अत: उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब लड़की वहां गई तो इस प्रकार का कोई रोगी वहां नहीं मिला। भारत सरकार ने इस आशंका पर कर्नाटका सरकार को विस्तृत अनवेंषण करने का आदेश दिया, जो कई सालों तक चला। पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बच्चों की मां को स्वामी जी ने मारकर कहीं दफना दिया है। कोर्ट के आदेश पर घर में खुदाई की गई और औरत के कंकाल

को निकाला गया और उसके दांत सुरक्षित थे। बालों के भी सैंपल लिये गये। पीसीआर तकनीक के प्रयोग से डीएनए टेस्ट किया गया, जो उसी महिला के पाए गए। यह महिला बहुत धनी परिवार की थी और उसकी हत्या का यही कारण था। अंततः डीएनए फिंगर प्रिटिंग साक्ष्य के आधार पर स्वामी श्रद्धानंद को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई।

पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या

चंडीगढ़ में सेक्रेटेरिएट में मानव बम द्वारा मुख्यमंत्री बेअंत सिंह एवं अन्य 18 लोगों की हत्या हुई। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा यह स्थापित किया गया कि घटना स्थल पर जो दो पैर एक सर पाया गया वह एक ही व्यक्ति के थे। यह मानव बम दिलावर सिंह के पाए गए। न्यायालय में काफी जिरह के पश्चात् साक्ष्य को स्वीकार किया गया और पकड़े गए अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हुई।

बलात्कार के मामले में-

इनमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को एक अकाट्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है। इस हेतु अलग से गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। वीर्य और रक्त के नमूने से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द्वारा बलात्कारों की पहचान की जा सकती है। अनेकानेक बलात्कार के मामले में इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। अतः एक सामाजिक जागृति लाने की आवश्यकता है तथा अनवेषणकर्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि वे नमूने किस प्रकार उठाए जिससे उचित न्याय दिलाए जा सकें।

स्वामी प्रेमानन्द केस-

स्वामी की चेलियां श्रीलंका एवं भारत की कुछ बेसहारा लड़कियां थी जिनसे स्वामी के नाजायज संबंध थे। एक दिन आश्रम से तीन लड़कियां भाग गई और पुलिस को बताया कि उनमें से एक गर्भवती थी जो स्वामीजी के कारण हुई। उसका गर्भपात कराया गया और उसी समय माता, स्वामीजी और गर्भपात किए हुए बच्चे के रक्त के नमूने लिए गए। इसके आधार पर चौथी जेनरेशन का भी प्रयोग स्वामीजी पर किया गया। इन सभी प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि गर्भपात किए हुए बच्चे के पिता स्वामीजी ही थे। श्री लालजी सिंह फोरेंसिक एक्सपर्ट को क्रास परीक्षण किया गया और स्वतंत्रता के पश्चात् किसी पहले केस में लंदन से एक एक्सपर्ट को इस हेतु बुलाया गया। उन्होंने भी अपने टेस्ट किए। अंत में उन्होंने माना सीसीएमबी में जो टेस्ट किए गए वह काफी गहनता से किए गए हुए थे। अंततः सीसीएमबी की रिपोर्ट मानी गई। इसके आधार पर स्वामीजी को आजीवन कारावास की सजा हुई जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी अमान्य हो गई।

जच्चा-बच्चा केन्द्र में बच्चे बदलने के मामले-

भारत में आजकल ऐसी अनेक शिकायतें आ रही हैं। केरल में एक बच्चे की मां ने बताया कि उसने लड़के को जन्म दिया था जिसे बाद में लड़की में बदल दिया गया। अपनी स्त्री के जोर देने पर पति ने सीसीएमबी में आकर डीएनए फिंगर प्रिंट कराने का निर्णय लिया। इसमें आधुनिक एसटीआर तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वह बच्चा उनका नहीं था। इससे यह सूचित होता है कि जब आप जच्चा-बच्चा केन्द्र जाएं तो अपने जन्में बच्चे को ही लाएं।

नारायण दत्त तिवारी के बच्चे का मामला-

उनके पुत्र शेखर ने यह गंभीरता से जगजाहिर कर दावा किया कि वह श्री नारायण दत्त तिवारी का असली पुत्र है। न्यायालय ने इसमे डीएनए फिंगर प्रिंट कराया, जिससे उसका दावा सही पाया गया और अंत में श्री तिवारी को शेखर को अपना पुत्र स्वीकार करना पड़ा।

इस तरह के लगभग 500 से ज्यादा मामले डीएनए परीक्षण विधि के जरिए सुलझाए जा चुके हैं। इनमें से कई मामले तो इतने पेचीदा थे कि अगर डीएनए परीक्षण विधि मौजूद नहीं होती तो शायद ही उन्हें सुलझाया जा सकता। ऐसे में कहा जा सकता है कि डीएनए जांच परीक्षण वास्तव में वह परीक्षण विधि है जो तब अकाट्य सुबूत ढूंढ़ लेती है जब पारम्परिक तरीके सुबूत हासिल करना असम्भव होता है।

वास्तव में आज डीएनए रक्त परीक्षण एक ऐसा वाक्य है जो हर पढ़े लिखे आदमी के जुबान पर है। डीएनए परीक्षण विधि अब अदालत और वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, हमारे देश के आम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अनजानी चीज नही रह गई है।

फोरेंसिक अनुसंधान का भविष्य-

वैज्ञानिकों ने विश्व के 23 मिलियन डेटाबेस एसएनपी बना लिए हैं और डीएनए चिप बनाने के हेतु प्रयास रत है। इसके आधार पर अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। कुछ सालों में यह विकसित तकनीक प्रयोग में आ जाएगी और कुछ ही घंटों में विश्लेषण का कार्य भी पूरा किया जा सकेगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग आज पूरे विश्व में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस हेतु सीसीएमबी में अब नई-नई मशीनें उपलब्ध हैं तथा अन्य नई तकनीकों को विकसित किया जा रहा है। अत: आने वाले अगले 5 वर्षों में यह क्या स्वरूप लेगा, अभी से यह कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। शायद असम्भव से भी सम्भव हो सकता है। अनुसंधानकर्ता यह भी कह रहे हैं कि डीएनए तकनीक से अपराधियों के मगसॉट्स बनाए जा सकते हैं, जो सुबूत वह छोड़ता है, उसके आधार पर उसकी फोटो बनाई जा सकती है, जिससे यह पहचाना जा सके कि वह किस प्रकार का दिखेगा। इस तकनीक के द्वारा दो लोगों के डीएनए को मिश्रित करके यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि उनके बच्चे का स्वास्थ तथा शारीरिक लक्षण क्या होंगे। क्रेडिट कार्ड में भी नानो फिंगर प्रिंट्स समाहित करने की प्रक्रिया विकसित कर ली गई है जिससे उनकी नकल न की जा सके। अब एक नई तकनीक के अनुसार यह साबित किया जा सकता है कि एक हजार वर्ष पूर्व आपके पूवर्ज किस गांव में रहते थे। ऐसी जियोग्रैफिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर (जीपीएस) का विकास कैलिफोर्निया युनिवर्सिटी में श्री इरान एलहैक द्वारा किया गया।

इस प्रकार विज्ञान द्वारा विकसित डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक सटीक साक्ष्य है जो अबूझ पहेलियों को सुलझाने में काफी महत्वपूर्ण है।

पुलिस सुधारः चुनौतियां और समाज एवं मीडिया की भूमिका

डा. कुंजन आचार्य, असिस्टेंट प्रौफेसर, **देवेन्द्र शर्मा,** शोधार्थी, पत्रकारिता विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रस्तावना-

पुलिस जितनी पारदर्शी, संवेदनशील और स्मार्ट होगी उस देश की तरक्की की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। भारत में लंबे समय से पुलिस सुधारों की जरुरत महसूस की जा रही है। तमाम कोशिशों भी हुई लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। तीस साल से ज्यादा समय से सरकार की ओर से गठित समितियां और आयोग पुलिस सुधारों की दिशा में काम कर रहे हैं। पुलिस के कामकाज और रवैए को लेकर कोर्ट भी कई बार निर्देश दे चुका है लेकिन कोई असर नहीं दिखा है 1979 में गठित नेशनल पुलिस कमीशन के ज्यादातर महत्वपूर्ण सुझाव किसी भी सरकार ने लागू नहीं किए। रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह और एन के सिंह की जनहित याचिका पर 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें पुलिस सुधारों से संबंधित 7 प्रमुख निर्देशों को लागू करें। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में ये फैसला भी बेअसर साबित हुआ। कोई गंभीर अपराध होने पर राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और मीडिया जोर-शोर से पुलिस सुधारों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। दिल्ली के निर्भया कांड में पुलिस की असंवेदनशीलता के बाद पुलिस सुधारों की जोर-शोर से वकालत की गई लेकिन हालात ज्यादा नहीं बदले।

1. पुलिस सुधार की दिशा में बड़ी रुकावटें-

पुलिस सुधार में ऐसी कई बाधाएं जिनकी वजह से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास कारगर साबित नहीं हो पाते।

1.1 जनता में पुलिस की नकारात्मक छवि-

जनता में पुलिस की छवि इस तरह की बनी हुई कि पुलिस का सिर्फ डंडा बोलता है। इस छवि के लिए पुलिस के निचले स्तर के ही नहीं बल्कि बड़े अफसर भी जिम्मेदार हैं। एक तरफ पुलिस सुधारों की बात होती है दूसरी ओर आए दिन होने वाली पुलिस ज्यादती की घटनाएं तमाम कोशिशों पर पानी फेर देती है। इस संदर्भ में हाल ही की ताजा घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है। 23 फरवरी 2016 को लखनऊ में डीआईजी स्तर के अधिकारी ने अपनी पिता की उम्र के बुजुर्ग को भरे बाजार में इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो जाम में फंस गए थे। मीडिया में दिखाई तस्वीरों में डीआईजी साहब के थप्पड़ की गूंज साफ सुनाई दे रही थी लेकिन जनता में पुलिस के खौफ का मंजर ये है कि पीड़ित बुजुर्ग ने इस बात से ही इनकार कर दिया कि उन्हें किसी ने मारा है। हरियाणा मे जाट आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने कई महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म किया। महिलाओं ने किसी तरह खेतों और ढाबों में छिपकर अपनी जान बचाई। पंजाब-हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र टिब्यून के मुताबिक पुलिस ने बदनामी का हवाला देकर महिलाओं से मामला दर्ज करवाने के लिए मना किया। पुलिस की असंवेदनशीलता, डंडे का डर और अपनी गिरेबां बचाने की कोशिश के ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस सुधारों की कछुआ चाल पर पुलिस की मनमानी की रफ्तार भारी पड़ रही है।

सितंबर 2016 में भी लखनऊ में थाना इंचार्ज और एक इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग टाईपिस्ट का टाइपराइटर लात मारकर तोड़ दिया था। मीडिया की बदौलत ये मामले सामने आ पाते हैं नहीं तो आम लोगों की तो पुलिस के सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं। ऐसे एक ही नहीं बल्कि सैंकड़ों मामले गिनाए जा सकते हैं जब पुलिस ने आम जनता या फिर पीड़ित से ही ज्यादती की।

1.2 मीडिया में पुलिस की नकारात्मक छवि-

पुलिस को जनता की रक्षक का दर्जा है तो लोकतंत्र

के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया पुलिस और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में मीडिया में पुलिस की जैसी छवि होगी उसकी अहम भूमिका है। ये कहने की जरुरत नहीं कि भारत में मीडिया में पुलिस की छवि नकारात्मक ही है। किसी दिन का अखबार ऐसा नहीं होगा जिसमें पुलिस की संवेदनहीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार या दूसरे अपराधों में शामिल होने से जुड़ी खबरें नहीं होंगी। किसी भी न्यूज चैनल पर इस तरह की खबरें हमेशा देखी जा सकती है।

आम जनता से ही नहीं बल्कि मीडिया से जोर आजमाइश में भी पुलिस पीछे नहीं रहती। नियमों का हवाला देकर मीडिया को उसके काम से रोका जाता है। पिछले साल अलवर जिले के एक गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मीडिया से ना सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मारपीट और कैमरे में तोड़फोड़ भी की। एएसपी स्तर के एक अधिकारी ने पत्रकारिता को दुकानदारी कहते हुए मौके से भागने के लिए कह दिया। शायद उन्हीं की शह पर उनके कांस्टेबल ने मीडियाकर्मियों से मारपीट कर डाली। नवंबर 2014 में हरियाणा में रामपाल के आश्रम पर पुलिस कार्रवाई की कवरेज कर रहे पत्रकारों को पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ा। जयललिता से जुड़े एक मामले में चेन्नई पुलिस ने महिला पत्रकारों से भी जमकर बदसलूकी की। ये घटनाएं पुलिस की साख को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बट्टा लगाती है। कुछ पुलिसकर्मियों की ऐसी ही हरकतों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है और पुलिस के अच्छे काम भी दब जाते हैं। हालांकि कई बार मीडिया भी अपने हितों के लिए सीमाओं का अतिक्रमण करता है। लेकिन वो पुलिस से बदसलूकी या फिर मारपीट नहीं करता।

1.3 पुलिसकर्मियों की शिक्षा का स्तर और कामकाज का माहौल-

निचले स्तर पर पुलिस में भर्ती को लेकर अक्सर समाज सेवा या फिर इज्जत का पेशा चुनना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से पैसा कमाने की सोच होती है। कई तो ऐसे होते हैं जिनकी नींव ही फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर तैयार होती है। पढ़ाई-लिखाई और डिग्री में फर्जीवाड़े से लेकर नौकरी के लिए रिश्वत दी जाती है और फिर कामकाज का माहौल भी इसी तरह का मिलता है तो उन्हें यही हकीकत लगने लगती है और अपने खर्चों की भरपाई के लिए जनता को लूटा जाता है। पढ़ाई का स्तर और कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं होने की वजह से पुलिसकर्मी ना तो पद की गरिमा समझते हैं और ना ही अपना कर्तव्य। डंडा फटकारना और जेब गर्म करना ही उनकी पहचान बन जाती है। ये बात सही है कि निचले स्तर पर पुलिसकर्मियों का वेतन और सुविधाएं काफी कम होते हैं लेकिन ये भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं है। पुलिसकर्मी सोच-समझकर ही सेवा में आते हैं ऐसा नहीं है कि भर्ती के वक्त उनसे वेतन-भत्तों के बारे में कुछ छिपाया जाता हो।

1.4 पुलिस की अपराधियों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार-

अपराधियों की पुलिस से सांठगांठ का सबसे ताजा और सटीक उदाहरण है राजस्थान की अजमेर जेल में बंद गैंगस्टर आनंदपाल की पेशी के दौरान फरारी का मामला। सितंबर 2016 में आनंदपाल को भगाने के लिए पुलिसकर्मियों ने जो फिल्मी ड्रामा रचा उसके दाग राजस्थान पुलिस अब तक नहीं धो पाई है। पैसे के दम पर आनंदपाल ने पुलिसकर्मियों को जेब में कर रखा था। इस पूरे मामले में सिस्टम की खामियां और गंभीर लापरवाही भी सामने आई। आनंदपाल को पेशी पर लाने-ले जाने के लिए लगातार पुलिसकर्मियों की एक ही टीम भेजी जाती थी। अजमेर जेल को आनंदपाल की फरारी से पहले ही इसकी आशंका का इनपुट मिल गया था लेकिन लिखित पत्र का जवाब देने और गंभीरता समझने से पहले ही अपने प्लान के मुताबिक आनंदपाल फरार हो गया। मामले में आए दिन नए-नए खुलासे होते रहते हैं। आनंदपाल के गुर्गों ने फर्जीवाड़ा कर पासपोर्ट बनवाया और दुबई गए। फर्जी गांव का नाम देकर पासपोर्ट बनवाया गया। जो पुलिस पासपार्ट और दूसरे वेरिफिकेशन

के लिए आम आदमी को उलझाकर रख देती है उसने गुंडों के पासपोर्ट के लिए दिए गए पते का थाने में बैठ-बैठे ही वेरिफिकेशन कर दिया।

2. निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की मुसीबतें और मजबूरियां-

कानून व्यवस्था बरकरार रखने और अपराधों से निपटने के अलावा भी पुलिसकर्मियों की कई अन्य समस्याएं हैं। पुलिस के सामने आए दिन नई-नई चुनौतियां खड़ी ही रही हैं।

2.1 आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे और आंदोलन

देश में आए दिन होने वाले आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद और एक नया टर्म आरक्षणवाद। इनसे निपटना पुलिस के लिए नई और बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस डंडे बरसाती है। देखा जाता है कि पुलिस महिलाओं को भी नहीं बख्शाती। हालांकि ऐसी घटनाओं में पुलिस पर कई तरह के दबाव भी रहते हैं साथ ही अपनी सुरक्षा भी करनी होती है। कई बार भीड़ उग्र हो जाती है और पुलिस पर पथराव भी कर देती है। ऐसे में अपने लिए पुलिस क्या कदम उठाए और कैसे हालातों को काबू करे ये एक बड़ चैलेंज होता है। यहां तक कि पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने और उनकी जान तक लेने के मामले सामने आते हैं ऐसे में पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ती है। 2014 में सवाईमाधोपुर जिले में दो गुटों के झगड़े में एक पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। भीड़ का ऐसा व्यवहार पुलिसकर्मियों को सख्ती दिखाने पर मजबूर कर देता है और उपद्रवियों को काबू करने के लिए उनकी मानसिकता पर भी असर डालता है। जान हर किसी की कीमती है फिर चाहे वो जनता हो या फिर पुलिसकर्मी। ना जनता पुलिस की ज्यादती बर्दाश्त करने के लिए है, ना ही पुलिसकर्मी अपनी जान गंवाने के लिए। किसी डॉक्टर, वकील, ड्राइवर, शिक्षक या अन्य किसी पेशेवर से कोई बदतमीजी कर दे या हाथ उठा दे तो सब काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन शुरु कर देते हैं लेकिन पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकते। अपनी मांगों को लेकर दूसरे पेशे के लोग हड़ताल कर देते हैं लेकिन पुलिसकर्मी ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। पुलिस की नौकरी कोई सजा नहीं है बल्कि वो भी दूसरे पेशे के लोगों की तरह जनहित की ही सेवा करते हैं। धरना-प्रदर्शन और आंदोलन जनता का अधिकार है तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की ड्यूटी। ऐसे में दोनों सीमाओं में रहकर अपना काम करें तो हालात बिगड़ने से रोके जा सकते हैं। अपराधियों का पीछा करते वक्त या फिर दूसरी वजहों से पुलिस वालों पर आए दिन हमले होते रहते हैं।

2.2 उच्च अधिकारियों की मनमानी और संवादहीनता-

हैड कांस्टेबल स्तर के एक पुलिसकर्मी से गैर आधिकारिक बातचीत में सामने आया कि अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर चाहे वो गलत हो या सही उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परेशान किया जाता है। अधिकारी या तो बात ही नहीं करते, करते हैं तो सीधे मुंहे नहीं। अधिकारियों से दोस्ताना नहीं बल्कि डर का माहौल रहता है। कुछ को छोड़कर ज्यादातर अफसर निचले स्तर के कर्मियों से उनकी समस्याओं के बारे में कभी बातचीत नहीं करते। उनकी हालत जानने की कभी कोशिश नहीं करते। ऐसे में सामंजस्य में काफी दिक्कतें आती हैं।

3 पुलिस सुधाारों में मीडिया की भूमिका-

सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाकर ही नहीं बल्कि सकारात्मक खबरें दिखाकर भी मीडिया पुलिस सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर पुलिसकर्मी एक जैसा होता है और पुलिस कोई अच्छा काम नहीं करती। पुलिस की कमियों वाली रिपोर्ट दिखाकर और पुलिस की खराब इमेज का फायदा उठाकर मीडिया टीआरपी तो बटोरना चाहती है लेकिन पुलिस के प्रशंसनीय कामों को दिखाने में उतनी दिलचस्पी नहीं

दिखाती। क्योंकि मीडिया को लगता है कि जनता में पुलिस की जो छवि है ऐसे में उसके अच्छे कामों को देखने में भला कौन रुचि लेगा। पुलिस की प्रशंसा करना और सुनना मीडिया और जनता की शायद आदत नहीं है। लेकिन इस माहौल से निकलकर मीडिया को निष्पक्ष रुप से रिपोर्टिंग करनी होगी। प्रिंट मीडिया कुछ हद तक ऐसा करता भी है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह की खबरों को उतना तवज्जो नहीं देता।

- आपराधिक मामलों में पुलिस की सफलता का जिक्र तो होता है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह पुलिस की खिंचाई की जाती है। अच्छे कामकाज को लेकर भले ही कभी-कभी पुलिस की पीठ थपथपाई जाती है लेकिन बात किसी विशेष पुलिसकर्मी की नहीं बल्कि महकमे की होती है। ऐसे में पुलिसकर्मी हतोत्साहित होते हैं।
- हाल ही में उदयपुर थाने के निरीक्षण में एडीजी ने जमकर तारीफ की और दस में से दस नंबर दिए। अखबारों में ये खबर थी लेकिन शायद ही किसी टीवी चैनल ने इसे दिखाया हो। ये खबर ना सिर्फ दिखाई जानी चाहिए बल्कि इसके कामकाज के तरीके और सफलता को विस्तार से बताते हुए दूसरे थानों को भी यहां के वर्क कल्चर और सिस्टम को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे ना सिर्फ पुलिस का मनोबल बढ़ेगा बल्कि एक बेहतर माहौल बनेगा और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का और ज्यादा अहसास होगा।
- पुलिस लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने जैसे कई सामाजिक कामों में भी भागीदारी निभाती है। पुलिस के ऐसे कामों को मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए जिससे पुलिस की छवि सुधरेगी और जनता पुलिस को अपने करीब महसूस कर पाएगी।
- पत्रकार पुलिस थाने जाकर अपराधों और कार्रवाइयों की जानकारी लेने में तो दिलचस्पी रखते हैं लेकिन इसमें नहीं कि पुलिस की क्या परेशानियां हैं। पुलिस और मीडिया एक दूसरे का काम आसान कर सकते हैं। देश के हाईप्रोफाइल मामलों जैसे शीना वोरा मर्डर केस, आरुषि मर्डर केस, जेसिका लाल केस और प्रियदर्शिनी मट्टू केस में मीडिया ने ऐसा किया भी है। इन मामलों में मीडिया ने वो तथ्य और वो लोग खोज निकाले जिनके बारे में पुलिस ने शायद सोचा भी नहीं था। ये मीडिया एक्टीविज्म का ही असर है कि ऐसे कई प्रमुख केसों में पीड़ित को इंसाफ मिल पाया और दोषी सलाखों के पीछे पहुंच सके।
- पुलिस को भी मीडिया से अपने संबंधों के बारे में सोचना होगा और इसके लिए रणनीति तैयार करनी होगी। कई मामलों में मीडिया पुलिस से पहले पहुंच जाती है और कई मामलों की जानकारी पुलिस को मीडिया रिपोर्ट से ही मिलती है। लेकिन पुलिस फिर भी इसका इंतजार करती है कि कोई शिकायत करे बजाय इसके पुलिस को स्वत: संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिससे पीड़ित को इंसाफ भी मिल सके और मीडिया को भी पुलिस की शिकायत का मौका ना मिले। इसके लिए पुलिस को अपने जनसंपर्क विभाग को मजबूत करना होगा। पुलिस की कार्रवाई और विभाग के किसी भी पुलिसकर्मी की कामयाबी भले ही वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल तुरंत मीडिया तक पहुंचाई जानी चाहिए। मीडिया से समय-समय पर चर्चा होनी चाहिए और एक-दूसरे की वजह से होने वाली परेशानियों के समाधान का निष्कर्ष निकलना चाहिए। पुलिस और मीडिया ऐसी ताकतें हैं जो बेहतर तालमेल से काम करें तो ना सिर्फ दोनों का काम आसान होगा बल्कि समाज को भी फायदा होगा।

- पत्रकार पुलिस नहीं बन सकते लेकिन पुलिस पत्रकार की तरह भी काम कर सकती है। पत्रकारों की तरह पुलिस को भी अपने स्रोत विकसित करने होंगे जिससे समय रहते पुलिस को सही जानकारी मिल सके और अपराध रुक सकें।

4. पुलिस सुधारों में समाज की भूमिका-

कहा जाता है कि पुलिस जनता के लिए होती है जनता पुलिस के लिए नहीं। लेकिन जिस तरह जनता डॉक्टर और शिक्षकों को सम्मान देती है उसी नजर से पुलिस को भी देखना होगा। सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में हम दूसरे पेशों से जुड़े लोगों को शामिल करते हैं लेकिन पुलिस से बचते हैं। कहा जाता है कि पुलिस की दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी बेकार। लेकिन ये मानसिकता बदलनी होगी। पुलिसकर्मी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं बल्कि हमारे ही बीच के लोग हैं। हम क्यों नहीं पुलिस को स्कूलों के सम्मान समारोह, वार्षिकोत्सव या फिर उद्घाटन समारोहों में आमंत्रित करते हैं। सामाजिक और स्वंयसेवी संगठन और जनता डॉक्टर, शिक्षकों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों का सम्मान करते हैं लेकिन क्या कोई पुलिसकर्मी अच्छे काम के लिए इसका हकदार नहीं। क्या अच्छे काम के लिए पुलिस की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। जरुरत पड़ने पर हमें पुलिस के खिलाफ आवाज भी उठानी होगी तो वक्त आने पर पुलिस का समर्थन भी करना होगा। राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक कामों से जुड़ी हस्तियों की बायोग्राफी लिखी जाती है लेकिन एक ईमानदार और बेदाग पुलिसकर्मी पर किताब लिखना शायद किसी को पसंद नहीं। पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल के लिए ना सिर्फ पुलिस बल्कि जनता भी जिम्मेदार है। जिस तरह स्कूलों के विकास के लिए भामाशाह राशि देते हैं उसी तरह क्या पुलिस थानों के विकास के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस जितनी सशक्त होगी समाज उतना ही सुरक्षित होगा।

5. पुलिस वेलफेयर

पुलिस को सक्षम बनाने और छवि सुधारने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है पुलिस के भी मानवाधिकार हैं और पुलिस भी हेल्दी और फ्रेंडली वर्क कल्चर की हकदार है। पुलिस थानों की सूरत और माहौल कॉरपोरेट की तरह होना चाहिए। पुलिसकर्मियों को भी समय-समय पर अवकाश और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। पुलिसकर्मियों के जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ और बच्चों के जन्म दिन पर उन्हें भी विभाग और उच्च अधिकारियों की ओर से बधाई दी जानी चाहिए। समय-समय पर चिकित्सा परीक्षण और दूसरे कैंप लगने चाहिए। अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। सिर्फ आला अधिकारियों को ही नहीं बल्कि निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को भी सम्मेलन और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए ताकि उनकी सोच और समझ विकसित हो सके और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आ सके। किसी कार्यक्रम में शामिल वीआईपी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी घंटों तक बाहर बैठकर इंतजार करते रहते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए तो उन्हें कई तरह से फायदा होगा। रिसर्च पर जोर दिया जाना चाहिए। अच्छे थानों की रिपोर्ट तैयार कर कमजोर प्रदर्शन वाले थानों के लिए उन्हीं के मुताबिक प्लान तैयार किया जाना चाहिए। बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को कमजोर प्रदर्शन वाले थानों में रोटेट किया जाना चाहिए लेकिन पुलिसकर्मी की सुविधा का ध्यान रखते हुए। ऐसा ना हो कि हालात ऐसे हो जाएं कि अच्छे काम को पुलिसकर्मी मुसीबत मानने लगें।

6. अपने दम पर सक्षम बने पुलिस

उम्मीद जब खुद से हो तो ताकत बन जाती है और दूसरों से हो तो कमजोरी बन जाती है। पुलिस को इसे ताकत बनाना होगा और कई मामलो में सरकार या किसी और का मुंह नहीं ताककर खुद कदम बढ़ाने होंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास हासिल करना और अपनी छवि सुधारना। इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों को मिलकर काम करना होगा। थानों का डरावना माहौल

निजी ऑफिस जैसे माहौल में बदलना होगा जो पुलिस खुद ही कर सकती है। थाने आने वाले फरियादियों के बैठने की व्यवस्था से लेकर पानी और टॉयलेट के इंतजाम करने होंगे। फरियादियों को जल्द से जल्द अटेंड करने के इंतजाम पुलिस को खुद करने होंगे। हर थाने में महिला पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करनी होगी और महिला फरियादियों को असुविधा ना हो। पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा और काम के बाद जनता को निष्पक्ष फीडबैक का मौका भी देना होगा जिसके लिए थाने में बॉक्स बनाए जा सकते हैं जिनमें थानों के कामकाज को लेकर लोग अपनी राय और सुझाव दे सकें। उच्च अधिकारी की मौजूदगी में महीने में एक बार ये बॉक्स खुले और ईमानदारी से चर्चा हो। रेल बजट में रेल मंत्री ने सवाई माधोपुर और उदयपुर स्टेशनों पर आर्ट वर्क की तारीफ की। रेलवे स्टेशनों की तरह पुलिस स्टेशनों की सूरत भी बदली जा सकती है। पुलिस स्टेशनों में भी लोकल मॉन्यूमेंट या लैंडमार्क और पुलिस-जनता समन्वय को दर्शाने वाली पेटिंग बनाई जा सकती है। जिस तरह सरकारी आफिस में आर.टी.आई से संबंधित जानकारी वाले बोर्ड लगे रहते हैं उसी तरह थानों में भी सामान्य नियम कानूनों को आसान भाषा में प्रदर्शित किया जा सकता है।

7. सोशल मीडिया और पुलिस सुधार-केस स्टडी

सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पुलिस ना सिर्फ काम का बोझ कम कर सकती है बल्कि अपराधियों तक पहुंच सकती है और जनता को भी बेहतर सुविधा दे सकती है। कई शहरों की पुलिस ये काम बखूबी कर रही है और बाकी हिस्सों में भी पुलिस को इसे अपनाना चाहिए।

- इस साल 18 फरवरी को कोयम्बटूर पुलिस ने व्हाट्स एप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया। इसके जरिए शहर के लोग अपने इलाके में असामाजिक गतिविधियों की जानकारी टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, वीडियो या आडियो के जरिए दे सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रुम में ये नंबर मॉनीटर किया जाता है। इससे पुलिस को तुरंत और सही सूचना मिल पाती है। सूचना देने वाले को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए आने को मजबूर नहीं किया जाता। पुलिस सूचना भेजने वाले को जवाब भी देती है और पहचान गुप्त रखती है।
- बैंगलुरु, हैदराबाद और केरल में भी इसी तरह की शुरुआत हुई है।
- महाराष्ट्र में जुलाई 2015 में व्हॉट्स एप के जरिए पुलिस ने शिकायतें लेना शुरु किया जिसे जबरदस्त समर्थन मिला। 20 जुलाई से 3 नवंबर 2015 के बीच अकेले औरंगाबाद में 1600 शिकायतें रजिस्टर्ड हुईं।
- मुंबई पुलिस दिसंबर 2015 से यही काम ट्विटर के जरिए भी कर रही है। ट्वीट के जरिए शिकायत मिलने पर पुलिस शिकायतकर्ता से संपर्क कर जानकारी जुटाती है और संबंधित थाने को भेजकर कार्रवाई के लिए निर्देश देती है। ट्विटर हैंडल पर तीन शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी रखी जाती है ताकि कोई शिकायत अनदेखी ना रह जाए। इस दिशा में लगातार काम जारी है।
- मुंबई ट्रैफिक पुलिस व्हॉट्स एप हेल्पलाइन के जरिए हादसों, ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याओं की शिकायतें दर्ज कर रही हैं। वहीं व्हॉट्स एप के जरिए लोग ट्रैफिक, पार्किंग एरिया और ट्रांसपोर्ट किराए जैसी जानकारियां भी ले सकते हैं।
- अगस्त 2015 में गोवा पुलिस ने भी ऐसा एप शुरु किया जिसके जरिए किसी भी घटना का वीडियो या पिक्चर सीधे पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। रेफरेंस आईडी के जरिए शिकायत को ट्रैक भी किया जा सकता है। शीना वोरा मर्डर केस में खार पुलिस द्वारा राहुल मुखर्जी की शिकायतों पर ध्यान न दिए जाने की घटना को देखते हुए गोवा

पुलिस ने ये एप लॉन्च किया।

सोशल मीडिया पर पर्सनल अकाउंट हैंडल करते वक्त पुलिसकर्मियों को आतंकियों और अपराधियों के हनीट्रैप जैसे हथियारों से भी बचकर रहने की जरुरत है, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में सेना के कुछ जवानों ने इसके शिकार होकर महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा दीं।

8. भारत में ऑनलाइन एफआईआर- केस स्टडी

26/11 के हमले से सबक लेते हुए 2009 में यूपीए सरकार ने CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो पुलिस सुधारों की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके तहत देशभर के करीब 1500 थानों और पुलिस से संबंधित 5000 दूसरे ऑफिसों को एक-दूसरे से जोड़कर पुलिस का काम पेपरलैस करना है और 100 फीसदी ऑनलाइन एफआईआर प्रक्रिया शुरु करनी है। एफआईआर के अलावा जांच और चार्जशीट संबंधी आंकड़े भी ऑनलाइन किए जाने हैं। इससे पुलिस को ही नहीं बल्कि जनता को भी काफी फायदा होगा। लोग दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें थाने आने की जरुरत नहीं होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट की रफ्तार काफी धीमी है और डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2017 कर दी गई, लेकिन कई राज्यों ने इसके तहत सौ फीसदी काम शुरु कर दिया है।

- आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान, बिहार और लक्ष्दीप में प्रोजेक्ट पर काम भी शुरु नहीं हुआ है।
- गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में 100 फीसदी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा रही है।
- महाराष्ट्र में एक जनवरी 2016 से सभी थानों में ऑनलाइन एफआईआर अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही नई शुरुआत करते हुए एसएमएस कन्फर्मेशन के साथ व्हॉट्स एप पर भी एफआईआर की कॉपी भेजी जा रही है।
- उत्तर प्रदेश में भी ऑनलाइन एफआईआर सुविधा शुरु हो चुकी है लेकिन कुछ जगह दिक्कतें भी आ रही हैं। जैसे बरेली में रात के वक्त ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही क्योंकि थानों में रात के वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहते।
- इंदौर पुलिस जल्द ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे लोग वाहन चोरी की शिकायत घर बैठे ऑनलाइन करवा सकेंगे। वाहन चोरी जैसे मामलों में पुलिस आंकड़े कम करने के लिए एफआईआर से बचते हैं और रिश्वत मांगने की शिकायते भी मिलती है। ऐसे में सिस्टम सुधारने के लिए इंदौर में ये व्यवस्था शुरु की जाएगी।
- कर्नाटक के मंड्या और मैसूर शहरों में पुलिस के आईटी प्रोजेक्ट के तहत एफआईआर और चार्जशीट कोर्ट को ऑनलाइन भेजी जा रही है। चार्जशीट सीधे हाईकोर्ट के सर्वर पर पहुंचती है जहां से संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज दी जाती है और पुलिस को ई-एकनॉलेजमेंट इश्यू हो जाता है। इससे पुलिस और कोर्ट के वक्त और मैनपावर की बचत होती है। जल्द ही पूरे राज्य में ये सिस्टम लागू किया जाएगा। कई दूसरे राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखायी है।
- मोहाली पुलिस इस साल के मध्य तक एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने की दिशा में काम कर रही है। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे में इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा जिससे कोई भी संबंधित डाउनलोड कर सके।
- मई 2015 में झारखंड के चार शहरों में

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जेओएसएफ सिस्टम शुरु किया गया। इसके तहत लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस शिकायतकर्ता के पास ज्यादा जानकारी और साइन लेने जाती है जिससे इसे एफआईआर में बदला जा सके।

- सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के तहत ओडिशा पुलिस ने 9 महीने के ट्रायल के बाद अक्टूबर 2015 में ई-एफआईआर सिस्टम शुरु किया। हालांकि यहां ऑनलाइन शिकायत के बाद शिकायतकर्ता को औपचारिकताओं के लिए थाने बुलाया जाता है।
- अक्टूबर 2015 में त्रिपुरा में ऑनलाइन एफआईआर की शुरुआत हो चुकी है। यहां एसएमएस के जरिए शिकायत भेजने को ऑप्शन भी दिया गया है।
- भुवनेश्वर में 28 जनवरी 2014 को महिलाओं के लिए ICLK (INSTANT COMPLAINT LOGGING KIOSK) लॉन्च किया गया। एक एटीएम बूथ के अंदर ये डिवाइस लगाई गई जिसके जरिए महिलाएं बिना थाने जाए शिकायत दर्ज करवा सकती थीं। इस मशीन में टच स्क्रीन, जीपीआरएस कनेक्टिविटी, इनबिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन, स्कैनर और प्रिन्टर लगा है। महिलाएं ऑनलाइन एन्ट्री, वॉयस रिकॉर्डिंग और डाक्यूमेन्ट स्कैन कर शिकायत दर्ज कर सकती है। हालांकि इसे काफी कम समर्थन मिला। बैंग्लूरु में ऐसे ही कियोस्क की शुरुआत की गई है।

निष्कर्ष-

कई बेहतरीन पॉलिसी बनती हैं, कानून में आवश्यक सुधार भी होते हैं लेकिन लागू करने के नाम पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। राजनैतिक वजहों से बदलाव लागू नहीं हो पाते। लेकिन ये सोचकर सुधारों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा जारी रहनी चाहिए। जिन राज्यों या शहरों में किसी नए सिस्टम से पुलिस के कामकाज में सुधार हुआ हो उसका अध्ययन कर बाकी राज्यों और शहरों में भी लागू किया जाना चाहिए। बेहतरी के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि व्यवस्था किसी दूसरे दल की सरकार ने शुरु की है इसलिए उसे नहीं अपनाया जा सकता।

हर अंधेरी सुरंग का किनारा जरुर होता है। जब देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जा सकता है। पंजाब से आतंकवाद और श्रीलंका से लिट्टे का सफाया हो सकता है तो मनचाहे पुलिस सुधार भी हो सकते हैं भले ही फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिले लेकिन मिलना जरुर चाहिए।

मानव तस्करी : कारण और निवारण

अरूण कुमार पाठक
इलाहाबाद, उ0प्र0

मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह कृति जितनी सुन्दर है, उतनी ही कुरुप है। अपने निहित स्वार्थ के लिए मनुष्य किसी भी स्तर पर पतनशील हो जाता है। मनुष्य की पतनशील मानसिकता अपराध को जन्म देती है और इसी मानसिकता का परिणाम है- मानव तस्करी (HUMAN TRAFFICKING) मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अपराध है। मानव तस्करी को मानव दुर्व्यापार भी कहते हैं। दुर्व्यापार का अर्थ है - अवैध व्यापार, जिसे करना विधि द्वारा निषिद्ध हो।

ह्यूमन ट्रैफिकिंग शब्द में ह्यूमन का अर्थ है मानव जाति तथा ट्रैफिक शब्द का अर्थ है - व्यापार करना, खरीदना और बेचना, आदि। **ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी** में ट्रैफिक शब्द का अर्थ वाणिज्य, व्यापार, माल की बिक्री या आदान-प्रदान, हुंडी, पैसा आदि बताया गया है। स्पष्ट है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अर्थ है- मानव जाति की खरीद-फरोख्त या अवैध व्यापार। मानव जाति से आशय पुरुष, महिला, बालक तथा बालिकाओं से है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा **राजबहादुर बनाम लीगल रिमम्ब्रान्सर** ए0आई0आर0, 1953, कलकत्ता, 496 के मामले में मानव दुर्व्यापार को पारिभाषित करते हुए यह कहा गया कि यह एक बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। इसमें केवल मनुष्यों या स्त्रियों का वस्तुओं की भांति क्रय-विक्रय ही शामिल नहीं है वरन इसमें स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना भी शामिल है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 370 में मानव तस्करी (व्यक्ति के दुर्व्यापार) की परिभाषा की गयी है। इसके अनुसार, जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए-

पहला- धमकियों का प्रयोग करके, या
दूसरा- बल या किसी भी अन्य प्रकार के उत्पीड़न का प्रयोग करके, या
तीसरा- अपहरण द्वारा, या
चौथा- कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा, या
पांचवा- शक्ति का दुरुपयोग करके, या
छठा उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानान्तरित, गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है,

किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को -

(क) भर्ती करता है, या
(ख) परिवहनित करता है, या
(ग) संश्रय देता है, या
(घ) स्थानान्तरित करता है, या
(ड़) गृहीत करता है,

वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

इस धारा में शोषण का अर्थ शारीरिक या लैंगिक शोषण, दासता या अधिसंविता के समान व्यवहार या अंगों का बलात अपसारण भी शामिल है।

इस अपराध में सामान्य तौर पर सजा 07 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास और जुर्माने की है। बच्चों/अव्यस्क के मामले में यह सजा 14 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की है।

मानव दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन होती है क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि ऐसी सम्मति धमकी, बल, प्रपीड़न, कपट, प्रवंचना, शक्ति का दुरूपयोग और अपहरण द्वारा ही प्राप्त की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र के पालरेमो प्रोटोकाल के अनुसार, मानव तस्करी का तात्पर्य है, धमकी या बलपूर्वक या जोर-जबरदस्ती के अन्य तरीकों, अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी, अधिकार या निर्बलता की स्थिति के दुरूपयोग या दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति हासिल करने के लिए भुगतान या लाभ देना या प्राप्त करने के जरिए, कानूनी या गैर-कानूनी ढंग से, सीमाओं के भीतर या आर-पार, व्यक्तियों की खरीद,

भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण, पनाह या प्राप्ति। शोषण में कम से कम वेश्यावृत्ति या यौन शोषण के अन्य रूप, जबरन मजदूरी या चाकरी, गुलामी या गुलामी जैसी या अन्य प्रथाएं दासता या अंगों का निकालना आदि शामिल है। मानव तस्करी में पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक होगी।

पंजाब मानव तस्करी (निवारण) अधिनियम, 2012 की धारा-2 के अनुसार, ''अनुचित एवं गैर कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति की सीमा या आर-पार खरीद-फरोख्त, भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण आश्रय या प्राप्ति को मानव तस्करी कहते हैं।''

दक्षेस (SAARC, सार्क) समझौते, 1997 के घोषणा पत्र के अनुसार, मानव तस्करी का तात्पर्य है महिलाओं और बच्चों को उनकी सहमति या बगैर सहमति के पैसे या अन्य लाभ के लिए देश में या देश से बाहर वेश्यावृत्ति के लिए लाना-ले जाना, बेचना या खरीदना होता है।

मानव तस्करी एक संगठित अपराध है। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं यौन शोषण किया जाता है। यह एक ऐसी मानवीय त्रासदी है, जिसमें निर्दोष पीड़ित व्यक्ति दीर्घकाल तक यातनापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। यह अपराध अपराधियों के लिए अत्याधिक लाभप्रद एवं न्यूनतम जोखिम युक्त घृणित अपराध होता है।

वर्ष 1990 में मानव तस्करी का विषय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया, तब से इस विषय पर लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ, कई देशों की सरकारें व स्वयं सेवी संगठन इस अपराध की रोकथाम के लिए प्रयासरत है, लेकिन इस अपराध में कोई कमी नहीं आयी है।

भारत मानव तस्करी रोकने के लिए बहुत पहले से ही कटिबद्ध है। भारत ने वर्ष 1956 में मानव तस्करी के विरूद्ध एक विशेष अधिनियम पारित किया था, जिसका नाम **मानव तस्करी (निवारण) अधिनियम, 1956** रखा गया था। मानव दुर्व्यापार के सम्बन्ध में यदि आकड़ों का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लोगों से मानव दुर्व्यापार होता है। अफ्रीका, विभाजित सोवियत संघ के देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश आदि मानव दुर्व्यापार के बड़े हब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में मानव तस्करी के दुर्व्यापार का टर्न ओवर 7.5 बिलियन वार्षिक था। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि आयुध तस्करी तथा ड्रग तस्करी के व्यापार के टर्नओवर के बाद मानव दुर्व्यापार तीसरे नम्बर पर है।

भारत में बच्चों एवं स्त्रियों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 से वर्ष 2014 के जून माह तक देश में तीन लाख पच्चीस हजार बच्चे गायब हुए। स्पष्ट है कि हर वर्ष एक लाख बच्चे भारत में गायब हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में प्रत्येक 8वें मिनट एक बच्चा गायब हो रहा है जिसमें 55 प्रतिशत लड़कियां होती है।

मानव दुर्व्यापार के मुख्यत: तीन पहलू है:-

1. मानव दुर्व्यापार के संगठित अपराध में व्यक्तियों की भर्ती, एक से दूसरे स्थान पर संचलन (स्थानान्तरण) और आश्रय देना।
2. बलपूर्वक, कपटपूर्वक या उत्पीड़न द्वारा भगा ले जाना।
3. शोषण के लिए मानव का दुर्व्यापार करना, जैसे वेश्यावृत्ति, भीख मांगने के लिए अंग-भंग करना, यौन शोषण करना, जबरन कार्य करने हेतु मजबूर करना।

मानव तस्करी का उद्देश्य क्या है?

मानव तस्करी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है-

1. अवैध यौन व्यापार में बल, दबाव या कपट के द्वारा श्रमिक के द्वारा किसी महिला को संलिप्त होने के लिए विवश करना जैसे-बार, वेश्यालय, नृत्यगृह, मसाज पार्लर, सर्कस इत्यादि में नियोजित करना।
2. किसी व्यक्ति को बल, दबाव, या कपट के द्वारा श्रमिक के रूप में कार्य करने हेतु स्वेच्छा सम्मति देने हेतु बाध्य या प्रेरित करना तथा न्यूनतम निर्धारित पारिश्रमिक से कम पारिश्रमिक देना।

3. किसी व्यक्ति को बल, दबाव कपट या प्रलोभन के द्वारा अंग प्रत्यारोपण करने के उद्देश्य से प्रेरित करना।
4. किसी स्त्री को बल, दबाव कपट या प्रलोभन के द्वारा अपने देश के कम लिंगानुपात वाले राज्यों हरियाणा तथा पंजाब व विश्व के सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात के शेखों से विवाह हेतु प्रेरित करना।

मानव तस्करी होने का कारण-

मानव तस्करी के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं-

1. **गरीबी**- गरीबी के कारण मां-बाप द्वारा बच्चों को बेच देना,
2. **बाल विवाह**- बाल विवाह के माध्यम से मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति द्वारा यौन शोषण के लिए तस्करी करना,
3. **द्विविवाह**- दो विवाह करके पतियों द्वारा छोड़ी गयी परित्यक्त तथा विधवा महिलाओं को प्रलोभन देकर उनकी तस्करी किया जाना,
4. **अशिक्षित स्त्रियां**- अशिक्षित बालिकाओं और स्त्रियों को प्रलोभन देकर उनकी तस्करी किया जाना,
5. **बेरोजगारी से आर्थिक तंगी**- बेरोजगारी से उत्पन्न आर्थिक तंगी के कारण भरण-पोषण में आ रही कठिनाई तथा आय का कोई अन्य स्त्रोत न होने के कारण महिलाएं और बच्चे मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं।
6. **दैवीय आपदा एवं पुनर्वास**- दैवीय आपदा से बेघर हो गए लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था न होने तथा मुआवजा न मिलने से लोग मानव तस्करों के शिकार बन जाते हैं।
7. **पारिवारिक कलह**- जिन परिवारों में आपसी फूट और विवाद होता है, वहां मानव तस्कर सक्रिय होकर अपना काम करने में सफल हो जाते हैं।
8. **उपेक्षित संताने**- माता-पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा किया जाना भी मानव तस्कर के लिए लाभदायक होता है।
9. **लिंग अनुपात से विसंगति**- स्त्री-पुरूष लिंग अनुपात कई राज्यों में बहुत कम है। जहां स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरूष पर बहुत कम है, वहां स्त्रियों की मानव तस्करी करके पूर्ति की जा रही है।
10. **वेश्यावृत्ति की समाप्त न होने वाली मांग**- वेश्यावृत्ति की मांग दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। इसलिए बालिकाओं और स्त्रियों की तस्करी बढ़ रही है।
11. **आर्थिक विषमता**- समाज में बढ़ती आर्थिक खाई का मानव तस्कर अनुचित लाभ उठाकर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं।
12. **प्रभावी कानून की कमी**- मानव तस्करी रोकने हेतु किसी विशिष्ट व प्रभावी कानून के न होने से भी मानव तस्करी में वृद्धि हो रही है।
13. **सीमापार कमजोर सुरक्षा**- देशों के बार्डर पर सुरक्षा तंत्र की कमजोरी का फायदा उठाकर मानव तस्कर इसका फायदा उठाते हैं। महिलाओं व बच्चों को आसानी से उठा ले आते हैं।
14. **सुगम यातायात**- यातायात के तेज व सुगम साधनों ने मानव तस्करों को मदद की है। स्त्रियों व बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान में तत्काल पहुंचाना यातायात के साधनों द्वारा सुगम हो गया है।
15. **शहर में रोजगार का प्रलोभन**- शहर में अच्छे वेतन का लालच देकर ग्रामीण इलाकों से मानव तस्करी की जाती है।
16. **सूचना तकनीकी का विकास**- मोबाइल, इंटरनेट आदि उपकरणों ने मानव तस्करों को उनके दुर्व्यापार को बढ़ाने में मदद की है।
17. **संगठित नेटवर्क**- मानव तस्करों का एक संगठित गिरोह है। जिसका संजाल देश-विदेश तक फैला हुआ है।
18. **कमजोर पुलिस तंत्र**- मानव तस्करी के इस अपराध पर बहुत दिन तक पुलिस का ध्यान ही नहीं था, अब इस पर पुलिस में जागरूकता आयी

है तथा जिले स्तर पर मानव तस्करी रोकथाम इकाई (AHTU) स्थापित की गयी है।

19. **अभियोजन में पीड़ित की चुप्पी**- न्यायालय में पीड़ित अधिकतर चुप ही रहते है, जिसका लाभ भी मानव तस्करों को मिलता है।

मानव तस्करी के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारण-

मानव तस्करी के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारण निम्नवत है-

1. गरीबी
2. अशिक्षा
3. रोजगार का अभाव
4. परिवार का कलुषित वातावरण
5. भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था का न होना
6. महिलाओं का निम्न जीवन स्तर
7. संयुक्त परिवार टूटने से घटती सामाजिक सुरक्षा
8. महिलाओं के विरूद्ध बढ़ती हिंसा
9. धन के बदले यौन सम्बन्ध बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति
10. प्राकृतिक आपदाओं के कहर से रहने, खाने, जीवनयापन में कठिनाई होना
11. कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति, आदि।

मानव तस्करी की मांग जिन कारणों से बढ़ी है, ये कारण निम्नवत हैं-

(1) **सेक्स टूरिज्म/यौन इच्छा में वृद्धि**- शहरी क्षेत्रों में पुरूषों के विस्थापित होने के कारण उनकी यौन इच्छा के लिए वेश्यावृत्ति में वृद्धि हो रही है। सेक्स टूरिज्म का नया कांसेप्ट विकसित होने के कारण भी यौनेच्छा की पूर्ति के लिए स्त्रियों/बालिकाओं की मांग बढ़ी है। इसके अतिरिक्त एच.आई.वी/एड्स और अन्य संक्रमित रोगों से बचने के लिए लोगों में कम आयु की बालिकाओं की मांग बढ़ी है।

(2) **विवाह एवं दत्तक के लिए**- विवाह करने या विवाह कराने तथा दत्तक ग्रहण करने या दत्तक ग्रहण कराने के लिए भी मानव तस्करी की जा रही है।

(3) **मनोरंजन के लिए**- सर्कस, नाच, गाने, नृत्य की मंडली या ऊंट दौड़ में लगाने के लिए भी मानव तस्करी की जा रही है।

(4) **डोमेस्टिक हेल्प के लिए**- घरेलू कार्यों के लिए नियोजित करने के उद्देश्य से भी मानव तस्करी की जा रही है।

(5) **लैंगिक शोषण के लिए**- वेश्यावृत्ति कराने, पोर्नोग्राफी तथा सेक्स टूरिज्म के लिए भी मानव तस्करी की जा रही है।

(6) **अंग व्यापार के लिए**- किडनी, लीवर आदि शरीर के अंगों को दूसरों को ट्रांसप्लांट कराने के लिए भी मानव तस्करी की जाती है।

मानव तस्करी के अपराध में नियोजित होने वाले साधन निम्नवत हैं-

1. बल
2. उत्पीड़न
3. दबाव
4. कपट
5. धोखा
6. प्रलोभन (पैसा या अन्य लाभ)
7. शक्ति अथवा अधिकारों का दुरूपयोग
8. धमकी
9. अपहरण आदि

मानव तस्करी के कार्य में अवैध गतिविधियां निम्नवत है:-

1. भीख मंगवाना
2. अंग प्रत्यारोपण करना
3. मादक पदार्थों की तस्करी में लगना
4. मादक पदार्थों की बिक्री में लगना
5. वेश्यावृत्ति
6. सर्कस/मनोरंजन में लगाना
7. बार/बार डांसर/मसाज पार्लर में लगाना
8. बलात श्रम
9. घरेलू नौकर, आदि

मानव तस्करी से जुड़े व्यक्ति किस प्रकार कार्य करते हैं:-

मानव तस्करी एक संगठित गिरोह द्वारा की जाती है। मानव तस्कर निम्न रूप से संगठित होकर अपने कार्य को करते हैं:-

1. कोई व्यक्ति पीड़ित को मदद का बहाना बनाकर उसे भर्ती करता है।
2. कोई पीड़ित को अपने संरक्षण में दूसरे स्थान पर ले जाता है।
3. कोई सरकारी तन्त्र को निष्प्रभावित करता है।
4. कोई जानकार और स्थानीय क्षेत्र में रहने की व्यवस्था करता है।
5. कोई पीड़ित को संरक्षण में रखता है।
6. कोई पीड़ित को संभार स्वरूप सहायता देता है, जैसे-भोजन या मकान आदि।
7. कोई पीड़ित को भुगतान हेतु धन की व्यवस्था करता है।
8. कोई पीड़ित को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की व्यवस्था करता है।
9. कोई इन सारी गतिविधियों पर होने वाला खर्च वहन करता है। जब विदेश में तस्करी की जा रही हो तब खर्च करने वाले की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
10. कोई पुलिस या अन्य की गतिविधियों पर निगरानी करता है।
11. कोई पहुंचाए गये देश में मानव के बदले पैसे एकत्रित करता है।
12. कोई इस ढंग से कमाए काले धन को वैध (व्हाइट) बनाता है।
13. कोई इन सभी गतिविधियों का आदेश देता है तथा अनुशासन बनाये रखता है।

मानव तस्करों को पहचानना बहुत कठिन है। ये पुरूष, महिला, राजनेता, वकील, सफेदपोश, प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी हो सकता है। इनकी विशेषताएं निम्नवत हैं-

1. ये कुछ ही समय में आपसे जुड़कर अपना प्रभाव जमा लेते हैं।
2. ये मेलजोल/सम्बन्ध बनाने का नाटक करने की कला रखते हैं।
3. ये गम्भीर अपराध करने का उद्देश रखते हैं।
4. ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

मानव तस्करी और कानून-

भारत सदा से ही मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध का विरोध करता रहा है। भा0दं0 संहिता, 1860 की धारा-370 में इस अपराध को पारिभाषित करते हुए इसके लिए दंड की व्यवस्था की गयी थी।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद-23 मानव-दुर्व्यापार व बलात श्रम का प्रतिषेध करता है। इसमें मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद का उल्लंघन करना अपराध है तथा ऐसा करने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 भी बनाया है जो महिलाओं एवं लडकियों के अनैतिक व्यापार के निवारण हेतु अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के तहत वेश्यावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

समाज के दुर्बल वर्गों के आर्थिक व शारीरिक शोषण का निवारण करने के लिए बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बनाया गया है।

विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रंकन अथवा किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट प्रस्तुतिकरण का प्रतिषेध और उससे संबंधित अथवा सम्पार्श्विक मामलों से निपटने के लिए स्त्रियों का अशिष्ट प्रस्तुति (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त मानव के अंगो की खरीद तथा बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए मानव अंगो और उतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 बनाया गया है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 बनाया गया है।

इसके अलावा अश्लील तथा लैंगिक प्रदर्शन कार्य वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रकाशन करने तथा उसके प्रकाशन या प्रेषण करने को **सूचना प्रौद्योगिकी** अधिनियम, 2000 की धारा- 67, 67-क तथा 67-ख में दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

गोवा बालक अधिनियम, 2003 में बच्चों की तस्करी को अपराध मानकर दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार पंजाब ने अपने यहां **पंजाब मानव स्मगलिंग (निवारण) अधिनियम, 2012** बनाकर मानव तस्करी को निषिद्ध) किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव तस्करी के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध **उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम** तथा **उ०प्र० गिरोह बन्द समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986** के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान वर्ष 2015 में अधिनियम को संशाधित करके किया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने किशोरों के लैंगिक शोषण पर रोक लगाने के लिए बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) बनाकर बालकों के संरक्षण का प्रयास किया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अस्तित्व में आने के बाद काफी प्रयास किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1951 में अपने प्रस्ताव में, जो 25 जुलाई, 1951 से लागू हुआ, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए दुनिया के राष्ट्रों के साथ समझौता किया एवं सभी देशों से इस कुप्रवृत्ति पर अपने यहां कानून बनाकर कार्रवाई करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी की समस्या पर वर्ष 1990 के बाद से तेजी से ध्यान देना शुरु किया और इसके लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (अभिसय) किए। इनका विवरण निम्नवत है-

1. Viena declaration and program of action issued by the world congress on human rights, 1993.
2. The world congress against commercial sexual exploitation of children, 1996 at Stockholm.
3. The UN protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons specially women and children, 2000 (palermo protocol).
4. The world congress against commercial sexual exploitation of children at Yokohama, 2001.
6. Optical protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography, 2000.

इसके अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कई मार्ग दर्शक निर्णय दिए हैं, ये निर्णय निम्नवत है-

(1) विशालजीत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 1412 : (1990)3 एस0सी0सी0318 : 1990क्रि0ला0ज01469, प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय ने बाल वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा तथा जोगिन परम्परा के उन्मूलन के लिए तथा लैंगिक दुरूपयोग और शोषण के रोकने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए।

(2) प्रेरणा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2003)2 महा0एल0जे0103 (बाम्बे) : (2003)2 बाम्बे एल0आर0 562 प्रकरण में मा0 मुम्बई उच्च न्यायालय ने अनैतिक व्यापार व वेश्यावृत्ति से बच्चों, अवस्यक लड़कियों तथा महिलाओं को बचाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं।

(3) सहयोग महिला मण्डल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, (2004)2 गुजरात लॉ रिपोर्टर 1764 (गुजरात) प्रकरण में मा0 गुजरात उच्च न्यायालय ने मानव तस्करी से वेश्यावृत्ति के अपराधों में लगायी गयी वेश्याओं के मूलभूत अधिकार के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किया है।

(4) विशालजीत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए0आई0आर01990 एस0सी0 412: 1990 कि0 लॉ0 ज0 1469 प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बाल दुर्व्यापार को रोकने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्गत किए हैं।

मानव दुर्व्यापार रोकने के उपाय-

मानव तस्करी तेजी से बढता हुआ संगठित उपराध है। मानव तस्करी के अपराध का निवारण करने के लिए सबसे पहले दुर्व्यापार तथा दुर्व्यापारी एवं उसके आपराधिक संजाल (नेटवर्क) का पता लगाने के साथ-साथ पीड़ित के पुनर्दुर्व्यापार को रोकना भी जरूरी होता है। इसके लिए थ्री-पी (P-P-P) प्रारूप का पालन किया जा सकता है। इस प्रारूप को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं-

(1) P-Prevention अर्थात तस्करी से निवारण।

(2) P-Prosecution अर्थात तस्कर(दुर्व्यापारी) का अभियोजन हो।

(3) P-Protection अर्थात पीड़ित की देखरेख एवं संरक्षण।

इसके अतिरिक्त सबसे पहले मांग के स्तर पर ही निवारण करना जरूरी है। मानव (पुरूष, स्त्री, किशोर, किशोरियों) की मांग करने वाले स्रोतों को चिन्हित करके उनके विरूद्व अभियोग पंजीकृत करके उन्हें कठोर दण्ड़ दिलाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इस अपराध में लगे लोग हतोत्साहित हों। मानव तस्करी में परिवहन का काम करने वाले लोगों, स्थानों आदि का चिन्हीकरण करके प्रभावी रोकथाम की जानी चाहिए। ऐसे लोगों की निगरानी मुखबिरों से करानी चाहिए। पीड़ितों से भी पूछताछ करके ऐसे लोगों, उनके यातायात के तरीकों तथा परिवहन के मार्गों का पता लगाना चाहिए तथा प्रभावी रोकथाम विधिक ढंग से की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी के स्रोत का भी पता लगाकर दुर्व्यापारी के विरूद्ध ऐसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो उसकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो।

मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए पुलिस का अन्य सरकारी विभागों से समन्वय भी बहुत आवश्यक है। महिला विकास, बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ विभाग तथा इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों से तालमेल बनाना बहुत जरुरी है। इसके अलावा सीमा पर कार्यरत पुलिस/अर्द्धसैनिक बलों जैसे बी0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आर0पी0एफ से भी समन्वय रखना चाहिए तथा इन संस्थानों में भी पुलिस की तरह मानव तस्करी रोकथाम इकाई (A.H.T.U.) की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मानव तस्करी रोकथाम हेतु सूचना देने के लिए एक हेल्प लाइन भी बनाना चाहिए। इसके अलावा पूरे देश में इस मानव दुर्व्यापार में लिप्त व्यक्तियों का एक डाटा बेस बनाना चाहिए जिसमें मानव तस्करी की प्रोफाइल मानव तस्कर के अपराध का आपराधिक संजाल (क्षेत्र) का वर्णन, उसके नेटवर्क का पूरा ब्योरा, उसके अपराध कारित करने के तरीके तथा मानव तस्कर के पीड़ित को भर्ती करने, परिवहनित करने, संश्रय देने, स्थानांतरित तथा ग्रहित करने संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं संग्रहित करनी चाहिए तथा ये सूचनाएं सभी प्रदेशों के सभी थानों तक उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि एक क्लिक से अपराधी की पूरी डिटेल मिल सके।

संयुक्त राष्ट्र संघ में संकलित वर्ष 2009 के आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी की जो लिंगवार स्थिति है उसमें 59 प्रतिशत महिलाएं, 17 प्रतिशत लड़कियां, 14 प्रतिशत पुरूष, 10 प्रतिशत किशोर तथा बच्चे वैश्विक स्तर पर दुर्व्यापारित किए जाते है। इस जघन्य अपराध की रोकथाम मात्र पुलिस एजेंसियों से नहीं हो सकेगी। समाज के लोगों को भी जागरूक होना होगा। बसों, ट्रेनों, स्टेशनों, ढाबों, होटलों में सशंकित, डरे-सहमें बच्चों, बच्चियों, महिलाओं से सहृदयता पूर्वक बातचीत करके उनकी पीड़ा जानकर तत्काल पुलिस को बताने से इस जघन्य अपराध की रोकथाम हो सकती है।

अब तक तमाम अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, मसबिदों, समझौतों, घोषणाओं, कानूनों तथा न्यायिक निर्णयों के बाद भी मानव दुर्व्यापार रूका नहीं है। यह मानव अधिकारों के लिए एक गम्भीरतम समस्या बना हुआ है। सरकारें तथा स्वयं सेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय तो हैं, परन्तु बेहतर समन्वय व कर्तवयपरायणता के अभाव में वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। मानव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने का रास्ता अभी बहुत लम्बा है, और गन्तव्य दूर, इसलिए इस हेतु उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं कहे जा सकते हैं। सरकार और समाज इसके प्रति सचेत तो है परन्तु थोड़ी और संवेदनशीलता की जरुरत है। शासन को इस जघन्य

अपराध की रोकथाम को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखना होगा, पुलिस को और संवेदनशीलता होना होगा, चुस्त और दुरुस्त होना होगा, तभी इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन एण्ड चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लायटेशन - लेखक - डॉ0 पी0एम0 नायर
2. बचपन बचाओ आंदोलन के विभिन्न लिटरेचर
3. मानव तस्करी कानून - लेखक - मो0 हसन जैदी
4. मानव तस्करी तथा कानून - हयूमन लॉ नेटवर्क की हैण्डबुक
5. मार्जन वीजर्स: राइट बेस्ड एप्रोच टू ट्रैफिकिंग, एलायन्स न्यूज इश्यू, 22 दिसम्बर 2004
6. आल इण्डिया रिपोर्टर में प्रकाशित न्यायिक निर्णय
7. क्रिमिनल लॉ जर्नल में प्रकाशित न्यायिक निर्णय

21वी शताब्दी में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में पुलिस की भूमिका का न्यायिक मूल्यांकन

आशीष श्रीवास्तव, (एम.ए.एल.एल.एम.), शोध छात्र एवं अतिथि व्याख्यता, शासकीय विधि महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.)

21 वी शताब्दी के क्षितिज में हुए विकास एवं दृश्यों से यह परिलक्षित हुआ है कि भारत के सामने परिवर्तन, व्यवस्थापन, पुनर्व्यवस्थापन तथा भारत की सुरक्षा सम्बन्धी उपायों एवं आवश्यकताओं सम्बन्धी कई चुनौतियां सामने आई हैं। इसी मध्य आवश्यकता से प्रेरित होकर उसे एक सन्तुलित परम्परा तथा सुरक्षा सम्बन्धी नवीन व्यवस्थाओं के मध्य कायम करना है।

सुरक्षा की परिभाषा विभिन्न व्यक्तियों के लिये विभिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न रही है। आधुनिक परिस्थितियों में सुरक्षा शब्द मात्र नहीं रह गया है बल्कि जीने का एक तरीका बन गया है। जैसा कि पहले समयों में था। सुरक्षा के उद्देश अब लोगों का शारीरिक शोषण से सरक्षंण, आर्थिक हानि से बचाव, छोटी मोटी चोरियों की रोकथाम और उनकी पड़ताल एवं शरीर और सम्पत्ति की सुरक्षा और असन्तुष्ट मजदूरों द्वारा मालिकों का किया गया व्यवहार यही बातें अब पर्याप्त नहीं है। नई तकनीकों तथा आर्थिक उन्नतियों ने सुरक्षा की एक नई नस्ल को जन्म दिया है और ऐसे व्यक्तियो की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। ये बुरे लोग अपने तरीकों और तकनीकों में अधिक दिखावटी हो गये हैं। इसलिये अब भले लोगों के लिये जैसे मेनेजर, पर्यवेक्षक और पेशेवर लोगों की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो गया है कि उचित तरीके की नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिये खोज की जाये।

सुरक्षा शब्द में इस अर्थ में वे सभी तत्व शामिल हैं जिनमें व्यवस्था की जिम्मेदारी हानि की रोकथाम एवं सुरक्षा है। सुरक्षा शब्द से एक विश्वास तथा राहत का भाव प्रदर्शित होता है। इस शब्द से यह भी अभिप्रेत है कि संभावित खतरे के विरूद्ध पूरी रोक लगाई जाये। विश्वास तथा राहत से यह भाव प्रर्दशित होता है कि सरक्षंण दे दिया गया है।

इस शब्द से यह भी अभिप्रेत है कि सम्भावित खतरे के विरूद्ध कोई रोकथाम लगाई जाये जिससे व्यापार, और व्यवस्था व्यवसाय की हानि रोकने की कोशिश की जाये। इनके कुछ मूलरूप से आधरभूत कार्यों में कुछ समानताओं के कारण सुरक्षा में निम्नलिखित तत्व भी आ सकते हैं।

1. अपराध की रोकथाम
2. व्यक्तिगत सुरक्षा
3. कार्य प्रणाली का संरक्षण
4. सामाजिक सुरक्षा

जिन संस्थाओं को सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकारों की रक्षा का प्रभार संविधान ने दिया है बहुधा उन्ही के विरूद्ध उनके व्यतिक्रमण का आरोप लगता रहता है। यह संभवत: हमारे देश की पुरानी कानून पद्धति प्रशासनिक ढांचे के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो लोग दैनिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को सही तौर पर रखने के कार्य में व्यस्त रहते हैं उनके समक्ष यह प्रश्न उठता है कि आज की परिस्थितियों में आपराधिक तत्व आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हैं। लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं क्या सामाजिक व्यवस्था की विखण्डता की स्थिति संविधान एवं विधि के मूल को ही खंडित नहीं करेगा।

कल्याणकारी राज्य में सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये। मानव अधिकारों की सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिये। नागरिकों, महिलाओं के प्रति सामाजिक न्याय एवं मानवअधिकारों के प्रतिपादन में पुलिस की भूमिका, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के प्रति सामाजिक न्याय और प्रतिपादन में पुलिस की भूमिका, अल्पसंख्यको के प्रति सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों के प्रतिपादन पुलिस कि भूमिका का वहन हो।

राज्य के विकास के साथ पुलिस एजेन्सी का भी विकास होता रहा है। भारत में पुलिस बल की स्थापना

पुलिस अधिनियम सन् 1861 के प्रावधानों के तहत औपनिवेशिक राज्य में की गई थी। उस समय पुलिस के कर्तव्य वह नहीं थे जो आज हैं। तत्कालीन पुलिस व्यवस्था ''विभाजन करो और शासन करो'' पर आधारित थी, जो किसी भी प्रकार ब्रितानी शासन को बनाये रखने वाली थी। यह व्यवस्था ब्रितानी दर्शन के अंतर्गत शासक वर्ग के मध्य तो लोकप्रिय थी, परन्तु सामान्य जनता में आतंक फैलाने वाली थी किन्तु स्वतंत्र भारत के बदलते परिवेश व नागरिक सुरक्षा व संरक्षण की अवधारणा के अंतर्गत पुलिस की यह भूमिका कदापि न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं कही जा सकती।

भारत में अंग्रेजी शासन आने के पश्चात् भारतीय पुलिस का पुनर्गठन पुलिस आयोग के अनुसार 1861 के पुलिस एक्ट के अन्तर्गत किया था। पुलिस का यह ढांचा ब्रिटिश शासनकाल से लगभग वैसा ही बना रहा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आयोग की मुख्य बातें इस प्रकार थी-

1. भारतीय पुलिस का नियंत्रण नागरिक शासन के अन्तर्गत होगा और उसके कर्तव्य भी नागरिक जैसे होंगे, फौजी नहीं।
2. पुलिस बल का गठन, अनुशासन भारतीय फौज के सम्मान किया जायेगा और वह कार्यकारी शासन के हाथ में केन्द्रीत रहेगा।
3. बल की आंतरिक अर्थ व्यवस्था पुलिस अधिकारियों के हाथ में होगी।

इस एक्ट के अनुसार जिला स्तर पर पुलिस बल का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक के हाथ में रखा गया है।

प्रादेशिक विभाजन के अनुसार पुलिस बल का प्रदेश स्तर पर गठन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बल का गठन नहीं किया गया। जब भारत आजाद हुआ तो उसे सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया और देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नए संविधान के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था तथा वर्तमान पुलिस प्रणाली को प्रदेश शासन को जिम्मेदारी के अंतर्गत ही रखा गया है।

''कानून एवं व्यवस्था प्रदेशों की जिम्मेदारी है इस बात का अनुमोदन भारतीय गणतंत्र के संविधान में किया गया और केन्द्र तथा प्रदेशों के लिए कार्य सूची बनाई गई। प्रदेश की सूची में सार्वजनिक व्यवस्था तथा पुलिस, जिसमें रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सम्मिलित है, शामिल किए गये। पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखे गये हैं।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान ने पुलिस तथा कानून व्यवस्था का कार्य राज्यों को सौंपा, प्रत्येक राज्य का अपना पुलिस बल है और राज्य सरकारों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य पुलिस बल को सौंपा है।

जे.सी.क्यूरी के शब्दों में-

''वर्तमान पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई है और यह देश के कानून के अनुसार आदेशों एवं योग्यता पर निर्भर है। भारतीय पुलिस व्यवस्था की अनोखी विशेषता यह है कि वह प्रान्तीय आधार पर संगठित की गई है लेकिन इसको निर्देशन, मार्गदर्शन एवं सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है इसकी भर्ती, प्रशिक्षण ओर भेजी व्यवस्था केन्द्र सरकार की है।''

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में उल्लेखित है कि सातंवी अनुसूची के अनुसार केन्द्रीय सरकार का नागरिक प्रशासन को सहयोग देने के नाम पर शस्त्र बलो पर नियंत्रण होता है

- **सातवीं अनुसूची (1)** के अनुसार भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा जिसके अन्तर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य जो युद्ध के संचालन और उसकी वापसी के पश्चात् प्रभावी सैन्य वियोजन में सहायक हो।
- **सातवीं अनुसूची 2(क)** के अनुसार केन्द्र सरकार का नागरिक प्रशासन को सहयोग देने के नाम पर केन्द्र के बलों पर किसी सशस्त्र बल या केन्द्र के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी का युनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की

सहायता में अभिनियोजन ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बल के सदस्यों की शक्तियां, अधिकारिक विशेषाधिकार और दायित्व।

- **सातवीं अनुसूची 8** के अनुसार केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होता है।
- **सातवीं अनुसूची 65** के अनुसार केन्द्र के अभिकरण और संस्थाएं जो

क. वृतिक, व्यवसाय की या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण या

ख. विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए या।

ग. अपराध के अन्वेषण या पता चलने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि केन्द्र को राज्य के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

वस्तुतः भारत में कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न केवल प्रांतो का दायित्व नहीं है बल्कि केन्द्र सरकार की भी इसमें अहम् भूमिका हैं अपराधियों, राजनेताओं तथा उच्च अधिकारियों के मध्य सम्बन्धों की जांच को लेकर बनी वोहरा समिति (1995) ने इस सम्बन्ध में यह उद्घाटित किया था कि

देश में भ्रष्टाचार, अपराध तथा सत्ता का आपस में ध्रुवीकरण हो रहा है अतः सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की बार-बार बिगड़ती स्थिति के कारण ही केन्द्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने इस सम्बन्ध में 27 नवम्बर, 1997 को निर्णय दिया है कि 'केन्द्रीय सैन्य बल (विशेष अधिकारी) अधिनियम, 1958' के अन्तर्गत राज्यों में इनकी तैनाती तथा गोली मारने के आदेश पूर्णतया वैध है क्योंकि यह कानून एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय का कहना था-''शांति व्यवस्था हेतु सेना की तैनाती कानून नहीं बल्कि एक व्यवस्था है।'' अतः अनुच्छेद-355 के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में केन्द्र सरकार न केवल अपनी ओर से अर्द्ध सैनिक बल भेज सकती है बल्कि सेना भी तैनात कर सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129, 130, 131, 132 में लोक व्यवस्था एवं प्रशांति बनाये रखने में सिविल बल के प्रयोग में जमा लोगों को तितर बितर करने जिससे लोक शांति छिन्न-भिन्न होने की सम्भावना है, को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग, जमा लोगों को तितर बितर करने की सशस्त्र बल की शक्ति पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किये गये अभियोजन से संरक्षण का वर्णन किया गया है तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का पदाधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी आदेश दे सकता है।

इन धाराओं में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखने के आदेश के अतंर्गत आदेश पुलिस आदेश होते हैं और अधिकारी के जटिल न्यायनिर्णित किये गये सबूत इसमे अनुध्यात नहीं है।

भारतीय दण्ड विधान की धारा 141 के अनुसार जहां लोकशांति विक्षुब्ध होना सम्भाव्य हो वहां पर विधि विरूद्ध जमा होने पर तितर बितर करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार सादक पदाधिकारी या उपनिरीक्षक से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी आदेश दे सकता है।

मध्यप्रदेश राज्य पुलिस ने 100 डायॅल हेण्ड बुक निर्देशिका, दूरसंचार मुख्यालय मध्यप्रेदश पुलिस भोपाल 2015 में 2 प्रकार की कानून व्यवस्था एवं सामान्य कानून व्यवस्था में पुलिस पीड़ितो की किस तरह सुरक्षा का वर्णन किया गया है।

सामान्य कानून व्यवस्था में चक्का जाम पुतला

दहन, आन्दोलन, रैली घटना प्रदर्शन, जुलुस, रोड शो जिसमें यातायात नियमन की आवश्यकता है या हिसांत्मक गतिविधि की आवश्यकता है। विशिष्ट व्यक्ति भ्रमण सर्किट हाउस व्यवस्था एयरपोर्ट सीमावर्ती स्थान आदि की सुरक्षा शामिल है।

गम्भीर कानून व्यवस्था में सनसनी खेज हत्या, डकैती, लूट, फिरौती, गम्भीर सड़क दुर्घटना, राजनीतिक संगठनों द्वारा विरोध व्यापक विरोध बंद, चक्काजाम, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, पुलिस अभिरक्षा में हिंसा, जबरदस्ती दुकान बंद कराना, यातायात, वाहन या रेल रोको आन्दोलन, गाय या जानवर का मांस या अन्य अवशेष मिलना या धार्मिक स्थल या महापुरूष की प्रतिमा का अनादर तोड़ फोड़ गंदगी फेंकना, रंग डालना आपत्तिजनक नारा लगाना, आपत्तिजनक शब्द बोलना आदि में पुलिस की भूमिका उत्तरदायित्व का अध्ययन किया जायेगा।

श्री जी.एस.भार्गव ने मध्यप्रदेश पुलिस अधिनियम एवं विनियम के पैरा 440, 441 कानून व्यवस्था से निपटने के निर्देश दिये गये हैं जिसके अध्ययन में 'पुलिस को इस बात सक्षम बनाना है कि वह लोक सुरक्षा में बल का प्रयोग आवश्यतानुसार ही करे, इनका उपयोग तब तक न करे जब तक इनका उपयोग अनिवार्य न हो।

इस सम्बंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129, 130, 131, 132 एवं 141 से 151 एवं पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 440, 441 कानून व्यवस्था से बनाना है कि वह लोक सुरक्षा में बल का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही करे तथा इनका उपयोग तब तक न करे जब तक इनका उपयोग अनिवार्य न हो।

- **येसुदासन बनाम गुरूसामी (1957) मद्रास 887 के मामले** में माननीय न्यायालय ने निधार्रित किया कि पुलिस द्वारा सुरगंत धाराओं के अंतर्गत कार्य करना चाहिए।
- **स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम पघनाम बेलिया, ए आई आर 1992 क्रि. एल. जे.634 (कर्नाटक) के मामले में** स्पष्ट रूप से निधार्रित किया गया कि गोली चलाने में कानून के निर्देशों के अधीन ही आदेश देना चाहिए। यदि कानून के निर्देश के बिना गोली चलाने का आदेश दिया गया है तो राज्य सरकार पीड़ित परिवार को प्रतिकर (मुआवजा) देगी।
- **भारतीय दण्ड संहिता** की धारा 96 से 106 व्यक्तिगत सुरक्षा एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के अधिकारो का वर्णन है और धारा 141 से धारा 151 जिसमे लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है और धारा 153(क), 153(ख) धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा एवं राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का वर्णन किया गया है। धारा 268 में लोक न्यूसेंस के सम्बंध में अपराध के बारे में वर्णित किया गया है।

भारत में व्यक्तियों को संविधान के भाग तीन द्वारा विभिन्न मानवाधिकार प्रदान किए गये हैं, जिन्हें **मूलाधिकारों** के रूप में जाना जाता है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के भाग चतुर्थ में **नीति-निदेशक** तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये दोनों भाग भारतीय संविधान की आत्मा है। ये देश के शासन में मूलभूत है।

न्यायमूर्ति डॉ बंसतीलाल बावेल ने ''भारतीय संविधान'' सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी के अनुच्छेद 21 द्वारा समस्त नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार समस्त अधिकारों में श्रेष्ठ है और अनुच्छेद 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।

यह गर्व की बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संरक्षण न केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है अपितु यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है अर्थात संविधान का अनुच्छेद 21 विश्व-कल्याण की भावना से ओत-प्रोत है। अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रयुक्त 'प्राण' शब्द का अर्थ केवल पशुवत् जीवन से नहीं अपितु

इसके अन्तर्गत उन सभी सीमाओं एवं सुविधाओं को शामिल किया गया है जिसके द्वारा जीवन का सर्वांगीण विकास सम्भव है। यह अनुच्छेद किसी भी प्रकार की निर्दयता एवं अंग-भंग अथवा शारीरिक क्षति का निषेध करता है।

यदि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की एकान्तता (प्राइवेसी) व्यावधानित की जाती है तो भी यह पुलिस निर्दयता एवं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। यह हमारे संविधान की अद्‌भूत विशिष्टता है कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त **प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में एकान्तता का अधिकार (राइट टू प्राइवेसी)** भी शामिल किया गया है। यदि पुलिस द्वारा अयुक्तियुक्त रूप में किसी व्यक्ति पर निगरानी रखती है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण, ए.आई. आर. 1991, एससी 207 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक बुरे चरित्र वाली महिला को भी 'एकान्ता' का अधिकार है पुलिस को उसके घर में इस आधार पर प्रवेश करने एवं छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है कि वह एक बुरे चरित्र की महिला है। दैहिक स्वतंत्रता मानवाधिकार का मूल है दैहिक स्वतंत्रता पदावली का अर्थ अत्यन्त व्यापक है। प्राण का अधिकार शरीर के अंगों की संरक्षा तक ही सीमित नहीं है इसमें 'मानव गरिमा' के साथ जीने का अधिकार निहित है।

जोली जार्ज बनाम कोचीन बैंक ए.आई.आर. 198 सु.को. एस.सी. 470 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक निर्धन किन्तु ईमानदार व्यक्ति जो एक कर्जदार है, उसकी इस आधार पर गिरफ्तार करना एवं जेल भेजना कि वह अपनी निर्धनता के कारण डिक्री प्रदान की गयी ऋण की अदायगी करने में असमर्थ था, संविधान के अनुच्छेद 21 एवं **''इंटरनेशनल कबीनेन्ट आन सिविल एण्ड पोलीटिकल राइट्स''** की धारा 11 का अतिक्रमण करना होगा।

इंटरनेशनल कबीनेन्ट आन सिविल एण्ड पोलीटिकल राइट्स की धारा 11 यह उपबन्ध करती है कि किसी व्यक्ति को अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में असमर्थ होने मात्र के आधार पर बन्दी नहीं बनाया जाएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 खण्ड (1) और (2) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं-

1. अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारियों के विरूद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी के कारणों को विलम्ब से दिया जाता है तो उसका पर्याप्त कारण होना चाहिए।
2. अपने रूचि के वकील से प्रतिरक्षा करवाने का अधिकार;
3. 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार-कोई भी व्यक्ति 24 घण्टे से अधिक समय के लिए पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तारी के बाद यात्रा का समय निकाल कर 24 घण्टे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।

गणपति केशव राय बनाम नफीसुल हुसैन
ए.आई.आर.1954 सु.को.636

4. 24 घण्टे से अधिक निरोध मजिस्ट्रेट के समक्ष ही हो सकता है, यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक निरूद्ध करने की आवश्यकता है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक है।

संविधान अनुच्छेद 31 से 40 में नीति के सिद्धान्तों का उल्लेख है जो राज्य के प्रत्येक अंग और प्राधिकारी को इस बात के लिए जिम्मेदार बनाते हैं कि वे इन सिद्धान्तों के अनुरूप काम करें। उन सिद्धान्तों में सम्मिलित है-स्थानीय सरकारी संस्थाओं का संवर्धन, महिलाओं की राष्ट्रीय जीवन में भागीदारी, अल्पसंख्यकों और परिवारों

का संरक्षण सामाजिक न्याय, लोगों का आर्थिक और सामाजिक कल्याण और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का संवर्धन आदि।

निष्कर्ष यह निकलता है-

- पुलिस केवल अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था रखने का साधन मात्र नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय दिलाने एवं साम्प्रदायिक सदभाव स्थापित करने एवं देश की एकता एवं अखण्डता बनाये रखने जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने का भी उत्तरदायित्व है।
- भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सामान्यतः शासन अपने नागरिकों के साथ भेदभाव पूर्व व्यवहार नहीं करेगा, किन्तु यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है ऐसी स्थिति में इसके लिए पुलिस को किस प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाये।
- महिलाओं की समस्याओं और उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों के विषय में समाज में सामान्य रूप से तथा स्त्रियों में विशेष रूप से जागृति एवं चेतना में वृद्धि हुई है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस बात को पहचाना कि महिला, कल्याण और विकास भारत में विकासशील समाज की स्थापना का अविभाज्य अंग है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता अर्थात स्त्री और पुरूष को समान अधिकार दिलाने की बात कही गई है। स्त्रियों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि स्त्री और पुरूष के बीच शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम किया जा सके। दहेज प्रथा, सतीप्रथा, बहु विवाह, अस्पृश्यता आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए कानून बनाए गए। यदि इनका उल्लघंन होता है तो पुलिस किस प्रकार कार्रवाई करे।
- उपरोक्त कारणो से पुलिस का कार्य जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तक का था, बढ़ गया। हर समस्या के लिए पुलिस को बुलाया जाने लगा है। समाज में समय-समय पर उभर कर सामने आने वाले मतभेद, तनाव व असन्तोष विभिन्न प्रकार के अपराध हिंसा अलगाववाद जैसी समस्याओं ने कानून और व्यवस्था के प्रश्न को खड़ा कर दिया। इसमें पुलिस की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया।
- पुलिस पर देश में आन्तरिक सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का भार है। पुलिस वह कार्य जनता के सहयोग से कर सकती है।
- स्वतंत्र भारत के संविधान से भारत में जिस प्रकार के समाज की कल्पना की गई थी जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता, प्रजातंत्र तथा समाजवादी समाज की स्थापना के प्रमुख आदर्श थे। भारत में विकासशील प्रभाव की यह आधारभूत अवधारणा तथा भावी चित्र है परन्तु प्रश्न यह है कि
  - क्या इन आदर्शों के अनुरूप वांछित सामाजिक परिवर्तन हो सके हैं?
  - इस मार्ग में क्या कठिनाईयां आई हैं?
  - इस दिशा में असफलता के क्या परिणाम हैं या हो सकते हैं
- इन प्रश्नों का विश्लेषण कानून व्यवस्था तथा पुलिस के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त महत्व रखता है क्योंकि भले ही पुलिस की भूमिका इन परिवर्तनों को लाने में अधिक न हो परन्तु इस क्षेत्र में हमारी असफलता से उत्पन्न सामाजिक असन्तोष तनाव व संघर्ष का सामना करने में आखिर पुलिस को ही आगे आना पड़ता है।

रिज़र्व पुलिस लाईन्सः इंतज़ार नये सवेरे का

जोरावर सिंह राणावत
उदयपुर (राज.)

राज्य संस्था के विकास के समय से ही सैन्य बलों का अपना महत्व रहा है तथा आपातकाल के लिए कुछ सैनिकों को आरक्षित रखने की परंपरा रही है, इसी परंपरा के कारण अर्द्धसैनिक बलों का विकास हुआ तथा सन् 1861 में सेना व पुलिस के पृथक होने के बाद पुलिस ने भी अपनी आवश्यकतानुसार इस परंपरा को कायम रखा। पुलिस प्रशासन में रिज़र्व पुलिस लाईन्स इसी परंपरा का परिणाम है। प्रत्येक विभाग में मुख्य कार्यपालिका को कार्य निष्पादन में विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करवाने के लिए लाईन (सूत्र) व स्टाफ (मंत्रणा) अभिकरण होते हैं। पुलिस प्रशासन में रिजर्व पुलिस लाईन्स इन्ही सूत्र अभिकरणों के रूप में कार्य करती हैं।

रिज़र्व पुलिस लाईन

रिज़र्व पुलिस लाईन की स्थापना की अवधारणा का उदय सन् 1861 के पुलिस अधिनियम द्वारा हुआ जब इस अधिनियम की धारा 13, 14 व 15 में कुछ स्थानों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल का प्रावधान किया गया था।

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक रिज़र्व पुलिस लाईन स्थापित होती है तथा इसका व्यावहारिक प्रभारी रिज़र्व पुलिस निरीक्षक होता है। रिज़र्व निरीक्षक के पास रिज़र्व पुलिस लाईन में नियुक्त सभी कर्मचारियों व उनको सौपे गये कर्तव्यों की तालिका होती है। रिज़र्व पुलिस लाईन में जिले मे कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल रखा जाता है। पुलिस लाईन्स में सिविल पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस दोनों तरह के कार्मिक होते हैं। सामान्यतः पुलिस लाईन्स में सिविल पुलिस के जिले में कुल कार्मिकों का 25 प्रतिशत व सशसत्र पुलिस का 20 प्रतिशत रिज़र्व रखा जाता है।

1. संचित निरीक्षक कार्यालय
2. संचित उपनिरीक्षक
3. लेखा शाखा
4. शस्त्रागार
5. क्वार्टर गार्ड
6. वाहन शाखा
7. स्टोर
8. आरमोर वर्कशॉप
9. केन्टीन (ड्राई व वेट)
10. मैस
11. बैण्ड (ब्रॉस बैंण्ड व पाईप बैण्ड)
12. घुड़शाला (Mounted Police)
13. बैरक
14. सहकारी भण्डार
15. चांदमारी भण्डार
16. डॉग स्क्वॉड
17. विद्युत तकनीक शाखा
18. सफाई कर्मचारी
19. नाई
20. धोबी
21. मोची
22. डिस्पेंसरी
23. आवासीय क्वार्टर
24. सभागार
25. ओपन थिएटर

कार्यप्रणाली

पुलिस लाईन कार्यों की शुरूआत हाज़िर (Roll call) से होती है जो सामान्यतः सुबह 7 बजे होती है इसमें सभी कार्मिकों को ड्यूटी वितरित की जाती है तथा सोमवार व शुक्रवार को परेड भी करवाई जाती है। वापस सांयकाल में गर्मी में 7 बजे व सर्दियों में 6:30 बजे हाज़िरी होती है। इसके अतिरिक्त जिन कार्मिकों को

ड्यूटी वितरित नहीं की जाती उनकी दिन में दो बार 12 बजे व 4 बजे अतिरिक्त हाज़िरी होती है। आपात स्थिति में ड्यूटी के लिए कार्मिकों को एकत्रित करने के लिए कॉल व्हिसल (Call whistle) या बिगुल कॉल बजाई जाती है। जिन कार्मिकों को ड्यूटी वितरित की जाती है वे वापस पुलिस लाईन में आमद करवाते हैं तथा अगली ड्यूटी के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक कार्मिक से प्रतिदिन शारीरिक श्रम (fitting) करवाया जाता है जिसमें साफ-सफाई से लेकर पौधों को पानी देने जैसे कार्य करवाये जाते हैं।

पुलिस लाईन के कार्य

1. रिक्तियों संबंधित

जब कभी जिले के किसी पुलिस थाने या किसी चौकी या जिला मुख्यालय के किसी कार्यालय पर कोई स्थान रिक्त होता है या किसी का स्थानांतरण करना होता है या कोई अवकाश पर जाता है तो पुलिस लाईन्स से ही यह पद भरे जाते हैं।

2. संतरी (Guard) ड्यूटी

- चालानी गार्ड- जेल से कैदियों को न्यायालय में ले जाने के लिए पुलिस लाईन से जो गार्ड भेजे जाते हैं वह चालानी गार्ड कहलाते हैं। इसके लिए पुलिस मेन्युअल में संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 1 कैदी के लिए 2 कांस्टेबल, 2 कैदी के लिए 2 कांस्टेबल, 2 से 4 कैदी के लिए 2 कांस्टेबल, 4 से 6 कैदी के लिए 1 हेड कांस्टेबल व 3 कांस्टेबल, 6 से 10 कैदी के लिए 1 हैड कांस्टेबल व 4 कांस्टेबल होने चाहिए।
- सुरक्षा गार्ड- इस तरह के गार्ड कैदियों को अस्पताल, परीक्षा दिलाने, परिजनों से मिलाने, तफतीश व बाल अपचारियों को लाने लेजाने के लिए उपलब्ध करवाये जाते हैं। ब्ल्यू बुक (Blue Book) के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रीयों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाये जाते हैं। अतिविशिष्ट व विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की सूची अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी की जाती है तथा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाना पुलिस लाईन का दायित्व है। पुलिस थानों पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सुरक्षा प्रहरी भी पुलिस लाईन द्वारा ही उपलब्ध करवाये जाते हैं। प्रदर्शनों, आंदोलनों, चुनावों, जुलूसों, समारोह व अन्य आयोजनों के समय शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाने का दायित्व भी पुलिस लाईन का है।
- गश्त ड्यूटी- पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए समय-समय पर गश्त लगाई जाती है। इनमें संध्याकालीन गश्त, जो कि शांय 6 बजे से रात 11 बजे तक चलती है, रात्रिकालीन गश्त, जो रात 11 बजे से सुबह तक चलती है, इसके अलावा अशांत इलाकों में मार्चपास्ट करना, आदि शामिल होते हैं।
- क्वार्टर गार्ड- पुलिस लाईन्स में सभी-सामान की सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड लगाये जाते हैं इन्हें क्वार्टर गार्ड कहा जाता है।

3. लोकतंत्र व चुनाव संबंधित कार्य

- हस्तक्षेपविहीन एवं पक्षपातहीन चुनाव करवाना, चुनाव व मतगणना के समय शांति-व्यवस्था बनाये रखना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान गैर-कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करना आदि।

4. दूसरे विभागों की सहायता

- शिक्षा विभाग में परीक्षाओं के दौरान, राजस्व विभाग में ऋण वसूली, राजस्व वसूली में, बैंकों, नगरपालिकाओं व अन्य विभागों को सुरक्षा में तथा अन्य किसी विभाग को जब

भी जरुरत हो सहायता उपलब्ध करवाना।

5. आपातकालीन स्थिति में

- बाढ़, तुफान, महामारी, आगजनी आदि प्राकृतिक आपदाओं व विपदाओं के समय तथा सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक विवाद आदि आपातकालीन स्थितियों में राहतकार्यों के साथ-साथ कानून एवं शांति-व्यवस्था भी बनाये रखना।

6. नियमनकारी कर्तव्य

- यातायात व्यवस्था का प्रबंध एवं नियंत्रण, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण, डाकू विरोधी अभियानों, छापों व अन्य अभियानों में भाग लेना आदि।

7. अनुरक्षक (Escort) के रूप में

- आतंकवादी व खतरनाक अपराधियों के लिए निरीक्षक स्तर का अनुरक्षक उपलब्ध करवाया जाता है। इससे कम स्तर के अपराधियों के लिए 1 हैड कान्स्टेबल व 3 कांस्टेबल प्रति कैदि उपलब्ध करवाया जाता है तथा इनमें से कम से कम 75% सशस्त्र होने आवश्यक हैं।
- अतिविशिष्ट व विशिष्ट व्यक्तियों को सामान्यतः इसमें 1 उपनिरीक्षक, 1 हैड कान्स्टेबल व 2 कान्स्टेबल होते हैं परन्तु परिस्थितियों व पद के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।
- राजकोष तथा अन्य ऐसी सम्पत्तियों के स्थानांतरण के समय लूट, डकैती या असामाजिक तत्वों के हस्तेक्षप से सुरक्षा के लिए अनुरक्षक उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसमें 50 हजार से 5 लाख रुपये तक 1 हैड कान्स्टेबल व 2 कान्स्टेबल, 5 लाख से 25 लाख रुपये तक 1 हैड कान्स्टेबल व 4 कान्स्टेबल, 25 लाख से 50 लाख रुपये तक 2 हैड कान्स्टेबल व 8 कान्स्टेबल तथा 50 लाख से अधिक के लिए उप निरीक्षक या संचित उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी भेजे जाते हैं।

8. डाक सेवा

- चूंकि पुलिस के अधिकतर दस्तावेज कानून व्यवस्था जैसे मामलों से संम्बधित होते हैं इसलिए गोपनीय रखे जाते हैं, अतः पुलिस विभाग की समस्त डाक चाहे वह स्थानीय हो या बाहर की हो व्यक्तिगत रुप से ही पहुंचायी जाती है।

9. गार्ड ऑफ ऑनर

- राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्षों तथा इस स्तर के अन्य व्यक्तियों के लिए 1 राजपत्रित अधिकारी, 2 कनिष्ठ अधिकारी, 2 रिजर्व उपनिरीक्षक या सहायक उपनिरीक्षक तथा 148 जवान गार्ड ऑफ ऑनर के लिए निर्धारित किये गये हैं।
- इसके अतिरिक्त शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के देहांत पर गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस लाईन्स द्वारा ही दिया जाता है।

10. जिला पुलिस के आधार के रूप

- पुलिस लाईन्स जिला पुलिस के आधार के रूप में कार्य करती है। पुलिस विभाग की समस्त नियुक्तियां, पदोन्नतियां, स्थानांतरण तथा पदस्थापन पुलिस लाईन्स से ही होता है अर्थात् जब भी कोई नई नियुक्ति, अन्य जगह पदस्थापन, अन्य जिले में स्थानांतरण या पदोन्नति पर जायेगा, वह सर्वप्रथम पुलिस लाईन में आमद करवाता है, फिर वहां से ही अन्य स्थान पर भेजा जाता है।

समस्याएं

पुलिस लाईन्स की कार्य स्थिति, परिस्थितियों व आपातकालन ड्यूटी के कारण इसे कार्मिकों द्वारा 'पुलिस वालों का नर्क' की संज्ञा दी जाती है, तथा सिर्फ सजा के तौर पर ही पुलिस लाईन्स में जाना चाहते हैं। पुलिस

लाईन का सर्वे करने पर सामान्य: निम्न समस्याएं दृष्टिगत होती हैं-

1. **औपनिवेशिक छवि व कार्यप्रणाली**
   औपनिवेशिक काल में पुलिस का उद्‌भव जिन परिस्थितियों में हुआ वह अब नहीं रही हैं परन्तु वर्तमान में भी विभाग में बहुत सारी परम्पराएं उसी समय की चली आ रही हैं। पुलिस लाईन्स के अधिकांश भवन जर्जर अवस्था में हैं तथा उनके नवीनीकरण या नये भवन निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही व्यावहारिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है क्योंकि कार्मिकों का व्यवहार आज भी औपनिवेशिक काल के 'मायबाप' जैसा ही होता है। यह एक विकट परिस्थिति है कि जिनकी उपस्थिति सुरक्षा के लिए होती है वह ही असुरक्षित महसूस करवाते हैं।

2. **सुरक्षा**
   सामान्यत: पुलिस लाईन्स की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ चारदीवारी होती है तथा अधिकतर पुलिस लाईन्स के द्वार पर किसी प्रकार के सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं। चूंकि पुलिस लाईन्स जिला पुलिस का आधार है और सभी प्रकार के साजो सामान, यंत्र उपकरण, हथियार, वाहन आदि यहीं रखे जाते हैं। चूंकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इसलिए पुलिस लाईन्स की रिक्त पड़ी जगहें असामाजिक तत्वों व असामाजिक गतिविधियों के अड्डे बन जाते हैं।

3. **महिला कार्मिकों की समस्याएं**
   अन्य विभागों की तरह पुलिस विभाग में भी महिला कर्मियों की संख्या बढ़ रही है तथा आने वाले समय में यह निर्धारित कोटे 33% पर पहुंच जायेगी, परन्तु विभाग में और पुलिस लाईन्स में महिलाओं की आवश्यक सुविधाओं में इस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पा रही है। रिजर्व कर्मियों के रुप में रखी गई महिलाओं को जब आपातकालीन ड्यूटी पर लगाया जाता है तथा वह वहां भी मूलभूल सुविधाओं के अभाव में परेशानीयों का सामना करती हैं। महिला कर्मियों के कर्तव्यों का वितरण व पर्यवेक्षण महिला अधिकारियों द्वारा नहीं होना भी एक कमी है।

4. **आवास**
   पुलिस लाईन्स में आवास बैरक व क्वार्टर में विभक्त होते हैं और इन दोनों की अपनी समस्याएं हैं जैसे क्वार्टर संख्या में कम होते हैं, अत: सभी को आवंटित नहीं किये जा सकते हैं व इनका आकार भी ज्यादा बड़ा नहीं होता जो एक औसत परिवार के लिए भी छोटा पड़ता है, वहीं बैरक सामान्यत: बड़े-बड़े कमरे होते हैं जहां 20 से 25 या इस से भी अधिक कार्मिकों के रहने की व्यवस्था होती है। इतने व्यक्तियों के एक साथ सोने पर शांतिपूर्ण नींद की उम्मीद नहीं की जा सकती है और निजता का भी अभाव रहता है।

5. **भोजन**
   भोजन मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है और वह शारीरिक व मानसिक संतुष्टि का भी आधार होता है। प्रत्येक कार्मिक को 1550 रुपये प्रत्येक माह भोजन के दिये जाते हैं तथा मैस में 25 रुपये की दर से भोजन उपलब्ध होता है। यह भोजन बाज़ार दर से सस्ता होता है परन्तु औसत स्तर का होता है जिसमें करीब 700 से 1000 किलो कैलोरी तक ही ऊर्जा प्राप्त हो पाती है जबकि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 2425 कि. कैलोरी व मध्य व्यक्ति को 2875 कि.कैलोरी की आवश्यकता होती है। चूंकि पुलिसकर्मी शारीरिक श्रम करते हैं अत: पुलिसकर्मियों का भोजन अधिक पौष्टिक और कैलोरी युक्त

होना आवश्यक है परन्तु ऐसा होता नहीं है तथा आहार का वैज्ञानिक विश्लेषण भी नहीं किया गया है अत: यह भोजन अपर्याप्त है जो कार्मिकों में जल्दी थकान, कमजोरी, सुस्तपना आदि का कारण बनता है। पुलिस लाईन्स में मैस में भोजन करने वाले कार्मिकों की संख्या अनिश्चित होने के कारण कभी-कभी भोजन की कमी का भी सामना करना पड़ता है तब भोजन की गुणवत्ता और भी कम हो जाती है।

6. **आधुनिकता की कमी**

पुलिस विभाग की वर्तमान समस्याओं में आधुनिकीकरण का अभाव भी एक समस्या है। अधिकतर स्टोर में कम्प्यूटर नहीं होने के कारण पुरानी विधियों से ही लेखों का नियमन किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में हैड कान्स्टेबल व सहायक उपनिरीक्षक पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान कई कार्मिक आधुनिक हथियार नहीं चला पाये थे। राजस्थान के एडीजीपी टीएल मीणा द्वारा उदयपुर पुलिस लाईन के निरीक्षण के दौरान यह पाया कि संचित निरीक्षक के अतिरिक्त कोई अग्निशमन यंत्र संचालित नहीं कर पाया।

7. **हथियारों व कारतूसों की कमी**

पुलिस लाईन्स में हथियार आपात स्थिति के लिए व अभ्यास के लिए होते हैं परन्तु वर्तमान में अभ्यास के लिए पर्याप्त कारतूस उपलब्ध ना होने के कारण कार्मिक अभ्यास नहीं कर पाते हैं और आपात स्थिति में जब हथियार चलाने की जरुरत होने पर अभ्यास के अभाव में चला नहीं पाते हैं। साथ ही गुणवत्तापूर्ण पॉली फायबर हेलमेट ढाल, बुलेट प्रुफ जैकेट आदि की कमी भी रहती है।

8. **सार्वजनिक सुविधाओं की अपर्याप्तता**

पुलिस लाईन्स में चूंकि बड़ी संख्या में कार्मिक रहते हैं अत: एक सुलभ दूरी पर सार्वजनिक सुविधाओं का होना आवश्यक है और यह सुविधाएं महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध होनी आवश्यक है परन्तु वर्तमान स्थिति यह है कि पुरुषों की सुविधाओं की कमी है और महिलाओं के लिए अतिअल्प है।

9. **ड्यूटी समय**

पुलिस मेन्युअल के अनुसार रिजर्व पुलिस लाईन्स के कार्मिक 24 घण्टे ड्यूटी पर होते हैं। यह एक असामान्य सेवा शर्त है इसकी वजह से कार्मिक पूरे दिन कुछ काम न करते हुए भी व्यस्त रहते हैं और यह स्थिति उनमें बेचैनी उत्पन्न करती है जो अन्तत: मानसिक स्वास्थ को प्रभावित करती है। यह सेवा शर्त उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है क्योंकि इससे वह अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। इससे उत्पन्न मानसिक तनाव इन्हें नशे की आदतों की तरफ ले जाता है जो अंतत: सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक हानि पहुंचाती है।

10. **सामाजिक जीवन**

पुलिस विभाग के कार्मिकों का सामाजिक जीवन अन्य विभाग के कार्मिकों की तुलना में ज्यादा प्रभावित होता है क्योंकि कार्मिकों को अवकाश बहुत कम मिलता है व वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। राजस्थान के एडीजीपी टी.एल. मीणा के अनुसार-''**नौकरी की व्यस्तता एवं नियंत्रता के अभाव में अधिकांश पुलिस अधिकारियों के बच्चे अपराधी बन जाते हैं।**'' इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होने के कारण कार्मिक चिड़चिड़ापन, तनाव, झगड़ा जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भी ग्रस्त हो जाते हैं।

11. **अवकाश**

पुलिस लाईन्स में कार्मिकों का 24 घण्टे सेवा देने के बाद भी अवकाश की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अत: कभी-कभी कार्मिकों को लगातार ड्यूटी पर भी भेज दिया जाता है जो मानवाधिकारों के भी खिलाफ है और न्यायसंगत भी नहीं है। पुलिस विभाग में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था ना होने के कारण कार्मिकों को स्वयं व परिवार के लिए समय नहीं मिलता है साथ ही सेवा के लिए ताज़गी भी नहीं आ पाती है।

12. **शिकायत निवारण**

पुलिस लाईन्स के कार्मिकों की शिकायत निवारण के लिए कोई निश्चित तंत्र नहीं है। कार्मिक सामान्य शिकायतों के निवारण के लिए रिजर्व निरीक्षक के और बड़ी समस्याओं के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के पास जाते हैं परन्तु निम्न स्तर के कार्मिक बड़े अधिकारियों के सामने अपनी समस्या को ढ़ंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तथा तब उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता है। यह समस्या महिला कार्मिकों के मामले में और भी बढ़ जाती है। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर वह सेवा के प्रति असंतुष्टि उत्पन्न करता है।

सुझाव

1. चुंकि पुलिस लाईन जिला पुलिस का आधार है अत: परिवर्तनों की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। पुलिस का सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी कार्यप्रणाली एवं व्यवहार से पड़ता है व ये ही वे तत्व हैं जो पुलिस की छवि निखार सकते हैं अत: इस तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम हमें ऐसी कार्यप्रणालियां विकसित करनी एवं अपनानी चाहिए जो हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुकूल हो ताकि इस वजह से जिन विरोधाभासों का वर्तमान में सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े तथा पुलिस के कार्यों को सहज बनाया जा सके। दूसरा तत्व कार्मिकों का अभद्र व्यवहार है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए उचित प्रशिक्षण देना चाहिए और इसके लिए दिये गये दिशानिर्देशें का पालन ना करने वालों के प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि किसी एक कार्मिक का बुरा व्यवहार पूरे विभाग की छवि को धूमिल करता है।
2. चूंकि पुलिस लाईन्स जिला पुलिस का केन्द्र बिन्दू है अत: इसकी सुरक्षा के इंतज़ाम चाक-चौबंध होने चाहिए। पुलिस लाईन्स के द्वार पर या तो सुरक्षाकर्मी तैनात किये जाने चाहिए या सुरक्षा कैमरे लगाये जाने चाहिए व पूरे परिसर में भी ऐसी ही व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा सके व असामाजिक गतिविधियों को रोकने के साथ ही किसी अनहोनी घटना से भी बचा जा सकता है।
3. रिजर्व पुलिस लाईन्स में चुंकि महिला कार्मिक भी होती है अत: उन के लिए एक रिजर्व उपनिरिक्षक स्तर की महिला अधिकारी का होना आवश्यक है जो महिला कार्मिकों को कर्तव्य वितरण करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं को भी सुने व उनका निस्तारण भी करें। साथ ही महिला कार्मिकों की आपातकालीन ड्यूटी लगाते समय यह ध्यान रखा जाये कि वहां आवश्यक सुविधाएं (शौचालय आदि) उपलब्ध हो तथा नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाये।
4. मनुष्य के लिए आवास हमेशा से सबसे

महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक रहा है तथा यह आवश्यकता मनुष्य के लिए संतुष्टिकारक है। पुलिस के कर्तव्य हमेशा ही कठिन व असामान्य प्रकृति के होते हैं, अत: इन्हें पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है और इसके लिए शांतिपूर्ण माहौल और निजता का होना आवश्यक है। वर्तमान बैरक इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते अत: प्रत्येक 2-3 कार्मिक के लिए अलग कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आराम में किसी तरह का व्यवधान ना हो। क्वार्टरों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा उसी आधार पर निर्माण होना चाहिए और इनकी संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि ज्यादा कार्मिक परिवार के साथ रह सके।

5. पुलिस विभाग में चूंकि शारीरिक श्रम ज्यादा होता है तथा इसके कार्मिकों से हमेशा यह उम्मीद की जाती है कि वे चुस्त-तंदुरुस्त व ऊर्जावान रहें अत: इसके लिए उनके भोजन का वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए तथा उसी के अनुसार प्रतिदिन का भोजन बनना चाहिए। पुलिस का कार्य देखते हुए प्रतिदिन 2875 कि.कैलोरी से 3800 कि.कैलोरी के मध्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस आधार पर कार्मिकों के प्रतिदिन के आहार में रोटी, सब्जी, दाल, चावल के अतिरिक्त सलाद, दूध, दही, मक्खन जैसी वस्तुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए व सप्ताह में एक बार विशेष आहार का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। साथ ही भोजन के लिए मिलने वाले 25 रूपये प्रति भोजन को 50 रूपये तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आहार की गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके।

6. वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के बढ़ने के साथ ही अपराध भी आधुनिक हो गये हैं अत: पुलिस विभाग के प्रशिक्षण को और अधिक आधुनिक बनाये जाने की आवश्यकता है तथा कार्मिकों को एक निश्चित अंतराल में पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए जिसमें इन्हें आधुनिक उपकरणों, तकनीकी, चलन आदि से अवगत करवाया जाये जो इनके कर्तव्यों के निर्वहन को आसान बनाये।

7. विभाग में हथियारों का प्रशिक्षण चांदमारी (Musketry) प्रशिक्षण काल में तथा उसके बाद भी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है परन्तु ऐसा देखा गया है कि आपातलकाल में कुछ कार्मिक हथियार नहीं चला पाते हैं, अत: ऐसे प्रशिक्षण को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े।

8. वैश्वीकरण के इस दौर में जहां हर एक क्षेत्र में नई-नई तकनीक व विधियां आ रही हैं वहीं पुलिस विभाग भी शनै: शनै: आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस विभाग के क्षेत्र में हो रहे इन नवीन परिवर्तनों की जानकारी के लिए पुलिस विभाग का अपना एक पुस्तकालय होना आवश्यक है जहां पुलिस से सम्बंधित पुस्तकें, शोध, मेन्युअल, जर्नल जैसे- पुलिस विज्ञान, इण्डियन पुलिस जर्नल, सरदार पटेल पुलिस अकादमी जर्नल आदि, पत्रिकाएं इत्यादि उपलब्ध हों जो कार्मिकों को अपडेट रखे तथा विश्व में हो रही घटनाओं और परिवर्तनों से अवगत करवायें। यह पुस्तकालय कार्मिकों के साथ ही पुलिस विषय पर शोध कर रहे शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं।

9. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे हर परिस्थिति में परिवार की आवश्यकता होती है जिसके साथ वह अपने सुख-दुख बांट सकें पुलिस कार्मिक भी इसी तरह की इच्छाएं रखते हैं परन्तु वह अपनें परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं जो अंतत: कुंठा, मानसिक अशांति, अवसाद जैसे परिणाम देती

हैं। अत: ड्यूटी का समय 8 या 12 घण्टे कर, साप्ताहिक अवकाश रख, कार्मिकों की संख्या बढ़ा कर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।

10. पुलिस लाईन्स के कार्मिकों की समस्त समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए रिजर्व निरीक्षक को जिम्मेदार बनाना चाहिए तथा उच्च स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए भी वह मध्यस्त की भूमिका अदा करना चाहिए जिससे उन्हे अपनी समस्या बताने में किसी प्रकार की झिझक ना हो। महिला कार्मिकों के लिए एक उपनिरीक्षक स्तर की महिला को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए ताकि वह महिला की समस्या वाले पहलु को भी समझ सके।
11. बैरक में रहने वाले कार्मिकों के लिए ड्यूटी करने के बाद स्वयं के कपड़े धोना चिड़ उत्पन्न करने वाला होता है क्योंकि वह थके हारे आते हैं। अत: बैरक में रहने वाले कार्मिकों के वह सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिए या इसके लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाना चाहिए।

नये पुलिस अधिनियम हेतु सोराबजी की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति (2005-2006) के सुझावों के अनुसार जिन राज्यों ने पुलिस अधिनियम बनाये हैं वहां की पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार आये हैं, परन्तु अभी लोकतांत्रिक राज्य के अनुसार पुलिस बनाने के लिए कई सुधार करने की जरूरत है। साथ ही हर एक पहलू पर व्यापक शोध व वैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि उन समस्याओं की पहचान व समाधान किया जा सके जो पुलिस विभाग के कार्यकरण को प्रभावित कर रही है।

-लेखक मोहनलाल सुखाड़िया विश्विद्यालय उदयपुर के लोक प्रशासन विभाग के पीएच.डी शोधार्थी है।

संदर्भ-

1. द पुलिस एक्ट 1861
2. रिजर्व पुलिस लाईन उदयपुर (राज.) के रिजर्व निरिक्षक के अनुसार।
3. रिजर्व पुलिस लाईन उदयपुर (राज.) के मैस इंचार्ज के अनुसार।
4. राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007

महिलाओं के विरूद्ध अपराध- एक सामाजिक अभिशाप

डा०मीरा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
आगरा कालेज, आगरा

देश की 48 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। लगभग यह आधी आबादी शिक्षा, स्वास्थ, आर्थिक अवसर समेत सभी मामलों में पुरूषों की तुलना में पीछे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न इस मामले के सबसे स्याह पहलू हैं। नियमित अंतराल पर दुष्कर्म की घटनायें समाज को झकझोर देती है। प्राचीनकाल से ही स्त्रियां समाज द्वारा प्रताड़ित, दमित एवं तिरस्कृत होती रही हैं। आज की कृत्रिम सभ्यता में महिला प्रताड़ना का ग्राफ बहुत ऊपर चढ़ गया है। पारिवारिक हिंसा, महिलाओं की प्रताड़ना के बढ़ते वेग को कम करने के लिये तथा उनकी सुरक्षा के लिये ही भारतीय उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का कानून बना दिया था, लेकिन नियम-कायदे न बन पाने की वजह से यह बिना धार के हथियार जैसा था। अब नियम-कायदे बन गये हैं और यह कानून गुरुवार 26 अक्टूबर, 2006 से अमल में आ गया है।

यद्यपि महिलायें किसी भी अपराध यथा ''नरहत्या'', डकैती, धोखा, ठगना, छल-कपट आदि से आहत हो सकती है, किन्तु केवल उन्हीं अपराधों को महिलाओं के विरूद्ध अपराध कहा जाता है, जो प्रत्यक्षतः विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध है। विस्तृत रूप से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- (1) भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तत अपराध, तथा (2) विशेष और स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अपराध।

1. भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध

इसके अन्तर्गत सात प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है। ये अधोलिखित हैं-

1. बलात्कार (Rape, Sec. 376 IPC)
2. विभिन्न उददेश्यों के संदर्भ में अपहरण एवं भगा ले जाना (Kidnapping and Abuction for different purpose Sec. 363-373 IPC)
3. दहेज के लिए हत्या, दहेज मृत्यु अथवा उनके प्रयास (Homicide for Dowry, Dowry Death or their attempts, Sec. 302/304 BIPC)
4. उत्पीड़न मानसिक एवं शारीरिक दोनों (Torture, both mental & physical 489- AIPC)
5. छेड़छाड़ (Molestation, Sec- 354 IPC)
6. लैंगिंक संतापन (Sexual Harassment, Sec. 509 IPC)
7. लड़कियों का आयात (Importation of Girls, 366-BIPC)

2. विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अपराध-

यद्यपि सभी कानून लिंग विशिष्ट नहीं है, तथापि पूरे देश में लिंग विशिष्ट कानून जो अपराध सांख्यिकी के लिये अंकित किये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं-

1. अनैतिक अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (Dowry prohibition Act, 1961)
3. बाल-विवाह निरोध (सुधार) अधिनियम, 1979
4. महिला अनुचित प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम, 1986
5. सती (निवारण) अधिनियम, 1987 का आयोग (कमीशन)

महिलाओं के विरूद्ध अपराध की प्रतिवेदित घटनाएं:-

भारत में सन् 2012 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध अपराध की 470129 घटनायें प्रतिवेदित की गयी थी।

इन अपराधिक घटना में सन् 2008 से लेकर 2012 तक प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही। जहां तक महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक घटनाओं की श्रेणियों का प्रश्न है, पूरे देश में महिलाओं के विरूद्ध 08 प्रकार की अपराधिक घटनाओं की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। एसिड अटैक की अपराधिक घटनायें सबसे अधिक 2014 में हुयी हैं। 2013 में जहां 66 घटनायें घटीं, वहीं 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 309 हो गयी। निम्न सारणी में से इसका सम्यक अवबोध प्राप्त किया जा सकता है-

जहां तक महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक घटनाओं के झुकाव का प्रश्न है, यह अपराधों की दिशा में विगत पांच वर्षों के दौरान निरन्तर बढ़ा है। यद्यपि 2009 की अपेक्षा 2010 में अपराधिक, घटनायें कम हुई, तथापि इन आपराधिक घटनाओं में सन 2008 से 2012 तक निरन्तर वृद्धि हुई। ऐसिड अटैक की घटनायें 2010 में 57 थी, वहीं 2014 में इसकी संख्या बढ़कर 309 हो गयी। महिलाओं के विरूद्ध एसिड अटैक की आपराधिक घटनायें 2010 से 2014 तक कुल 600 घटित हुई। पूरे देश में एसिड अटैक से घटित होने वाली महिलाओं के विरूद्ध यह अपराध बड़ी ही भयावह स्थिति उजागर करती है।

सन् 2008 से 2012 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध हुई अपराध की घटनाओं का श्रेणीकृत प्रकार

क्र. सं.	अपराध के प्रकार की श्रेणियाँ	वर्ष						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	दुष्कर्म	21,467	21,397	22,172	24,206	24,923	–	–
2.	अपहरण	22,939	25,741	29,795	35,565	38,262	–	–
3.	दहेज-मृत्यु	8,172	8,383	8,391	8,618	8,233	–	–
4.	उत्पीड़न	1,95,856	2,03,804	2,13,585	2,13,585	2,44,270	–	–
5.	छेड़छाड़	40,413	38,711	40,613	42,968	45,351	–	–
6.	वेश्यावृत्ति या देह व्यापार	2,660,	2,474	2,499	2,435	2,563	–	–
7.	घरेलू हिंसा	81,344	89,546	94,041	99,135	1,06,527	–	–
8.	ऐसिड अटैक*	0	0	57	83	85	66	309
	योग	**3,72,851**	**3,90,056**	**1,75,426**	**4,26,595**	**4,70,214**	**66**	**309**

स्त्रोत : Crime Against Women, National Crime Records Bureau, Delhi, 2013
Ministry of Home Affairs*

महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कारण

महिलाओं के विरूद्ध जो अपराध किये जाते हैं उनमें दुष्कर्म, अपहरण, दहेज-मृत्यु, उत्पीड़न, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति या देह-व्यापार, घरेलू हिंसा, ऐसिड अटैक इत्यादि प्रमुख हैं। यद्यपि उपराध के सभी प्रकार धार्मिक तथा नागरिक समूहों द्वारा वर्जित हैं और कानून द्वारा भी प्रतिबन्धित है। वे व्यक्ति जो महिलाओं के विरूद्ध ऐसे आपराधिक कृत्य करते हैं, उन्हें हेय एवं घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। परन्तु फिर भी ऐसे अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध के कारणों पर यद्यपि व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययनों का अभाव है किन्तु अपराधशास्त्रीय कलेवर का सूक्ष्मतिसूक्ष्य अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के कारणों की व्याख्या व्यक्ति के व्यक्तित्व प्रतिरूपों के आधार पर की जा सकती है जो उसके जैविक, मानसिक तथा सामाजिक विशेषताओं का समस्त संगठन है।

1. जैविक कारक

1. मूल प्रवृत्तियों का दमन
2. आनुवांशिकता
3. ग्रन्थियों की अप्रकायात्मकता
4. शारीरिक दोष

2. मानसिक कारक

1. बुद्धि तथा अन्य मानसिक योग्यता की विलक्षणता
2. दोषपूर्ण व्यक्तित्व

3. सामाजिक कारक

1. पारिवारिक एवं वैवाहिक समायोजन
2. सामाजिक सम्बन्धों में टूटन
3. सामाजिक मूल्यों का पतन
4. सामूहिक चेतना में कमी
5. सामाजिक नियंत्रण का शिथिल होना
6. विचलनकारी एवं आपराधिक प्रवृतियां

महिलाओं के विरूद्ध अपराध को नियंत्रित करने के उपाय

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का ग्राफ बताता है कि केवल सख्त कानून से ही अपराधों पर अंकुश की कल्पना बेमानी है। इससे कहीं अधिक जरूरी है समाज की सोच में बदलाव लाना। अभी भी इसकी जरूरत समझी जा रही है कि महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भावना के संस्कार अधिक से अधिक पोषित हो। ऐसे में महिलाओं के मान-सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर समाज में चेतना जागृत करना आज हम सबके सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी समाज में स्वंय पहचान बनानी होगी, उनको आगे बढ़ना होगा तभी उनका उत्पीड़न शोषण, दमन और अपराध कम होगा।

संदर्भ-ग्रन्थ

1. सिंह श्यामधर- अपराधशास्त्र के सिद्धान्त सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी।
2. वर्मन लुईस, दी ग्रैल्न्डस रैग्यूलेटिंग, पर्सनॉलटी, द मैकमिलन, कम्पनी, न्यूयार्क, 1922।
3. बनी, रॉल्फ एस0, फिजिकल डिस फिगरमेन्ट एज ए फैक्टर इन डेलीक्वेन्सी एण्ड क्राइम, फेडरल प्रोफेसर, VOL-7, जनवरी-मार्च, 1943 PP 20-24

भारत में सामुदायिक पुलिस पद्धति-राजस्थान पुलिस के विशेष संदर्भ में

जालमसिंह
उपडाकपाल, बीएसएफ,
जैसलमेर

सामुदायिक पुलिस की अवधारणा की जड़े प्राचीन भारतीय पुलिस के इतिहास में पाई जाती रही हैं। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी हमें सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का दृष्टांत मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय गांव पुलिस प्रशासन की छोटी इकाई होते थे एवं ग्राम परिषद् अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती थी जो गांव के मुखिया के निर्देशन में कार्य करती थी। उस समय तीन प्रकार के पुलिस अधिकारी होते थे जिनके नाम क्रमशः दण्डपाल, दुर्गपाल एवं अन्तपाल थे। बाद में आधुनिक युग में ब्रिटेन सामुदायिक पुलिस की उत्पत्ति का घर रहा है। 1829 ई. में रॉबर्ट पील द्वारा मेट्रोपोलिटन पुलिस की स्थापना से ही सामुदायिक पुलिस की उत्पत्ति मानी जाती है। रॉबर्ट पील ने सामुदायिक पुलिस के कुल नौ सिद्धान्तों की पहचान की। आधुनिक विश्व में 1980 के दशक के मध्य में इस अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में सामुदायिक पुलिस पद्धति का श्रीगणेश 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु हुआ। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ की यह धारणा बलवती रही कि भारत लम्बे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और भारतीय पुलिस जो सत्ता, भय, रौब-दाब तथा निरंकुशता इत्यादि के रूप में कुख्यात रही है। पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाने, पुलिस प्रभावशीलता बढ़ाने, समुदाय एवं पुलिस के संबंध सुधारने एवं जनता तक न्याय पहुंच का ढ़ांचा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से इस प्रोजेक्ट की शुरूआत की, जिसका शीर्षक ''Improving of Organization And Management of Law Enforcement System In India'' था। सामुदायिक पुलिस से तात्पर्य पुलिस कार्यों में समाज की भागीदारी बढ़ाने से है। रॉबर्ट पील ने इसे ''पुलिस ही जनता है एवं जनता ही पुलिस है'' के रूप में परिभाषित किया है।

भारत में सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में कलकत्ता पुलिस, भावनगर पुलिस एवं राजस्थान पुलिस द्वारा कई पहलें शुरू की गई है।

भारत में सामुदायिक पुलिस पद्धति की महत्वपूर्ण पहलेंः-

भारत में सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में कलकत्ता पुलिस, भावनगर पुलिस एवं राजस्थान पुलिस द्वारा कई पहलें शुरू की गई है। जिनका विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-

कलकत्ता पुलिस की पहलः- कलकत्ता में सामुदायिक पुलिस की पहल नागरिक समाज एवं पुलिस कार्मिकों को शामिल करती है, इस कार्यक्रम के कई घटक हैंः-

1. **नशा जागरूकता कार्यक्रमः-** यह कार्यक्रम कई शैक्षणिक संस्थानों एवं झुग्गी झोपड़ियों में आयोजित किये गये, जिसमें एनजीओ की भी भागीदारी ली गई।
2. **खेल गतिविधियांः-** कलकत्ता पुलिस फ्रेंडशिप कप फुटबाल टुर्नामेंट प्रतिवर्ष आयोजित कर जिसमें स्थानीय क्लबों की भागीदारी भी ली जा रही है जिसमें तीन स्तर के टुर्नामेंट आयोजित किये जा रहे है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल टुर्नामेंट जिसमें 50 स्कूल हर साल भागीदारी करते हैं।
3. **बहादुरी एवं ईमानदारी के लिए ईनामः-** डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की और कलकत्ता पुलिस इस समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन करती है। नागरिकों की बहादुरी एवं ईमानदारी के आधार पर उनका चयन कर पारितोषिक

एवं प्रोत्साहित करती है।

4. **कांउसलिंग केन्द्रः**- कलकत्ता डिटेक्टिव विभाग की ओर से एवं अग्रणी एनजीओ की सहभागिता से महिला परामर्श केन्द्र बालकों, वृद्धों या नशा आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं एवं मनोवैज्ञानिकों की सहायता से यह काम करवाया जा रहा है।

भावनगर पुलिसः एक केस अध्ययनः- भावनगर पुलिस अन्य पुलिस संगठनों की तरह जनता के विश्वास की कमी एवं जनता में खराब छवि की समस्या का सामना कर रही थी। वर्ष 2005 में इन बाधाओं से निपटने के लिए सामुदायिक पुलिस पहल शुरू की गई इसमें जनता एवं पुलिस के संबंध सुधारने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये गये, जो निम्न प्रकार है:-

1. **शिक्षकों का प्रशिक्षणः**- लगभग पांच हजार स्कूल शिक्षकों को सामुदायिक पुलिसिंग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 185 कलस्टर रिसोर्स सेन्टरों के माध्यम से छात्र/ छात्राओं को सुरक्षा के प्रत्येक पहलू एवं उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में बतलाया गया। छात्र/छात्राओं को पुलिस स्टेशन की विजिट करायी गयी एवं उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया गया।

2. **स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए प्रवेश कार्यक्रमः**- भावनगर जिला पुलिस ने वहां के निवासियों का सर्वे किया जो आपराधिक गतिविधियों के शरण स्थल थे, लगभग 300 से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाया गया व स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पुनः भर्ती कराया गया। एक सामुदायिक शिक्षा केन्द्र उन बच्चों के लिए शुरू कराया जिनके माता-पिता आपराधिक गतिविधियों में संलग्न थे। यह पुलिस छवि सुधार का ही मुद्दा नहीं था बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी शामिल थे। यदि इन बच्चों को स्कूल में भर्ती नहीं कराया जाता तो ये आपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होते।

3. **रक्तदान कैम्पः**- लगभग 6 माह की अवधि से कम समय में विभिन्न पुलिस थानों एवं चौकियों में रक्तदान शिविर आयोजित किये जाकर लगभग 1300 बोतल से अधिक रक्त एकत्रित कर सामुदायिक चिकित्सालयों को उपलब्ध कराया गया। यह पुलिस एवं समुदाय की आपसी नजदीकियां बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

4. **मत्रु वंदना रैलीः**- कन्या भ्रुण हत्या के विरूद्ध मैराथन दौड़ आयोजित करके आम जनता में जाग्रति उत्पन्न की गई। साथ ही साथ चक्ष्यू दान रैली भी आयोजित की गई इन रैलियों ने पुलिस छवि सुधार की ओर महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसके अलावा भावनगर पुलिस द्वारा आम जनता के लिए हॉर्स-शो कार्यक्रम, पुलिस बैंड कार्यक्रम, नववर्ष पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर सामुदायिक पुलिसन की ओर अपना महत्तवपूर्ण योगदान दिया गया।

केरल पुलिस की पहलः- केरल पुलिस की जनमैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट की शुरूआत केरल पुलिस निष्पादन एवं जवाबदेही आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू की गई। केरल पुलिस निष्पादन एवं जवाबदेही आयोग, जो नवम्बर 2003 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के. टी. थॉमस की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जिसने पुलिस कार्य निष्पादन एवं स्वायत्तता को बनाये रखने के लिए सामुदायिक पुलिस पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह प्रतिपादित किया कि सामुदायिक पुलिस पद्धति वह मापदंड है जो कि पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए जरूरी है एवं पुलिस को समाज के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एवं अपराध नियंत्रण के लिए समुदायों की बैठकें आयोजित

की जानी चाहिए। इन सिफारिशों के आधार पर केरल में 2007 से पूर्व कई सेमिनार आयोजित किये गये। इस जन मैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से 2007 में 440 पुलिस थानों में से 20 थानों में इसे शुरू किया गया तथा 2010 तक इसे और अतिरिक्त 100 थानों तक पहुंचाया गया। इस योजना में शिक्षकों, सेवानिवृत पुलिसकर्मियों, वार्ड पार्षदों, व्यापारियों, एनजीओ कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। मराड़ पुलिस थाना जिला कोझीकोड एवं पेयनूर पुलिस थाना जिला कन्नूर एवं फोर्ट पुलिस थाना त्रिवन्तपुरम के लिए यह योजना बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुई तथा विभिन्न सांप्रदायिक दंगों से उबरने के लिए पुलिस को समुदायों का सहयोग प्राप्त हुआ।

भारत में सामुदायिक पुलिस के कार्यन्वयन में बाधाएं:- सामुदायिक पुलिस कार्यान्वयन के लिए दो बड़े मुख्य परिवर्तन पुलिस संगठन में किये जायें तो सामुदायिक पुलिस प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है। मजबूत भागीदारी के प्रयास सर्वप्रथम स्थापित कर समुदायों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए पुलिस के आदेशात्मक ढांचे को बदला जाए एवं पुलिस के ढांचे का विकेन्द्रीकरण कर इसे समस्या समाधान का साधन बनाकर नीति निर्माण एवं जवाबदेही प्रत्येक स्तर तक सुनिश्चित की जाए तो सामुदायिक पुलिस पद्धति की शुरूआत की सफलताएं परिपूर्ण मानी जाती है।

भारत में लम्बे समय तक अंग्रजों का शासन रहा, उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा समुदायों एवं पुलिस के बीच की दूरी को लम्बे समय तक अलगाव के रूप में बनाये रखा। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। जिसमें 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध जैसे उपजाऊ क्षेत्र को हड़पने के लिए सर्वप्रथम रॉयल आयरिश कांस्टेबुलरी की तर्ज पर वहां व्यवस्थित पुलिस की शुरूआत की। उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जनसेवा न होकर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। बाद में भारत में 1861 का पुलिस एक्ट बनाया गया उसमें भी जन भागीदारी के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं किया गया। 1861 के एक्ट की धारा 17 के अन्तर्गत केवल विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गयी है। समाज एवं पुलिस के संबंध सुधार के संबंध में कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार भारत में विरासत में प्राप्त हुई पुलिस संगठन की जो पदसोपान व्यवस्था है उसमें सामुदायिक पुलिसिंग के संबंध में कोई महत्वपूर्ण पहल का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार भारत में पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण एवं अन्य सभी उपायों की कमी हमें नजर आती है।

राजस्थान पुलिस एवं सामुदायिक पुलिस की पहलें:- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं गृह मंत्रालय के सहयोग के इस महत्ती योजना की शुरूआत की गई है। राजस्थान में पुलिस प्रशासन में सामुदायिक पुलिस पद्धति के लिए सर्वप्रथम 'बीट प्रणाली' का विकास किया गया है। हालांकि राजस्थान में इस प्रणाली का विकास राजस्थान पुलिस के नियम 1965 के नियम 2.28 में किया गया है। सामुदायिक पुलिस की शुरूआत के लिए विभिन्न पुलिस थानों को बीट प्रणाली के रूप में विभाजित किया गया है।

राजस्थान पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहलें निम्न प्रकार है:-

1. **समुदाय सम्पर्क समूह:-** राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 में समुदाय सम्पर्क समूह के गठन का प्रावधान किया गया है। राजस्थान पुलिस द्वारा बीट प्रणाली के आधार पर समुदाय संपर्क समूहों का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान पुलिस अधिनियम के अध्याय 5 में धारा 29 से 30 तक पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार हैं-

धारा-29 पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य

- विधि का प्रर्वतन करना और जनता के जीवन, स्वतंत्रता, सम्पति, अधिकारों, गरिमा एवं मानवाधिकारो का संरक्षण करना शामिल है।
- अपराध और लोक न्यूसेंस का निवारण करना।
- लोक व्यवस्था बनाये रखना।
- आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना, आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण और नियंत्रण करना और लोकशांति के भंग होने पर निवारण करना।
- लोक सम्पति का संरक्षण।
- अपराधों का पता लगाना, इत्यादि।

धारा-30 पुलिस अधिकारियों के सामाजिक दायित्व

- जनता के सदस्यों से विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सम्यक,शिष्टता और शालीनता से व्यवहार करेगा।
- जनता के सदस्यों से विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलांग व्यक्तियों, जो सड़कों या अन्य लोक स्थानों पर असहाय स्थिति में पाये जाते हैं, का मार्गदर्शन और सहायता करेगा।
- अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करायेगा।
- लोक स्थानों और लोक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालकों के उत्पीड़न को रोकेगा।

राजस्थान में वर्तमान में सीएलजी की स्थिति जिलेवार तालिकाओं के माध्यम से निम्न प्रकार दर्शायी जा सकती है:-

जिला स्तरीय सीएलजी सदस्य

क्र.स.	रेंज	जिला	जिला स्तरीय सीलजी के मैम्बर्स
01	अजमेर	अजमेर	40
		भीलवाड़ा	49
		नागौर	94
		टौंक	50
02	भरतपुर	भरतपुर	54
		धोलपुर	20
		करौली	34
		सवाई माधोपुर	44
03	बीकानेर	बीकानेर	52
		चुरू	32
		हनुमानगढ	25
		श्रीगंगानगर	105
04	जयपुर	अलवर	60
		दौसा	73
		जयपुर ग्रामीण	32
		झूंझनू	58
		सीकर	72
05	जयपुर कमिश्नरेट	जयपुर	33
		जयपुर उत्तर	32
		जयपुर दक्षिण	27
		जयपुर पश्चिम	19
06	जोधपुर कमिश्नरेट	जोधपुर पूर्व	45
		जोधपुर पश्चिम	30

07	जोधपुर	बाड़मेर	44
		जैसलमेर	25
		जालोर	41
		जोधपुर ग्रामीण	13
		पाली	32
		सिरोही	30
08	कोटा	बारां	61
		बूंदी	40
		झालावाड़	46
		कोटा शहर	16
		कोटा ग्रामीण	30
09	उदयपुर	बांसवाड़ा	24
		चितौड़गढ	31
		डूंगरपुर	57
		प्रतापगढ	28
		रासंमद	31
		उदयपुर	102
		योग	**1731**

स्त्रोत : www.police.rajasthan.gov.in

2. **स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजनाः**- केरल पुलिस की तर्ज पर राजस्थान में इसकी शुरूआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज में शांतिपूर्ण एवं सुखद वातावरण का निर्माण कर पुलिस एवं जनता के बीच की दूरी को कम करना शामिल है।
3. **जनसहभागिता अभियान की शुरुआत**- सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में सुधार के लिए सर्वप्रथम जयपुर में दिसम्बर 2004 में जनसहभागिता अभियान की शुरूआत की गई जिसका उद्देश्य जनता का विश्वास प्राप्त करना था।
4. **सम्बल योजनाः**- यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए शुरू की गई। यह ऐसे नागरिकों के लिए शुरू की गई जो शहरों में अकेले रहते हैं। इसके तहत प्रत्येक बीट कांस्टेबल द्वारा एक प्रपत्र, जिसमें वरिष्ठ जनों की जानकारी भरकर सप्ताह में एक बार बीट कांस्टेबल द्वारा इनसे मिलकर इनकी बैंक संबंधी या अन्य कार्यालय संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
5. **आस्था**- यह योजना स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर पुलिसकर्मियों द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर एवं महिलाओं एवं बच्चों के लिए लाभकारी योजनाओं की इसके माध्यम से जानकारी दी जाती है।
6. **संस्थागत ढांचे में सुधारः**- संस्थागत ढांचे में सुधार के अन्तर्गत मॉडल पुलिस थानों का निर्माण किया गया। यह मॉडल पुलिस स्टेशन 2004 से सर्विस डिलीवरी के संबंध में आमजन को सेवाऐं देने के उद्देश्य से इसकी शुरूआत की गई। कुछ थानों को आईएसओ 9000-2001 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया।
7. **बीट-बुक प्रणालीः**- इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक पुलिस थाने को विभिन्न बीटों में बांटकर आम जनता से सम्पर्क रखते हुए अपराध में कमी लाने की योजना बनाई गई है तथा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है।
8. **सूचना डेस्कः**- अपराध से सम्बन्धित एवं एफआईआर से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट को आमजन तक पहुंचाने के लिए इन सूचना डेस्क का निर्माण किया गया है।
9. **सीएलजी रूम या हॉलः**- प्रत्येक पुलिस थाने में सामुदायिक पुलिस सदस्यों की सुविधा के लिये सीएलजी हॉल का निर्माण किया गया।
10. **साईकिल एवं मोटर साईकिल से पेट्रोलिंगः**- आमजन में सुरक्षा की भावना एवं अपराध पर नियंत्रण के लिये पुलिसकर्मियों को साईकिलें एवं मोटरसाईकिले गश्त के दौरान उपलब्ध करवाई गई हैं।
11. **सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय**

विश्वविद्यालयः- राजस्थान के जोधपुर शहर में आमजन को पुलिस विषयों से संबंधित जानकारी देने एवं साईबर अपराधों से निपटने संबंधी विषयों पर शिक्षा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

12. **पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठनः**- राजस्थान सरकार ने प्रकाशसिंह केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में पुलिस जवाबदेही कमेटी का गठन किया है। रिटायर्ड न्यायाधीश भंवरू खां को इसका चेयरमेन नियुक्त किया है। पुलिस जवाबदेही कमेटी ने पुलिस अधिनियम 2007 के नियमों के तहत अपना कार्य शुरु किया है। कई जगह सुनवाई कार्यक्रम रखकर आम जनता को पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई का मौका दिया गया है।
13. **राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं एवं सामुदायिक पुलिस योजनाओं का क्रियान्वयनः**- राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएं वर्ष 2016 में अपराध नियंत्रण प्राथमिकताओं में सामुदायिक पुलिस योजनाओं को चतुर्थ प्राथमिकता में स्थान दिया गया है तथा पुलिस महानिदेशक ने इन्हे प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं।
14. **नागरिक अधिकार पत्रः**- राजस्थान पुलिस ने आमजन की सेवा के लिए नागरिक अधिकार पत्र जारी किया है जिसमें आम नागरिकों के प्रति पुलिस की जवाबदेही एवं कानून के माध्यम से समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण का प्रयास किया गया है।

सुझावः-

भारत में सामुदायिक पुलिस पद्धति में सुधार के लिए सुझावः-

1. **संगठनात्मक बदलावः** पुलिस संगठनात्मक रूप से बदलाव करना बहुत जरूरी है क्योंकि सामुदायिक पुलिस को क्रियान्वित करते समय यह अत्यधिक रूप से संगठनात्मक संस्कृति से प्रभावित होती है। अतः सामुदायिक पुलिस पद्धति को सफलता प्रदान करने के लिए परम्परागत पुलिसिंग से अलग दृष्टिकोण की जरुरत होती है। इसमें पुलिस पद सोपान व्यवस्था में प्रत्यायोजन के माध्यम से पुलिस संगठनों में इसे लागू किया जा सकता है।
2. **प्रशिक्षण में बदलावः** प्रशिक्षण में बदलाव कर पुलिस संगठन की मानसिकता में परिवर्तन किया जा सकता है। वर्तमान में जो पुलिस प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें शारीरिक प्रशिक्षण पर व्यापक रूप से जोर दिया जाता है परन्तु नागरिक पुलिस अन्तःसंबंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। खासकर कांस्टेबुलरी को प्रशिक्षण घटिया ढंग का दिया जाता है। उसे समुदायों से बातचीत करने एवं समुदायों से संपर्क स्थापित करने के तौर-तरीकों के बारे में प्रशिक्षण में नहीं समझाया जाता है।
3. **भर्ती पद्धति में बदलावः** भारत में पुलिस में जो भर्ती पद्धति है वह 1861 के पुलिस एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में हो रही है। भर्ती में बदलाव के लिए पुलिस की भर्ती नीति में बदलाव की जरुरत है ताकि अच्छी छवि वाले अधिक पढ़े-लिखे सुसंस्कृत लोग पुलिस की ओर आकर्षित हो सके।
4. **व्यापक रूप से सामुदायिक पुलिस पद्धति हेतु धन की व्यवस्थाः** भारत में प्रायः सामुदायिक पुलिस पद्धति के लिए अलग से धन की व्यवस्था नहीं की गई है। अतः बजट में सामुदायिक पुलिस पद्धति के लिए अलग से बजट स्वीकृत कर इस पद्धति की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है।
5. **पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के पाठ्यक्रम की अनिवार्यताः** प्रत्येक राज्य के पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम लागू किया जाए।
6. **मॉडल पुलिस बिल 2015 को अविलम्ब पारित किया जाना चाहिएः** हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा नया मॉडल

पुलिस बिल तैयार किया गया है। उसकी धारा 50 में समुदाय संपर्क समूहों के गठन का प्रावधान किया गया है साथ में बिल में पुलिस कांस्टेबुलरी के पदनाम में परिवर्तन किया गया है एवं उन्हें अधिक कार्यकुशल बनाने का प्रयास किया गया है। अविलंब इस नये मॉडल पुलिस बिल को संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

7. **एफआईआर का निर्बाध रजिस्ट्रेशनः** भारत में खराब पुलिस छवि का सबसे महत्वपूर्ण कारक एफआईआर का पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया जाना है जिससे पुलिस एवं जनता के बीच घटिया छवि का निर्माण हो जाता है। अतः इस संबंध में पूर्व डीजीपी प्रकाशसिंह द्वारा भी इस मुद्दे को विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में उठाया गया है कि भारत में पुलिस एफआईआर का सही ढंग से रजिस्ट्रेशन नहीं करती है जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। अतः समय पर एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कर या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का विकल्प प्रदान कर पुलिस एवं जनता के संबंधों में आई दरार को भरा जा सकता है।

निष्कर्षः-

भातर में सामुदायिक पुलिसिंग की पद्धति ने अपराध नियंत्रण में पुलिस बल का कई अवसरों पर भरपूर सहयोग किया है। फिर भी सामुदायिक पुलिसिंग को लेकर विभिन्न प्रकार की शिकायतें पत्र/पत्रिकाओं के माध्यम से आम जनता द्वारा विभिन्न मानवाधिकार संगठनों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आती रही है। वर्तमान समय में हमारे समक्ष सबसे बड़ी शिकायत पुलिस का राजनीतिक एवं आपराधिक गठजोड़ की है। आज वैश्विक स्तर पर हम देंखे तो सामुदायिक पुलिस प्रणाली ने अपराध नियंत्रण से लेकर पुलिस बलों में तनाव प्रबन्धन तक अपना प्रभाव छोड़ा है। भारत में अभी भी सामुदायिक पुलिसिंग के प्रति आम जनता व पुलिस दोनों में सामंजस्य का अभाव एवं सामुदायिक पुलिसिंग की संकल्पना के समक्ष कई प्रश्न खड़े हुए हैं कि यह संभ्रांत या उच्च वर्ग तक सीमित हो गई है। इसे सभी वर्गों अर्थात् समावेशी पुलिसिंग के रूप में प्रतिष्ठित करने की महत्ती जरुरत है ताकि आज के समय में अस्थिर समाज को भय मुक्त वातावरण का रूप दिया जा सके। आज हम देख रहे हैं कि सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज का संवद्धन बहुत ही जरूरी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तय किये हैं जिसमें 16वां लक्ष्य सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज का संवर्द्धन, सभी को न्याय तक पहुंच उपलब्ध करवाना तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी एवं समावेशी संस्थानों का निर्माण करना शामिल है। इसी कड़ी में हाल ही में राजस्थान सरकार ने समस्त सामुदायिक संपर्क समूहों के पुनर्गठन के लिये विस्तृत आदेश जारी किये हैं। संपर्क समुदाय समूहों को लेकर हाल ही में माननीय गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया एवं मुख्यमंत्री महोदया को इस संबंध में आम जनता की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई है कि अपने संपर्कों की वजह से कई सदस्य सालों से जमे बैठे हैं, उन्हें बदला ही नहीं गया है। ऐसे में सीएलजी का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने हाल ही में सीएलजी को लेकर मिल रही गंभीर शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये हैं ताकि वास्तव में सामुदायिक पुलिस पद्धति समावेशी पुलिसिंग की ओर अग्रसर हो सके।

संदर्भः-

- Sen Sanker, (Jan-Dec., 2007), Community Policing: Concepts And Elements, Sardar Vallahabhbhai Patel National Police Academy Journal, Retrieved from www. svpnpagov.in 2007 pds.

- Common Wealth Rights Initiative New Delhi, Worshop on Community Policing "Police Reforms too Important To Neglect, Too Urgent To Delay" [Date: December 1, 2002], bhilai. Retrieved from www.humanrights initiative.org/ publication-community-police-final-pdf
- Patel Hasmukh, (Jan-Dec. 2007), Community Policing: A Case Study, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Journal, retrieved from www.svpnpagov.in 2007 pdf
- Kotwal Nawaz, Patil Sanjay, (2012) Building Bridges: Experiments with Community Policing In South Asia, Retrieved From www.humanrights initiative.org/Publications/ BUilding-Bridges-2012-CHRI-pdf
- Dey Madhur Sourov, A.P.J., (January 5,2007), Improving The System Of Policing, Address At The 150 Year Celebration Of Chennai Metropolition Police Held At Chennai, http://bprd.nic.in
- Abdul Kalam A.P.J., (January 5,2007), Improving The System Of Policing, Address At The 150 Year Celebration Of Channai Metropoliton Police Held At Channai http://bprd.nic.in
- Model Police Manual Volume-1,BPR&D New Delhi, http://bprd.nic.in
- Narasimhan C.V., Democracy Demands Police Reforms, http://bprd.nic.in
- Citizen Charter Of Rajasthan Police, http://www.police.gov.in
- Community Liaisoning Group In Rajasthan Police, http://www.police.rajasthan.gov.
- Draft Model Police Bill, 2015, BPR&D, New Delhi
- स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, http://home.rajasthan.gov.
- लोक पुलिस, (अप्रैल, 2010), सी.एच.आर. आई. नर्ह दिल्ली।
- वर्धमान महावीर खुला विश्वद्यिालय कोटा, पुलिसिंग सिद्धान्त एवं व्यवहार, एमएपीएसटी-01, 2013
- पुलिस विज्ञान (अप्रैल-जून, 2008), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली।
- दैनिक भास्कर (23 फरवरी, 2016), बाड़मेर संस्करण।
- सिविल सर्विसेज क्रानिकल (अक्टूबर 2015)

नक्सलवादी समस्या के प्रस्तावित समाधान तकनीकी व गैर तकनीकी और पुलिस की भूमिका

डा० दिनेश कुमार गुप्ता
पोस्ट डाक्टोरल फेलो, रक्षा एवं स्ट्रैटजिक अध्ययन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ0प्र0)

गरीबों के लिए संघर्ष के नाम से 1967 में एक छोटे से गांव 'नक्सलबाड़ी' से शुरू हुआ आन्दोलन विगत दशक से आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन उभरा है। जिसके फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक एवं वैकासिक क्षेत्र के विभिन्न आयामों व उपादानों के मूलभूत ढांचों के स्थिर व विकसित होने के क्रम को गहरा आघात पहुंचा। हाल ही में घटित छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा और पश्चिम बंगाल के लालगढ़ की घटना नक्सलवाद का चरम अवस्था कही जा सकती है। नक्सलवादी प्रभावित राज्यों की दैनंदिन जिन्दगी और कुछ भागों में समानान्तर सरकार का कायम रहना इस बात का साक्ष्य है कि नक्सलवादी आन्दोलन मजबूत हो रहा है, जिसके पीछे उत्पीड़ित, प्रताड़ित आमजनता की सकारात्मक संवेदनशीलता और बहुआयामी सहानुभूति शामिल है। भौगोलिक रूप से 12 बड़े भारतीय राज्यों में नक्सलवादी अपनी जड़े जमा चुके हैं। देश के 600 जनपदों में से 170 जनपद नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित हैं, जो नेपाल से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक 'रेड कॉरिड़ोर' सृजन की ओर अग्रसर है।

अद्यतन परिस्थितियों में नक्सलवाद, आतंकवाद की तरह संयोजित, आयोजित और प्रायोजित बन चुका है। वित्त, विचारधारा और छोटे शस्त्रों की सतत् आपूर्ति नक्सलवादी आन्दोलन के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो रही है। आज नक्सलवादी आन्दोलन छोटे हथियारों के मामलों में दुनिया के अमीर देशों के समकक्ष पहुंच गया है। आतंक का पर्याय बने नक्सलियों के पास वह सभी अत्याधुनिक हथियार है; जिसका इस्तेमाल आतंकी करते हैं। एके-47, 56, 74, 97 श्रेणी की राइफलें, इजरायल की स्नाइपर बन्दूकें, कारबाईन्स, लैण्डमाइन्स व विस्फोटक नक्सलियों के आम उपयोग की चीजें हो गयी हैं। कभी लाठियों एवं तीर कमान का उपयोग करने वाले नक्सलियों के आन्दोलन को खूनी रूप देने में विचारधारा, वित्त एवं छोटे हथियारों की भूमिका असंदिग्ध है।

अन्याय, उत्पीड़न व अस्मिता जब दांव पर लग जाती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। लेकिन एक मर्यादा के भीतर, व्यवहार में जब अंतिम विकल्प मर्यादा की भी अनदेखी कर दी जाती है; तो स्थिति बेहद विस्फोटक हो जाती है, जिसे संभाल पाना असंभव तो नहीं पर मुश्किल जरूर हो जाता है।

1967 का नक्सलवादी आन्दोलन और अद्यतन नक्सलवादी आन्दोलन के ध्येय, उद्देश्य व रणनीति में भारी अन्तर ऐसी ही परिस्थितियों की देन कहा जा सकता है।

नक्सलबाड़ी गांव के आदिवासी किसानों के अन्याय व उत्पीड़न के विरूद्ध संघर्ष का नेतृत्व चारु मजूमदार व सान्याल के लिये जायज था। जायज मांग की प्रतिपूर्ति न किया जाना इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। स्वाभाविक रूप से कुछ समय अंतराल पश्चात विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो समस्या को सुलझाने के बजाय उलझाने में ज्यादा रूचिकर साबित होती है।

इतिहास दो तरह का है-तथ्यों का इतिहास और व्याख्यात्मक इतिहास। निहित राजनीतिक, आर्थिक एवं वैकासिक स्वार्थों के आलोक में जब तथ्यों से छेड़-छाड़ की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से व्याख्यात्मक स्वरूप प्रभावित होगा। अद्यतन नक्सलवादी आन्दोलन इससे इत्तिफाक रखता है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि समसामयिक आन्दोलन में तीन तरह के लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं:-

(अ) ऐसे लोग जो नक्सलवादी विचारधारा से इत्तिफाक रखते हैं, जिन्हें 'यथार्थ नक्सलवादी' कहा जा सकता है।

(ब) ऐसे लोग जिनकी भावनाओं का व्यापार किया जाता है, इन्हें 'परिस्थितिवश नक्सलवादी' कहा जा

सकता है।

(स) ऐसे लोग जो स्टेट्स सिंबल के रूप में नक्सलवादी कहलाना पसंद करते हैं, इन्हें 'अवसरपरस्त नक्सलवादी' कहा जा सकता है।

हमें नक्सलवादी समस्या से निपटने के क्रम में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उपचारात्मक विकासात्मक कदम उठाने होंगे।

उक्त तथ्यों के आलोक में पराम्परागत और अद्यतन नक्सलवादी आन्दोलन के चरित्र, चिंतन एवं चित्रण के वास्तविक स्वरूप को समझकर समाधान के उपाय तलाशने होंगे। नक्सलवादी समस्या के समाधान हेतु हमें तकनीकी और गैरतकनीकी स्तर पर व्यावहारिक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

नक्सलवादी समस्या का तकनीकी समाधानः-

1. नक्सलवादियों के लोक तांत्रिक मांगों को हर परिस्थिति में सम्मान सुनिश्चित करना होगा।
2. कृषि क्षेत्र में सुधार विशेषकर 'लैंड सीलिंग एक्ट' पर त्वरित कार्रवाई करनी होगी।
3. जनजातीय लोगों के वनाधिकार को मान्यता तत्काल प्रदान करनी होगी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए नक्सलवादियों के लोकतांत्रिक मांगो को तत्काल पूरा करें। संवाद का रास्ता किसी भी स्थिति में बंद नहीं करना चाहिये। सामरिक मोर्चे पर सेना का उपयोग उचित नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर नक्सलवादी कार्रवाईयों से निपटने हेतु लगाया जाना चाहिए। सेना हर समस्या का विकल्प नहीं होना चाहिए। सेना मानसिक तौर पर वाह्य मोर्चे के लिए प्रशिक्षित होती है, आंतरिक मोर्चे के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त सेना के उपयोग से अनेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है।

आदिवासियों और गरीब तबके के लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर विकास का पथ प्रशस्त करने में तत्काल रोक होनी चाहिए। उनकी कृषि योग्य जमीनों में उन्नत सुविधाएं यथा-बीज, उर्वरक, पानी, बिजली, डीजल, उपलब्ध कराकर नकदी और मौसमी फसलों को उगाने हेतु सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रयास होना चाहिए।

इसके साथ ही जनजातीय लोगों के बनाधिकार को मान्यता प्रदत्त कर उत्पादन, संग्रहण और स्तरीय विपणन का विकासोन्मुख परिवेश का सृजन किया जाना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आदिवासी क्षेत्रों में सुधार के शुरआती समय पर प्रवेश/अनुबन्ध को तत्काल निरस्त करना चाहिए, क्योंकि इससे भुगतान संबंधी समस्याएं विस्फोटक रूप धारण कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास और औद्योगिकीकरण होना चाहिए ताकि जीवन स्तर समाज के मुख्यधारा के समकक्ष लाया जा सके। विकास प्रक्रिया उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बजाय स्थानीय संसाधनों, जनशक्ति के सहभागिता से ही संचालित की जानी चाहिए। स्थानीय जरूरतों और स्थानीय संसाधनों को समेकित कर ही औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का व्यावहारिक स्वरूप प्रदत्त करना होगा।

नक्सलवादी समस्या के गैरतकनीकी समाधान-

- सामाजिक स्तर पर
- आर्थिक स्तर पर
- सांस्कृतिक स्तर पर
- रणनीतिक स्तर पर
- मनोवैज्ञानिक स्तर पर
- राजनैतिक स्तर पर
- शैक्षिक स्तर पर

नक्सलवादी समस्या के सामाजिक- सांस्कृतिक स्तर पर आदिवासियों और गरीबों के परांपरागत सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक संरचना, प्रथा, रीति-रिवाज का सम्मान सुनिश्चित करना होगा। भेदभावकारी और असंतुलनकारी तत्वो को पहचान कर उपचारात्मक प्रबन्ध सुनिश्चित करने होंगे। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन में प्रमुखता देकर विकासपरक नीतियों को 'आदिवासियों के लिए आदिवासियों द्वारा' व्यावहारिक स्वरूप प्रदत्त करना होगा। सरकारी और इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट माध्यमों द्वारा 'सांस्कृतिक उदारता' का विचार पोषण हेतु व्यापक स्तर

पर मुहिम चलानी होगी। आदिवासी और गरीब तबकों का पारदर्शिता के साथ शहरीकरण के समकक्ष जीवन स्तर उठाने के गंभीर कदम उठाने होंगे। जो सिर्फ आरक्षण तक सीमित न होकर व्यावहारिक स्तर पर जमीनी मदद प्रदत्त करनी होगी।

सरकारी स्तर पर समन्यवयकारी विकासपरक कदम उठाने होंगे। शिक्षा के जरिए विचारधारा को परिवर्तित कर विकास के महत्व को वास्तविक सदस्यों तक पहुंचाकर साथ ही विभिन्न जरूरी वैकासिक संसाधन उपलब्ध कराकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना होगा।

मनौवैज्ञानिक स्तर पर उनकी भाषा, बोली, व्यवहार, रहन-सहन, आत्मीयता, सहिष्णुता इत्यादि गुणों से युक्त लोगों को प्रशिक्षित कर विकास परक कदमों को शीर्ष एन0जी0ओ0 एवं सरकारी स्तर पर मानव संसाधन तैयार कर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जमीन से जोड़ने होंगे। मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके समस्या की गहराई को समझा जा सकता है और उसी के अनुरूप समाधान भी तलाशे जा सकते हैं।

औद्योगिकीकरण की किसी भी प्रक्रिया में स्थानीय संसाधन यथा- मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसाधन का सम्मान करते हुए सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की सारी प्रक्रियाएं ऐसे क्षेत्रों में नहीं होनी चाहिए। स्थानीय लोगों द्वारा संचालित स्थानीय वनोद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर सरकार द्वारा तकनीकी, वित्तीय और अन्य संबंधित सुविधाएं प्रदत्त करनी होगी। इसके साथ ही कार्य और भुगतान में संतुलन सुनिश्चित करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्टाचार न हो।

विकास के समानान्तर हमें सख्त रणनीतिक कदम भी उठाने होंगे। छोटे हथियारों की तस्करी, वित्त पोषण और विनाशपरक विचाराधारा पर कड़ी नज़र रखने के साथ ही त्वरित क्रियाशील दस्तों' का गठन भी सुनिश्चित करना होगा। कोशिश हो कि सभी प्रभावित राज्यों पर एक साथ, एक दिन, एक समय पर बन्दूक अपनाने वालों को बन्दूक से जवाब दें। ताकि मानव संसाधन संचरण, सैन्य साजोसामान, वित्त पोषण और आराम के लिहाज से नक्सलवादियों को समय न प्राप्त हो सके। इस तरह की कार्रवाईयां आयकर विभाग के छापे की तरह हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वोट बैंक की सुरक्षा खातिर अधिकांश राजनैतिक दल/सरकारें नक्सलवादी समस्या को खत्म करने में असहज महसूस करते हैं। जिसके फलस्वरूप राजनैतिक इच्छाशक्ति का आभाव उत्पन्न होता है और इसी राजनैतिक मजबूरी या कमजोरी के मनोविज्ञान को समझकर नक्सलवादियों के शीर्ष नेतृत्व को उत्साहित करता है। बिना राजनैतिक इच्छा शक्ति के जागृत होने के नक्सलवादी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। प्रभावित राज्यों के कुछ हिस्सों में देखा गया है, स्थानीय नेता, स्थानीय आदिवासी जनता का 'ब्रेनवाश' कर नक्सलवाद को पनपाने में ही या नक्सली ढाल में ही ढेर सारे व्यापार या राजनीति की श्रीवृद्धि की जा सकती है या सरकार द्वारा विकास के भेजे गए संसाधनों का दुरूपयोग कर जानबूझकर अभाव का वातावरण उत्पन्न कर अपनी महत्वकांक्षा की पूर्ति के क्रम में जनता को सरकार के विरूद्ध भड़काया जाता है, जो कालान्तर में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।

नक्सलवादी समस्या के समाधान के लिए विकास के किसी भी रास्ते को तय करने के लिहाज से या किसी भी तरह की उपचारात्मक या दण्डात्मक कार्रवाई करने के क्रम में स्थानीय लोगों की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी। जिससे विभिन्न तरह की सूचनाएं, संसाधन और सहयोग प्राप्त हो सके। विकास के किसी भी तरह के कदमों को तय करने में स्थानीय पृष्ठभूमि से समाधान उपायों को तलाशनें होंगे। इसके साथ ही स्थानीय नवयुवकों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासपरक कार्यक्रमों में तरजीह देनी होगी। नक्सलवादियों के विरूद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई में चाहे वह विकासपरक हो या जवाबी धीरे-धीरे मनोवैज्ञानिक तकनीकों को उपयोग कर उनके साथ परस्पर घुलमिलकर 'आदिवासी मित्र' के रूप में विकासोन्मुख कदमों को दिशा देनी होगी। अन्यथा स्थिति विस्फोटपरक होगी जो नक्सलवादियों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

हमें नक्सलवादी समस्या के समाधान में भयादोहन और साफ्ट तकनीकों को एक साथ लेकर चलना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नक्सलियों को यह न प्रतीत हो कि हम उनके उस्ताद हैं। हमें उनके साथ घुलमिलकर उन्हीं की समस्याओं, संसाधनों व सहुलियतों से विकास के पथ प्रशस्त करने होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, दीर्घकालीन है, जिसे असंभव भी नहीं कहा जा सकता है। हमें ऐसे तत्वों को पहचान कर 'व्यवस्था' को सही हाथों में देना सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा नक्सलवाद हमारे चिंतन, चरित्र और चित्रण का सिर्फ विष्यवस्तु बनकर रह जाएगा।

नक्सलवाद समस्या समाधान की '3D' रणनीति

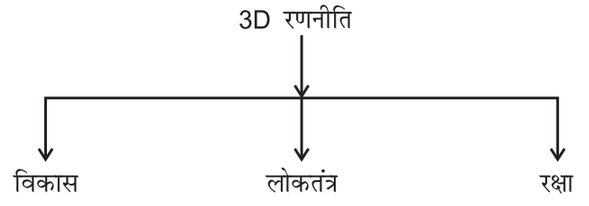

अब तक के अध्ययन व अनुसंधान से यह सर्वमान्य हो चुका है नक्सलवाद मूलत: आर्थिक व सामाजिक समस्या है। जरुरत उक्त समस्या का समाधान ही नक्सलवाद का समाधान है। समयबद्ध, कार्यक्रमवद्ध व नियंत्रणवद्ध आर्थिक व सामाजिक संसाधनों/योजनाओं/कार्यक्रमों का बेहतर निवेश हालात के मद्देनजर समस्या समाधान की दृष्टि से 'मास्टर की' के तौर पर समझना जरूरी होना चाहिए। 'आदिवासियों के लिए आदिवासियों' द्वारा विकास माडल को तरजीह देना समय की जरुरत है। मसलन वहा के नवयुवकों को शिक्षा, दक्षता-कौशल व उन्हीं के विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं में रोजगार स्थापन की व्यवस्था, महिलाओं/पुरुषों के लिए स्थानीय सुलभ संसाधनों में रोजगार स्थापन की व्यवस्था, निवेश/रोजगार की श्रृंखला, बालिकाओं के लिए बेहतर शिक्षा-दक्षता आधारित पाठ्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश या जरुरत के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना इत्यादि। आदिवासी स्थानीय युवकों को ही प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा संस्थानों उद्योगों आदि पर सेवायोजन जैसे तरीकों को अपनाया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की प्रबलता महत्वपूर्ण हैं साथ ही किन्हीं भी कार्यक्रमों में 'किसी का हक कोई न हड़पे' के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति व बेहतर नियंत्रण/निर्देशन प्रणाली अपनानी होगी। विकास के लिए सरकारें निवेश करती रही है। मगर समस्या समाधान होने के बजाए और विकास व विस्तार पा रही है। आखिर क्यों? युद्ध व विकास विशेषज्ञ राबर्ट मैकनमारा का यह कथन 'बिना विकास के सुरक्षा नहीं हो सकती और सुरक्षा के लिए विकास जरुरी है। उक्त आलोक में हम स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए विकास का जो भी ढांचा सृजन करें, यह जरुर सुनिश्चित होना चाहिए कि आदिवासियों को महसूस हो कि वह विकसित हो रहे हैं और यह भाव उनके अभाव को कमतर करते हुए सुरक्षा का एहसास देगा। इस तरह की सुरक्षा का एहसास ही विकास की दर को गति देने मे सहायक हो सकता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी भी सभ्य समाज की निशानी मानी जाती है। खासतौर पर जो समाज विचलन की अवस्था में हो वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और महत्वपूर्ण हो जाती है ज्ञातव्य है नक्सलवाद एक विचार है, आन्दोलन है जो सामाजिक व आर्थिक समस्या से प्रेरित है। यह जरुरी है जो भी इस विचार व आन्दोलन से मुक्त होकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हो रहे हैं प्रथम व प्राथमिक तौर तरीका लोकतांत्रिक ही होना चाहिए ताकि वह वापस अपनी मुहिम हेतु मौका न पा सके। इसी क्रम में उनके सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत का सम्मान जरुरी है। संभव है सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने से सम्बन्धित संस्थानों का संस्थापन हो।

इस तरह समग्र रूप से हम नक्सलवादी क्षेत्रों में चल रहे विकास मॉडल की समीक्षा कर सकते हैं। जरुरी संशोधन व बेहतर नियंत्रण/निर्देशन के बलबूते कुछ बेहतर हो सकता है। जरूरत है परम्परागत तौर तरीकों को तत्काल बदलने और जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति की। आज के परिप्रेक्ष्य मे आर्थिक भ्रष्टाचार हर तरह के नीति, नियति व नियम बदलने में सक्षम है। नक्सलवादी क्षेत्रों में चल रहे विकास माडल इससे इत्तिफाक रखते हैं इसलिए

समस्या है, न रखे तो समाधान संभव है ऐसा कह सकते हैं।

पुलिस की भमिका

व्यक्ति हो या संस्था भूमिका पर सवाल फैशन सा हो गया है। समग्र विकास के मद्देनजर सवालों को सकारात्मक संदर्भ में ही ग्रहण करना चहिए। खासतौर पर नक्सलवादी समस्या समाधान मुहिम में जब संस्थानो का समूह कार्य कर रहा हो तो सिर्फ एक की भूमिका पर विचार करना व सवाल करना मुश्किल होता है, मगर असंभव नहीं। कुछ सुझाव निम्नवत हैं-

1. आचरण सम्बन्धी

(अ) किन्हीं भी परिस्थितियों में व्यवहार मानव गरिमा के विरुद्ध न हो।

(ब) विकास में सहभागी पुलिस छवि सम्बन्धित क्षेत्रों में हो।

(स) सम्बन्धित क्षत्रों में सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का सम्मान सुनिश्चित हो, ऐसा संदेश सम्बन्धित समाज में जाए।

(द) आचरण में संगतता हो।

(य) आचरण प्रेरणापरक हो।

2. प्रशिक्षण सम्बन्धी

(अ) सामुदायिक पुलिसिंग

(ब) समस्या ग्रस्त क्षेत्र की भौतिक स्थल की गहन पड़ताल कर पेट्रोलिंग के तौर तरीकों की गहन समीक्षा।

(स) गुरिल्ला युद्धकर्म, गतिशील युद्धकर्म व जंगल युद्धकर्म में सूक्ष्म विभेदकारी प्रशिक्षण समय की जरुरत।

(द) नक्सलवादियों के मुकाबले बेहतर व नई भिन्न-भिन्न तकनीक से लैस हथियारों का प्रशिक्षण।

3. रणनीति सम्बन्धी

(अ) 'फिपथ कालमिस्ट' (पंचमार्गीय तत्वों) पर कड़ी कार्रवाई।

(ब) रणनीतिक घात।

(स) जो नक्सलवादी विकास की मुख्यधारा में नहीं लौटना चाहते उन पर जैसे के तैसे के तर्ज पर कार्रवाई।

(द) 'डेवलपमेन्टल पुलिसिंग' पर तभी जब विकास प्रतिनिधि अपना कार्य न कर रहे हो या भ्रष्टाचार कर रहे हो 'ऑन स्पॉट' कड़ी कार्रवाई का अधिकार, सरकार सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्रों में दे। क्योंकि नक्सली समस्या का बड़ा हिस्सा यही बिन्दु है।

4. नवाचार सम्बन्धी

'आदिवासियों के लिए आदिवासियों द्वारा' के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्रवार स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए वहीं के युवकों को शिक्षित-प्रशिक्षित और भर्ती कर 'आदिवासी पुलिस सेवा' जैसे नामों से कंपनी, बटालियन व बिग्रेड' का गठन किया जा सकता है। प्रभावित क्षेत्र का युवा प्रभावित क्षेत्र पर ही कार्य करे तो संभव है विश्वास और प्रतिस्पर्धा की उर्जा विकास के वातावरण को तैयार कर सके। मुख्य बल नियंत्रण व निर्देशन की भूमिका में जरुर होना चाहिए ताकि बड़े मामले सुलझा सके। संभव है वाह्य/आंतरिक हस्तक्षेप, विदेशी फंडिंग व हथियार की महत्ता ही खत्म हो जाए क्योंकि नक्सलवादी समस्या का बड़ा हिस्सा सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अधिक है। समाधान के प्रभावशाली हथियार भी इन्हीं में से तय करना होगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस की कार्यक्षमता एवं अपेक्षित सुधारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रो० श्रीमती अनुपम शर्मा

प्रोफेसर राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक मध्य प्रदेश

पुलिस संगठन प्रत्येक व्यवस्था का एक मुख्य संगठन होता है जिसका प्रमुख कार्य अपराधों की रोकथाम करना, जांच पड़ताल करना तथा शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। यह संगठन किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में अस्तित्व में रहा है जो यह स्पष्ट करता है कि समाज में अपराध किसी न किसी रूप में घटित होते रहे हैं। वर्तमान में भारत में आंकड़े दर्शाते हैं कि अपराधों की गति में प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि हो रही है एवं उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन आ रहा है। यही वृद्धि एवं प्रकृति मे परिवर्तन भारतीय पुलिस संगठन एवं राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है कि व्यवस्था के द्वारा क्या प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि स्थिति पर नियन्त्रण बनाया जा सके तथा व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अपराध की समस्या का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हुए समस्या के समाधान हेतु सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत करना है।

वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अपनाने के फलस्वरूप राज्य से यह अपेक्षा बढ़ जाती है कि वह व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करेगा तथा सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के सम्पूर्ण अवसर प्रदान करेगा। अपराधों की बढ़ती संख्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पहुंचाती है, तथा नागरिकों के जीवन रक्षण को असुरक्षित बनाती है और व्यवस्था के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए तथा व्यक्तियों को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रयास किए जा रहे हैं परन्तु ये प्रयास कुछ सीमा तक ही सार्थक रहे हैं। ये प्रयास उस सीमा तक सफल नहीं हो पाए जो अपेक्षित थे इसी के परिणाम स्वरूप अपराधों की गति निरन्तर बढ़ती रही है।

अपराधों की गति को नियन्त्रित करने के लिए भारत में भी समय-समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं तथा सरकार के द्वारा अपराधों को रोकने, बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा पुलिस सुधारों के लिए समय-समय पर समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया है। इन समितियों एवं आयोगों ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किए परन्तु इन सुझावों के उपरान्त भी अपराध की समस्या निरन्तर विकराल रूप लेती जा रही है। निम्न तालिका के द्वारा भारत में अपराधों के आंकड़ों को भलीभांति समझा जा सकता है:-

तालिका-1

वर्ष 2014 में भा.दं.सं. व विशेष स्थानीय कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों तथा पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्रकृति व संख्या

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य	मौखिक शिकायत				लिखित शिकायत			
		कुल मौखिक शिकायत	थाना अध्यक्ष/ थाना प्रभारी को बताई	100 नं/ फोन पर विपत्ती पुकार	इलैक्ट्रानिक रूप में प्राप्त शिकायत	कुल लिखित शिकायत	थाना अध्यक्ष/ थाना प्रभारी	पुलिस अधिक्षक	भादं.सं. की धारा 156(5) के अंतर्गत शिकायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	87630	19564	68064	2	143887	139448	1138	3301
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	0	2487	2485	0	2

3	असम	0	0	0	0	96161	93127	1190	1844
4	बिहार	8523	8472	51	0	169400	151040	6012	12348
5	छत्तीसगढ़	117141	103002	11734	2405	94167	67689	22007	4471
6	गोवा	20332	20311	21	0	2905	2876	9	20
7	गुजरात	163646	158585	4961	100	260058	255453	4399	206
8	हरियाणा	206061	14459	174900	16702	176567	101154	73906	1507
9	हिमाचल प्रदेश	7156	4123	2103	930	23013	15394	7343	276
10	जम्मू एवं कश्मीर	3271	2085	1053	133	19313	17865	647	801
11	झारखंड	5252	5232	16	4	42664	36328	107	6229
12	कर्नाटक	22757	20985	10	1762	177578	173284	899	3395
13	केरल	158340	105961	43447	8932	274923	255829	11364	7730
14	मध्य प्रदेश	263229	229212	32812	1205	251444	134786	107490	9168
15	महाराष्ट्र	359083	326607	31831	645	627830	565891	58572	3367
16	मणिपुर	85	85	0	0	3649	3646	3	0
17	मेघालय	1	1	0	0	3869	3459	394	16
18	मिजोरम	1218	1185	36	0	1130	1130	0	0
19	नगालैंड	297	33	223	41	1325	1323	2	0
20	उड़ीसा	175	175	0	0	75899	72778	31	3090
21	पंजाब	187622	8122	158526	20974	196704	81903	114718	83
22	राजस्थान	13344	10781	1613	950	243718	171945	6627	65146
23	सिक्किम	80	79	1	0	1176	1175	1	0
24	तमिलनाडू	41257	30697	8789	1771	484395	476576	5898	1921
25	तेलंगाना	998	357	641	0	112888	108709	208	3971
26	त्रिपुरा	55	38	17	0	5015	4146	0	869
27	उत्तर प्रदेश	94247	52999	40703	545	571288	338545	218643	14100
28	उत्तराखंड	683	683	0	0	10229	9654	100	475
29	पं.बंगाल	92331	89869	2160	302	213024	179096	3327	30601
	कुल राज्य	**1854816**	**1213699**	**583714**	**57403**	**4286706**	**3466734**	**645035**	**174937**
	संघ राज्य								
30	अंडमान निकोबार द्विपसमूह	2872	2818	54	0	190	174	10	6
31	चंडीगढ़	85056	0	85056	0	16658	0	16640	18
32	दादर एवं नगर हवेली	883	183	700	0	1565	1551	0	14
33	दमन व दीव	22	22	0	0	238	226	0	12
34	दिल्ली संघ राज्य	2459421	39561	2419694	166	299456	213561	84785	1110
35	लक्ष्यद्वीप	3	0	3	0	192	137	53	2
36	पुडूचेरी	1103	1052	45	6	1996	1884	46	66
	कुल संघ राज्य	**2549360**	**43636**	**2505552**	**172**	**320295**	**217533**	**101534**	**1228**
	अखिल भारतीय कुल	**4404176**	**1257335**	**3089266**	**57575**	**4607001**	**3684267**	**746569**	**176165**

तालिका-1 जारी

वर्ष 2014 में भा.दं.सं. व विशेष स्थानीय कानून के अंतर्गत दर्ज मामले तथा पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्रकृति व संख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य						कालम 3+7 +11) की कुल शिकायत	दर्ज मामलो की संख्या		पुलिस द्वारा दर्ज असंज्ञेय शिकायतों की संख्या
		अन्य कुल शिकायतें	रा.मा.आयोग/ रा.मा.आ./ एनसीपीसी मानवाधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतें	अनूसूचित जाति व जन जाति राष्ट्रीय आयोग से प्राप्त शिकायतें	पुलिस द्वारा अपनी ओर से की गई शिकायत	कालम 12 व 13 के अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा		भा.दं.सं.	वि.स्थानीय कानून	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आंध्र प्रदेश	6248	40	19	4005	2184	237765	114604	25278	97883
2	अरुणाचल प्रदेश	549	0	0	9	540	3038	2843	195	0
3	असम	1240	0	0	0	1240	97401	94337	3064	0
4	बिहार	17828	1	0	571	17253	195748	177595	17445	708
5	छत्तीसगढ़	180444	122	31	14940	165351	391752	58200	285611	47941
6	गोवा	3028	0	0	3004	24	26265	4466	3006	18793
7	गुजरात	22171	1753	0	11200	9218	445875	131385	290914	23576
8	हरियाणा	62077	2770	742	10406	48159	444705	79947	35522	329236
9	हिमाचल प्रदेश	3397	257	10	989	2141	33566	14160	2962	16444
10	जम्मू एवं कश्मीर	2869	0	0	949	1920	25453	23848	1605	0
11	झारखंड	3740	12	0	110	3618	51656	45335	6321	0
12	कर्नाटक	22072	6	0	11868	10198	222407	137338	25665	59383
13	केरल	403433	1686	43	379028	22676	836696	206789	403576	49481
14	मध्य प्रदेश	75854	2558	325	10928	62043	590527	272423	101746	216358
15	महाराष्ट्र	285033	75	76	113863	171019	1271946	249834	134981	887131
16	मणिपुर	775	0	0	491	284	4509	3641	868	0
17	मेघालय	113	0	33	80	0	3983	3679	304	1460
18	मिजोरम	227	0	0	227	0	2575	2140	435	0
19	नगालैंड	49	0	0	0	49	1671	1157	514	0
20	उड़ीसा	17583	0	0	16912	671	93657	74569	19088	0
21	पंजाब	47942	8337	681	468	38456	432268	37162	27812	42694
22	राजस्थान	50713	271	49	17043	3350	307775	210418	58140	39217

23	सिक्किम	84	0	0	16	68	1340	1065	200	110
24	तमिलनाडू	218709	78	68	194945	23618	744361	193200	311879	239282
25	तेलंगाना	14851	50	12	5024	9765	128737	106830	20876	861
26	त्रिपुरा	689	0	20	139	530	5759	5490	260	0
27	उत्तर प्रदेश	2273286	15789	3359	2096413	157725	2938821	240475	2393330	24682
28	उत्तराखंड	169550	0	0	169466	84	180462	9156	170767	539
29	पं.बंगाल	88330	61	32	10566	77671	393685	185672	20708	187305
	कुल राज्य	**3972881**	**33866**	**5500**	**3073660**	**859855**	**10114403**	**2687767**	**4363072**	**2502084**
	संघ राज्य									
30	अंडमान निकोबार द्विपसमूह	2190	0	0	2190	0	5252	746	2122	2384
31	चंडीगढ़	24	0	1	23	0	101738	3221	1457	97060
32	दादर एवं नगर हवेली	23	0	0	17	6	2471	277	20	16
33	दमन व दीव	0	0	0	0	0	260	233	19	0
34	दिल्ली संघ राज्य	39206	1265	337	1777	35827	2798083	155654	9908	1153362
35	लक्ष्यद्वीप	30	0	0	30	0	225	81	34	110
36	पुडूचेरी	2069	36	5	1426	602	5168	3584	998	586
	कुल संघ राज्य	**43542**	**1301**	**343**	**5463**	**36435**	**2913197**	**163796**	**14558**	**1253518**
	अखिल भारतीय कुल	**4016423**	**35167**	**5843**	**3079123**	**896290**	**13027600**	**2851563**	**4377630**	**3755602**

स्रोत : ''भारत में अपराध'' राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, 2014

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पुलिस के पास शिकायतें मौखिक, लिखित, फोन के द्वारा और कभी-कभी पुलिस के द्वारा स्वयं भी शिकायतें दर्ज करायी जाती है। वर्ष 2014 में सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज हुई। भारतीय समाज में अभी भी परिवार एवं समाज के भय एवं डर के कारण कुछ मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। तकनीक के प्रयोग के कारण शिकायतें अधिक दर्ज होती हैं अब पीड़ित पुलिस से दूर होकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है तथा पुलिस तक पहुंच सकता है। भारत में अब कुछ पुलिस थानों में ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज की जाती हैं जो निश्चित रूप से प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होती है। दर्ज होने वाले अपराधों में अब परम्परागत अपराधों के साथ आधुनिक अपराध भी दर्ज हो रहे हैं अर्थात् अपराधी भी अब घटना स्थल से दूर रहकर भी घटना को अंजाम दे सकता है। इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देने के लिए अपराधी के द्वारा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों के कारणों का पता लगाना परम्परागत अपराधों की तुलना में कठिन होता है। इन परिस्थितियों में अपराधी के लिए पुलिस से बचकर निकलना आसान रहता है। साइबर अपराधों की संख्या तीव्रता से बढ़ती जा रही है तथा इन अपराधों में अपराधी परिपक्व ही नहीं बल्कि अव्यस्क भी इन अपराधों में संलिप्त हो रहे हैं। यह निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर अपराधियों की आयु अधिकतर मामलों में कम पायी जाती है।

सारणी-2

वर्ष 2014 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध घटित घटनाएं एवं अपराध दर

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य	घटनाएं	कुल का अखिल भारतीय प्रतिशत	प्रक्षेपित मध्यवर्ग महिला जन संख्या (लाखों में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	16512	4.9	253.5*	65.1
2	अरुणाचल प्रदेश	351	0.1	6.1	57.4
3	असम	19139	5.7	155.1	123.4
4	बिहार	15383	4.6	492.2	31.3
5	छत्तीसगढ़	6255	1.9	126.2	49.6
6	गोवा	488	0.1	9.1	53.9
7	गुजरात	10837	3.2	291.4	37.2
8	हरियाणा	8974	2.7	122.9	73.0
9	हिमाचल प्रदेश	1517	0.4	34.2	44.4
10	जम्मू एवं कश्मीर	3321	1.0	58.3	57.0
11	झारखंड	5972	1.8	159.8	37.4
12	कर्नाटक	13914	4.1	302.8	46.0
13	केरल	11380	3.4	180.7	63.0
14	मध्य प्रदेश	28678	8.5	363.2	79.0
15	महाराष्ट्र	26693	7.9	561.3	47.6
16	मणिपुर	337	0.1	12.6	26.7
17	मेघालय	388	0.1	13.5	28.8
18	मिजोरम	258	0.1	5.1	51.0
19	नगालैंड	67	0.0	11.1	6.0
20	उड़ीसा	14606	4.3	207.5	70.4
21	पंजाब	5425	1.6	132.1	41.1
22	राजस्थान	31151	9.2	340.9	91.4
23	सिक्किम	110	0.0	3.0	36.9
24	तमिलनाडू	6325	1.9	342.9	18.4
25	तेलंगाना	14136	4.2	180.6*	78.3
26	त्रिपुरा	1615	0.5	18.4	88.0
27	उत्तर प्रदेश	38467	11.4	1004.8	38.3
28	उत्तराखंड	1395	0.4	51.0	27.4
29	पं.बंगाल	38299	11.3	448.4	85.4
	कुल राज्य	**321993**	**95.3**	**5888.3**	**54.7**
	संघ राज्य				
30	अंडमान निकोबार द्विपसमूह	115	0.0	2.6	44.2
31	चंडीगढ़	432	0.1	6.9	62.3
32	दादर एवं नगर हवेली	21	0.0	1.9	11.1
33	दमन व दीव	15	0.0	1.0	14.6
34	दिल्ली संघ राज्य	15265	4.5	90.3	169.1
35	लक्ष्यद्वीप	4	0.0	0.4	10.0
36	पुडूचेरी	77	0.0	7.3	10.6
	कुल संघ राज्य	**15929**	**4.7**	**110.4**	**144.3**
	अखिल भारतीय कुल	**337922**	**100.00**	**5998.7**	**56.3**

स्रोत : ''भारत में आराध'' राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, 2014

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014 में महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में 337922 अपराध घटित हुए। सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में दर्ज हुए। उपरोक्त मामलों की संख्या वह है जो पुलिस थानों में दर्ज है परन्तु वास्तव में यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें परिवार एवं समाज के भय के कारण बाहर नहीं आ पाती हैं। कुछ शिकायतें पुलिस की कार्य प्रणाली के कारण दर्ज ही नहीं हो पाती हैं। वर्तमान समय में महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं जिसके परिणाम स्वरुप वे न केवल दिन में बल्कि रात में भी कार्यालयों में कार्य करती हैं। अधिकतर क्षेत्रों में महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध कुछ सीमा तक उनकी आर्थिक क्षेत्र तथा देश के विकास की भागीदारी को सीमित करते हैं। भारत में अपराधों की रोकथाम करने, जांच पड़ताल करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशाल पुलिस संगठन कार्यरत है परन्तु इसके बावजूद भी कानून व व्यवस्था की स्थिति भी अक्सर अस्थिर बनी रहती है तथा अपराध नियन्त्रण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। अपराधी आज कम उम्र की लड़कियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। अपराधों को अंजाम देने में आज केवल परिपक्व व्यक्ति ही नहीं बल्कि कम आयु के युवा भी जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अपराध के इस वातावरण में व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करता है।

उपरोक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष निकलता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपराधों का आंकड़ा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। भारत में अधिकतर राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 2008 से 2014 के मध्य अपराध के आंकड़ों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ये आंकड़े प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ते दिखलायी देते हैं। आज भी भारतीय समाज में कुछ अपराध ऐसे घटित होते हैं जो विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध होते हैं। परिवार तथा समाज के भय के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते अन्यथा अपराधों का आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। अपराधी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। इस प्रकार के अपराध पुलिस व्यवस्था के समक्ष कठिन चुनौतियां पेश करते हैं क्योंकि इन अपराधों को अंजाम देने के लिए अपराधी न केवल अपने देश की किसी भी सीमा का बल्कि विश्व के किसी भी देश में बैठकर अपराध कर सकता है जिसको रोकने के लिए पुलिस का पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना नितान्त आवश्यक है। इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देने में परिपक्व व्यक्ति के साथ-साथ कम उम्र के युवा भी संलग्न पाये जाते हैं जो निश्चित रूप से समाज के लिए चिंतनीय विषय है। अपराधों के आंकडों का विश्लेषण करने पर तथा उपलब्ध साहित्य तथा रिपोर्ट का विश्लेषण करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि अपराधों के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं बल्कि अनेक कारण हैं जो समाज में अपराध की समस्या को और अधिक विकराल बनाते हैं। अपराध के आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अपराधों को रोकने क लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जाने की त्वरित आवश्यकता है जिससे कि समस्या को मूल रूप से समाप्त किया जा सके। अपराध घटित होने पर पुलिस विभाग एवं सरकार के द्वारा प्रयास किये जाएं जिससे कि पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय मिले तथा समाज में भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर नियन्त्रण बनाया जाये।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपराध की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये सुझाव निश्चित रूप से पुलिस की कार्यक्षमता को प्रभावी बनाने तथा नीति निर्माण के स्तर पर क्या-क्या कदम उठाए जाएं जिससे कि समस्या का समाधान सकारात्मक दिशा में बढ़ सके, पर प्रकाश डालते हैं।

अपराधों पर नियन्त्रण लगाने के लिए पूरे देश में थानों, जिलों तथा राज्यों के मध्य अपराध एवं अपराधियों की सूचनाओं का ऑनलाइन रियल टाइम संकलन एवं

आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अपराधों को उचित आंकड़ा उपलब्ध रहे। वर्तमान में जहां अपराधी अपराधों को अंजाम देने तथा स्वयं को पुलिस की गिरफ्त से बचाये रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं वहीं पुलिस एवं अन्य सरकारी तन्त्रों के पास अपराध एवं अपराधियों से सम्बन्धित ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ही नहीं है इसी का परिणाम है कि राज्यों में अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बचे रहते हैं। अपराधी अपने संचार के साधनों के रूप में साधारण संचार के तकनीक का प्रयोग न करके इंटरनेट काल के माध्यम से अपना संचार करते हैं जिससे पुलिस के लिए पता लगा पाना निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। जिसके पणिाम स्वरूप अपराधी काफी समय तक पुलिस की गिरफ्त से बचे रहते हैं। अपराध के त्वरित संकलन (रियल टाइम रिपोर्टिंग) व्यवस्था का प्रयोग दूसरे छोटे देश भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सिंगापुर जो संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा देश है या हमारे किसी बड़े शहर जैसा देश है वहां अपराध एवं आपराधिक क्षेत्र की स्थिति के आधार पर संसाधन उपलब्ध करवाये जाते हैं। भारत इन स्थितियों के आधार पर अन्य अनेक देशों से काफी पीछे है इसलिए इस क्षेत्र में नितान्त सुधार की आवश्यकता है।

अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस के शारिरिक श्रम एवं अनुसंधान तथा अभियोजना कार्य को अलग-अलग करना आवश्यक है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस संगठन में दो तरह की योग्यता, भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यवस्था लागू करनी चाहिए। पहली, शारीरिक श्रम के कार्यों जैसे सुरक्षा एवं वी.आई.पी. ड्यूटी, गश्त, यातायात संचालन हेतु अलग कार्मिकों की भर्ती तथा प्रबन्धन व संचालन तथा दूसरे कर्तव्यों जैसे अनुसंधान कार्य, अपराध निरोधक कार्य, अभियोजन में सहयोग, अभियोजन दस्तावेज तैयार करने, कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों की सूचना के संकलन एवं आदान-प्रदान, प्रशिक्षण आदि कार्य के लिए भर्ती पुलिस कार्मिकों के एम.बी.ए. आदि प्रोफेशनल कोर्स की तरह पुलिस कार्य में कम से कम दो वर्षीय विशेष कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात ही भर्ती होनी चाहिए तथा व्यावहारिक पुलिस प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार भर्ती के परिणाम स्वरूप विशेष व्यक्ति पुलिस सेवा में आ सकेंगे जो विभागीय कार्यों को प्रभावशीलता से साथ कर सकेंगे। शिक्षण संस्थानों में विशेष कोर्सों को लागू करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।

अपराधों के आंकड़ों के अनुपात में ही पुलिस बल की संख्या होनी चाहिए परन्तु भारत में यह अनुपात उचित नहीं है। यह संख्या अपराधों के आंकड़ों के अनुपात में वह स्वीकृत पदों से कहीं कम हैं। यह संख्या किसी एक या दो पदों पर ही नहीं बल्कि अधिकतर पदों पर इसको देखा जा सकता है। भारत में पुलिस बल का सबसे बड़ा दस्ता उत्तर प्रदेश राज्य में है। रिक्त पद किसी विशेष राज्य में ही नहीं बल्कि अधिकतर राज्यों में यही स्थिति पायी जाती है। केन्द्र शासित प्रदेशों में भी कमोवेश यही स्थिति पायी जाती है। दमन एवं द्विव ऐसे केन्द्र शासित प्रदेश हैं जहां पर स्वीकृत पदों के अनुरूप ही पुलिस बल उपलब्ध है।

साइबर अपराधों को रोकने हेतु तकनीक कुशल व्यक्तियों की भर्ती को वरीयता दी जाय तथा साथ ही पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों को तकनीकी रूप से पूर्णत: प्रशिक्षित किया जाये जिसके अपरान्त वे साइबर अपराधों को रोकने एवं उनकी जांच पड़ताल कर सकेंगे। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित न होने के कारण पुलिसकर्मी साइबर क्राइम की प्रकृति को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को न्याय मिलने में कठिनाई होती है। इसलिए व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा लोगों में न्याय के प्रति आस्था पैदा करने के लिए सी.जे.एस. न्यायिक व्यवस्था की शुरूआत होनी चाहिए।

वर्तमान में पुलिस संगठन में एक ओर प्रवृति देखने में आ रही है कि पुलिसकर्मी विभिन्न कारणों से पुलिस विभाग की नौकरी से त्याग पत्र दे रहे हैं ये तथ्य निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं यद्यपि यह स्थिति अन्य विभागों में भी पायी जाती है, परन्तु जब पुलिस विभाग की बात आती है तो स्थिति थोड़ी

भिन्न होती है क्योंकि यह वह विभाग है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है तथा इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नौकरी से त्यागपत्र देने के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक। इन्हीं कारणों में एक कारण हो सकता है स्वयं के आदर्शों एवं विभागीय वास्तविकताओं में बड़ा अन्तर। यही अन्तर त्यागपत्र देने के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है वर्तमान में इन्हीं वास्तविकताओं में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि विभाग में आने वाले पुलिसकर्मी स्वयं को आरामदायक स्थिति में महसूस कर सकें तथा विभाग को मन से अपनाकर विभागीय दायित्वों का पूर्णता के साथ निर्वाह कर सकें। विभागीय स्तर पर इस दिशा में कदम उठाये जायें जिससे कि किसी भी नवआगन्तुक के लिए इन दोनों के मध्य सामंजस्य बैठाना सरल कार्य बन जाये।

महिलाओं की संख्या भी पुलिस संगठन में पुरुषों की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा महिलाओं को पुलिस एवं अन्य सैन्य बलों में आगे लाने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा रहा है जो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक होगा। दूसरा इसका एक पक्ष यह है कि यदि महिलाऐं पुलिस विभाग मे अधिक होंगी तो पीड़ित महिला अपनी समस्या को लेकर निश्चित रूप से आगे आयेंगी। वर्तमान में देखा जाता है कि पीड़िताऐं अपराध घटित होने के पश्चात पुलिस स्टेशनों पर जाने से बचना चाहती हैं यद्यपि इसके अनेक कारण हैं परन्तु महत्वपूर्ण कारण है कि पुलिस स्टेशनों में अधिकतर पुरुष कर्मी ही पाये जाते हैं। यदि महिलाऐं भी पुलिस स्टेशनों में कार्यरत होंगी तो पीड़ित महिलाऐं अपनी समस्या को दर्ज कराने के लिए आगे आयेंगी जिससे वे अपेक्षित न्याय प्राप्त कर सकेंगी।

पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि परिवादियों की शिकायत पायी जाती है कि पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। पुलिस अधिकारियों को इसमें सजग रहने की आवश्यकता है जिससे कि वे नीचे के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों पर नियन्त्रण रख सकें। इसके उपरान्त भी यदि इस प्रकार की शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों को मिलती हैं तो निश्चित रूप से ऐसे पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

अनुसंधान स्थिति पर दृष्टि डालें तो न्यायालयों से अभियुक्तों के बरी होने के प्रमुख कारणों में से दोषपूर्ण अनुसंधान मुख्य कारण है। भारत में अनुसंधान अधिकारियों के अधिवक्ता पद भी अधिकतर रिक्त पाये जाते हैं। दूसरी ओर अधिकतर अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान प्रक्रिया में मजबूत एवं प्रशिक्षित नहीं हैं। वर्तमान में अपराधों को अंजाम देने के लिए अपराधियों के द्वारा विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जबकि दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक से किये गये अपराधों, साइबार क्राइम, नारकोटिक सब्सटेन्स के अपराधों एवं जालसाजी तथा संगीन अपराधों के अन्वेषण में हमारी वर्तमान पुलिस पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं पारंगत नहीं है, फलस्वरूप अपेक्षित साक्ष्य एकत्रित करने एवं अनुसंधान प्रक्रिया के पालन मे बाधा पहुंचती है। यह असशक्तता अपराधियों के बच निकलने में सहायक सिद्ध होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायें तथा आधुनिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करते हुए उनको पारंगत किया जाये।

अपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि पुलिस की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार संख्यात्मक पुलिस बल उपलब्ध होना आवश्यक है। कार्य के अनुरूप यदि पुलिसकर्मियों की संख्या होगी तो निश्चित रूप से वह पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करेगी तथा कार्य करते समय उनके मनोबल को सबल बनायेगी। सभी सरकारों को इस तरफ ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है जो पद पुलिस विभाग में रिक्त हैं उनको तुरन्त भरा जाये तथा बढ़ते अपराधों की संख्या को देखते हुए नवीन पद स्वीकृत किये जायें। आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की उपस्थिति निश्चित रूप से अपराधों को नियन्त्रित करने तथा समाज में कानून व्यवस्था बनाये रखने में भी सहायक सिद्ध होगी।

पुलिस बल में सुधार के लिए प्रयास तो अवश्य हुए हैं परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाये। इन सभी प्रयासों के क्रम में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी भी दिखलायी देती है। समितियों एवं आयोगों के द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर सुधार के लिए सार्थक सुझावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है परन्तु सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ये सुझाव स्वीकृत नहीं हो पाये। पुलिस सुधार के लिए गठित आयोग के चेयरमैन रहे जस्टिस वी.एस.मलिमथ ने अपने एक साक्षात्कार (03.11.2016 पत्रिका समाचार पत्र, भोपाल) में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बनने वाली सरकारों ने उनके सुझावों को दबा दिया। सरकार के द्वारा फरियादी की जान माल की सुरक्षा के लिए न्यायालय एवं पुलिस एजेन्सियां बनाई गयी है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह अपराध रोके। वर्तमान में अपराधी पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। इस कारण पूरे भारत में सजा का प्रतिशत 20 से 25 प्रतिशत रह गया है। पुलिस और कानून का खोफ तभी सम्भव होगा जब सर्वाधिक संख्या में अपराधी को सजा मिले। अपराधी कमजोर व्यवस्था का लाभ उठा रह हैं जांच और कानून व्यवस्था की ऐजेन्सियों को अलग-अलग करना चाहिए। जांच को आधुनिक तरीके से करने के लिए फोरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पुलिस की भूमिका को प्रभावी एवं सारगर्भित बनाने के लिए सरकार की ओर से निश्चित रूप से सार्थक प्रयास किय जाने चाहिए जो इस दिशा में सफल परिणम दे सकें जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का विश्वास भी राज्य के प्रति बना रहे।

उपरोक्त आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अपराधों को रोकने, जांच पड़ताल करने तथा कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक प्रभावी संगठन पुलिस संगठन की आवश्यकता है। पुलिस संगठन को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्तर के साथ-साथ सरकारी स्तर पर निश्चित रूप से प्रभावी कदम उठाये जायें तथा सरकारों के द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए समय समय पर आये सुझावों को लागू किया जाना चाहिए। यद्यपि समय-समय पर सरकारों के द्वारा पुलिस सुधारों हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं परन्तु इन सुधारों में अधिक गति बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में भी सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है जिससे सामान्य जनता भी पुलिस के कार्यों में सहयोग कर पायेगी तथा पुलिस भी जनता का विश्वास जीतने में सफल होगी। उपरोक्त सुझावों का वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपनाने की नितान्त आवश्यकता है जिससे कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो सकें तथा नागरिकों का राज्य के प्रति विश्वास ओर मजबूत हो।

सन्दर्भ सूची

- 'भारत में अपराध' राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, 2014
- अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र, मेरठ संस्करण, उत्तर प्रदेश, 2015
- पत्रिका दैनिक समाचार पत्र, अनुपपुर संस्करण, मध्य प्रदेश, 2015
- आहूजा, राम एवं आहूजा मुकेश (2011) 'अपराध शास्त्र' रावत प्रकाशन, जयपुर
- आहूजा, राम (1987) 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध', रावत प्रकाशन, जयपुर
- यादव, विमलेश, (2002) 'अपराधों की रोकथाम में महिला पुलिस की भूमिका', सृजक प्रकाशक, गाजियाबाद
- शर्मा, ब्रजमोहन, (1989) 'भारतीय पुलिस', पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- शाह, गिरिराज, (1998) 'पुलिस अपराधी और पुलिस', हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर
- भूषण पी.एस., (1998) 'पुलिस और समाज' मनीषा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
- चतुर्वेदी, मुरलीधर, (1982) 'अपराध-शास्त्र एवं अपराध प्रशासन', इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद

- Krishna, K.P. and Singh, D.P., (1982) 'Victims of Crime' in Social Change, September, Vol. 12, No.3, pp 48-58.
- Bloch, Herbert A and Geis Gilbert, (1970) (2nd Ed.) 'Man Crime & Society' Routedge & Kegan Paul, London.
- Fitzgerald Mike, Mclennam Gregor, Powson Jennie, (1981), 'Crime and Society' Routledge & Kegan Paul, London.
- Casay Eoghan, (2000) 'Digital evidence and computer crime', Academic Press, Cambridge (U.K.).
- Denning Dorothy and Denning Petr, J. (1998) 'Internet Besieged: Countering Cyberspace Scofflaws', Addison Wesley, USA,.
- Dudeja, V.D., (2003) 'Crime in Cyber Space - Scams and Frauds' Commonwealth,.
- Middleton, Bruce, (2002) "Cyber Crime Investigator's Field Guide,.
- Mishra, R.C. (2002) 'Cyber Crime - Impact in the new Millenium' Authors Press,.
- Neumann, Peter G, (1995) 'Computer Related Risks, Addision Wesley', USA.

भारत में नक्सलवादी समस्या, उनकी रणनीति और योजना तथा निरोधी उपाय

डा० एस.पी.सिंह
मुरादाबाद (उ.प्र.)

भारत में नक्सलवाद आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है तथा सरकार के लिए एक गम्भीर चुनौती है। वह न तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और ना ही संवैधानिक व्यवस्था को स्वीकार करते हैं उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि वह अत्याधिक हिंसा और भय फैलाकर संसदीय प्रणाली को समाप्त कर अपनी तानाशाही व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मई 2013 में नक्सलवादियों के द्वारा कांग्रेस के काफिले पर आक्रमण कर 28 लोगों की हत्या करना और 31 को घायल कर देना राज्य के कांग्रेस के नेतृत्व का एक सफाया कर देना यह स्पष्ट कर देता है कि नक्सली भारतीय लोकतंत्र, संविधान और विधि व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। नक्सलियों का यह हमला उनकी ताकत, हौंसला तथा खतरनाक इरादों को दर्शाता है।

आज समाज का एक वर्ग नक्सली विचार धारा से प्रभावित हो चुका है तथा उनकी इस विचार धारा से कई क्षेत्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उनका प्रभाव-क्षेत्र देश के विभिन्न राज्यों तक फैल चुका है लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से तथा सुरक्षा बलों के दबाव से नक्सली हिंसा में न केवल कभी आई है बल्कि उनका एरिया ऑफ आपरेशन भी घटा है। नक्सलियों की भर्ती में कमी आई है क्योंकि 39 सेन्ट्रल कमेटी मेम्बरों में से सिर्फ 20 बचे हैं और वह भी छोड़कर भाग रहे हैं। 16 पोकेट ब्यूरो मेम्बर में से 2 मारे गये तथा 7 गिरफ्तार कर लिए गये। वहां पर लीडरशिप की कमी है तथा हथियारों की कमी है। अब केन्द्रीय नक्सली नेतृत्व दण्ड करन्या के जंगलों में छिपने को मजबूर है तथा वैचारिक स्तर पर कार्यकर्ताओं का नया जनाधार बनाने की कोशिश कर रहा है।

नक्सलवाद कोई नई समस्या नहीं है 1967 में पश्चिमी बंगाल के नक्सलवाणी नामक गांव से (जिला दार्जिलिंग पं0ब0) जब हिंसक वांमपथी विचारधारा पर आधारित यह आन्दोलन शुरू किया तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यह आन्दोलन आन्तरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जायेगा। नक्सली हिंसा के बल पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं अधिकांश नक्सली इन क्षेत्रों में रहने वाले आदविासी हैं। प्रारम्भ में यह आन्दोलन आदिवासियों की वन सम्पदा सम्बन्धी अधिकारों की लड़ाई के रूप में था लेकिन धीरे-धीरे इसने राष्ट्र विरोधी स्वरूप ग्रहण कर लिया।

आजकल नक्सली न केवल वन और खनिज सम्पदा पर काविज है बल्कि हर तरह की आपराधिक गतिविधयों में लिप्त है नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारुद जमा कर लिया है इसमे सुरक्षा बलों से लूटे गये हथियार के साथ साथ दूसरे देशों से चोरी छिपे हासिल हथियार और उपकरण भी है। नक्सलियों को न केवल विदेशी समर्थन मिल रहा है बल्कि देश के भीतर में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग उसकी गतिविधियों को सही ठहराने में लगे हैं।

स्थानीय लोगों के दिलों में नक्सलियों के प्रति सम्मान है। नक्सलियों का अपना कोई हित नहीं है वे एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका आन्दोलन न तो कोई पृथकतावादी आन्दोलन उल्फा (ULFA) और बोडो (BODO) की तरह है और ना ही जाति, धर्म, अर्थपरक परन्तु यह सच है कि नक्सली संगठनों को प्रथकता वादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

नक्सलवाद वर्ग विषमता व अन्याय के विरूद्ध है यह किसानों भूमिहीनो श्रीमिकों के पक्षधर है खासतौर पर उनका शोषण जमीदार, महाजन, नेता और नोकरशाही करती है। इसलिए नक्सलवादी विचारधारा एक भ्रष्ट अनैतिक और अनाचारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए भेदभाव रहित समाज बनाने का स्वप्न सजाए है परमाणु युग में क्रांति का सपना देख रहे है और हिंसा को ही वास्तविक

विकल्प बता रहे हैं। नक्सली जानते हैं कि बन्दूक के दम पर जीने वाला बन्दूक से ही मरता है। तभी वे निर्दोष बच्चों और औरतों को ढाल बनाते हैं।

नक्सलवादी समानान्तर सरकार चला रहे हैं उन्होंने अपना तंत्र खड़ा कर लिया है अपने प्रभाव वाले इलाको में नक्सली जन अदालत लगाते हैं, कर वसूलते हैं, लोगों को सुरक्षा मोहइया कराते हैं। नक्सलवदी नेता तीन बातों से प्रेरित होते हैं-

1. मुक्त इलाके का निर्माण करो।
2. गांव से शहरों को घेरो।
3. सत्ता बन्दूक की नली से निकलती है (हिंसा के द्वारा सत्ता प्राप्त करो) और इसी लक्ष्य को लेकर वह अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं तथा सुरक्षा बलों पर निम्नलिखित निरन्तर हमले इसकी पुष्टि करते हैं।

दिसम्बर 1, 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के चिंता गुफा क्षेत्र में नक्सली हमले में सी.आर.पी.एफ. के 14 जवान शहीद हो गये जिसमें सी.आर.पी.एफ. के डिप्टी कमान्डेन्ट और असिस्टेन्ट कामन्डेट भी शामिल है। 12 जवान भी घायल हुए थे। नक्सलियों ने गांव वालों को ढाल बनाकर हमला किया जब सी.आर.पी.एफ के कोबरा जवान जंगल में सर्च आपरेशन के बाद लौट रहे थे।

1. दिनांक 11.04.15 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने घात लगाकर एस.टी. एफ. पर हमला किया जिसमें 7 जवान मारे गये और 10 घायल हो गये। पहले बारूदी सुरंग में विस्फोट किया फिर तावड़ तोड फायरिंग की। जवान दोरना पाल के जंगल में काम्बिग कर रहे थे।
2. दिनांक 12.04.2015 को कॉकेर में नक्सलियों ने 17 ट्रकों को जिनका खदान में प्रयोग हो रहा था आग के हवाले कर दियां इसमें करीब 5 करोड का नुकसान हुआ।
3. दिनांक 13.04.15 को नक्सलियों ने दन्तेवाडा में आई.ई.डी. द्वारा छत्तीसगढ सशस्त्र बल की एक गाडी को उडा दिया जिसमें 5 जवान मारे गये और 7 घायल हुए। दिनांक 12.04. 15 को ही नक्सलियों ने सीमा सुरक्षा बल की एक टूकडी पर कॉकेर जिले में हमला किया जिसमें एक जवान शहीद हो गया कुल मिलाकर 13 जवान शहीद हो गये।
5. दिनांक 27.01.2016 को नक्सलियों ने पलामू जिले में पेट्रोलियम से लौट रही हुसैनावाद थाने के पुलिस वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया। जिसमें 7 जवान शहीद हो गये और 6 अन्य घायल हो गये। विस्फोट के बाद नक्सलियों ने फायरिंग भी की थी। घायल जवानों ने भी फायरिंग की।
6. दिनांक 30.03.2016 को छतीसगढ़ के दंतेवाडा जिले में नक्सलियों ने पुलिया के नीचे बारूदी सुरंग बिछाकर सी.आर.पी.एफ. जवानों को लेकर जा रहे मिनी ट्रक को शक्तिशाली विस्फोट से उड़ा दिया जिसमें 7 जवान शहीद हो गये। विस्फोट से सड़क पर गहरा गड्डा बन गया। 100 मीटर तक शव क्षत विक्षप्त पड़े थे। मिनी ट्रक के परखर्चे उड़ गये।
7. दिनांक 18.07.2016 को बिहार राज्य की सीमा पर डूमरीनाला के पास नक्सलियों द्वारा किये गये सीरियल आई.ई.डी विस्फोट में सी.आर.पी.एफ. की कोबरा बटालियन के 9 कमान्डो शहीद हो गये और 3 गम्भीर रूप से घायल हो गये।

उपरोक्त नक्सलवादी घटनायें यह संकेत देने के लिए काफी है कि समस्या पेचीदा है, मुश्किल है और गम्भीर है क्योंकि नक्सलवादी ग्रुप किसी भी सूरत में हथियार डालने, हिंसा त्यागने तथा मेज पर सरकार से बातचीत करने को तैयार नहीं है।

नकसलवादी समस्या के कारण

इस मामले में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों की अपनी पृष्ठभूमि है इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी है तथा जनजाति बहुल इलाके में काफी सघन वन है। इन जिलों में प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ

जिसमें कोयला, लोहा, वाक्साइट अयस्क आदि शामिल है उपलब्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र राजनैतिक सत्ता की पहुंच से दूर है और इनका आकार बड़ा है। बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र 2 या 3 राज्यों की सीमावर्ती इलाकों में स्थित है इसके अलावा नक्सलवाद के लिए निम्नलिखित मसले भी जिम्मेदार है।

1. वन नौकरशाही इन जनजातिय लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करती है। क्योंकि राज्य दर राज्य से लोग आत जाते रहते हैं।
2. पिछले पांच दशको में बड़े पैमाने पर इन्हें खनन और सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित होना पड़ा है। बड़े पैमाने पर इन लोगों का पुनर्वास शेष है। खराब बात यह है कि बार बार विस्थापन का दंश इन्हीं को झेलना पड़ रहा है।
3. सरकार गरीबों की मानवीय गरिमा और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसी परिणाम स्वरुप हिंसा को फैलाने के लिए अनुकूल जमीन तैयार हुई। जिसने सामाजिक कल्याण के नाम पर नक्सलियों को मुखर होने का मौका दिया। इसी का जामा पहनकर नक्सलियों ने गुरिल्ला लड़ाई का आधार तैयार किया, लोगों की भर्तियां की, महिलाओं और बच्चों को भी शामिल किया।
4. नक्सलवादियों के विस्तार और प्रभाव में वृद्धि के कारण घरेलू वजह भी जिम्मेदार है जिनमें जनजातियों में व्याप्त असंतोष तथा उनके साथ भेदभाव और विस्थापन मुख्य है।
5. राजनैतिक व्यक्तियों ने जहां स्वाभाविक सियासी भूमिका छोडी वहीं माओवादियों ने खाली स्थान भरने का प्रयास किया।
6. विकास कार्यों व खदानों में औद्योगिकी घरानों की लूट ठेकेदारी और अफसरों का सामंती चरित्र गरीब युवकों को नक्सली पक्ष से जोड़ता है।
7. गरीब बनवासी कप्तान और कलक्टर से न्याय नहीं पाते।
8. राजनैतिक तंत्र ने गरीबों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की। राजतैतिक दलतंत्र से उनका भरोसा उठा।
9. जनतंत्री संस्थाओं ने उन्हें कुछ नहीं दिया न रोटी, न रोजगार, न शिक्षा और ना ही सुरक्षा। हिंसक नक्सलियों ने इसी का लाभ उठाया। नक्सली हिंसा और आंतरकि अशांति को चुनौती इसी दल तंत्र, पूंजीतंत्र ठेकेदारी और सरकारी तंत्र के कारनामों का फल है। यह भारतीय शासन की असफलता का विस्फोट है।
10. नक्सलवाद का फलना फूलना गवर्नेन्स एक्ट ग्रास रुट स्तर पर चूक है।
11. बढ़ता हुआ प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
12. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी।
13. न्याय पालिका को भी साफ, पारदर्शी, निष्पक्ष न होना तथा भ्रष्टाचार से मुक्त न होना।
14. चुनावी सुधारों की कमी।
15. देहाती क्षेत्रों में सड़को, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों तथा शिक्षा की बुरी दशा।
16. सामाजिक न्याय की जरूरत।

नक्सलवादी योजना एवं रणनीति

1. नक्सलियों ने बड़े शहरों में वारदात करने की योजना बनाई है और वह अपने कार्यकर्ताओं नेताओं और कमान्डरों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों व कस्वों में भेजने एवं स्थापित करने का प्लान किया है जिससे कि वह अपने कैडर को शहरों में वारदात करने तथा सुरक्षा बलों के खिलाफ आक्रमण करने के लिए दिशा निर्देश दे सके। उदाहरण- दिनांक 15.09.16 को यू0पी0 ए.टी.एस. ने सैक्टर 49 स्थित हिन्डन विहार के एक फ्लैट में छिपे

6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया तथा उससे हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किये। उनका इरादा एन.सी.आर. क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अन्जाम देना था, नोएडा को फन्डिंग बेस बनाना था क्योंकि यहां धनवान लोग रहते हैं। धनाज्यों का अपहरण कर फिरौती वसूलना, बैंक लूटना, पश्चिम यू0पी0 में संगठन में युवाओं को जोड़कर मजबूत करना था।

2. नक्सलवादियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों से मित्रता बढ़ाने की योजना बनाई है जिससे कि उनसे हथियार, गोलाबारुद प्राप्त कर सके और उन्हे नक्सलियों को आगे भेज सके।
3. नक्सलवादियों ने औद्योगिक अशान्ति पैदा करने की योजना बनाई है।
4. नक्सलवादियों ने मुख्य उद्योगों जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्यूनिकेशन (दूरसंचार), रेलवेज, पोर्टस (बन्दरगाह) पावर, आयल और गैस घुसपेंठ करने की योजना बनाई है। जो आन्दोलन या क्रान्ति की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
5. नक्सलवादियों ने राजनैतिक पार्टियों की ट्रेड यूनियनों में घुसपेंठ करने की योजना बनाई है।
6. नक्सलवादियों ने अपना शहरी कैडर बेस बनाने की योजना बनाई है। जिससे कि देहाती क्षेत्रों पर चल रहे सशस्त्र आपरेशन में मदद की जा सके।
7. नक्सलवादियों ने अपने समर्थकों का नेटवर्क बनाने की योजना बनाई है। जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों की कानून के जानने वालों से मदद ले सकें।
8. नक्सलवादयिों की योजना पहले देहाती क्षेत्रों पर कब्जा करने की है फिर उसके बाद आस पास के क्षेत्रों को घेरकर कब्जा करने की है और ऐसी स्थिति पैदा करनी है जिससे कि सरकार मजबूर होकर सत्ता त्याग दे या छोड़ दे या परिवर्तन के लिए तैयार हो जाये।
9. नक्सलवादियों ने अपने आन्दोलन का विस्तार शहरों व कस्बों तक करने की योजना बनाई है खास तौर से उन शहरों में जहां पर उद्योग है। उत्तर प्रदेश में कानपुर को इसी दृष्टि की वजह से Nerve Centre चुना है।
10. नक्सलवादियों ने राजधानी में और इसके पड़ोसी राज्यों में वृहद स्तर पर नक्सली भर्ती करने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्होंने शिक्षित नौजवानों पर ध्यान केन्द्रित किया है।
11. नक्सलवादियों की योजना है कि बहुत सोच समझकर लक्ष्य चुनने है और उसके बाद अपहरण करना है अपहरण करते वक्त सीनियर लीडर्स का Involvement जरुरी है। अपहरण किए गए व्यक्ति को बहुत लम्बे समय तक बन्धक बनाकर नहीं रखना है। यदि सरकार उनकी मांगों को तुरन्त स्वीकार करने में विलम्ब करती है तब बन्धकों को तुरन्त मार देना है। बन्धकों को मारने के पश्चात उस क्षेत्र को तुरन्त छोड़ दें।
12. नक्सलवादियों ने यह भी निर्णय लिया है कि भविष्य में कोई भी मध्यस्थ उनकी तरफ से बातचीत करने के लिए न चुना जाये। उनका मानना है कि जो भी उनकी तरफ से मध्यस्तता करता है वह मशहूर हो जाता है।
13. नक्सलियों नेतृत्व ने अपने कैडर को सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूटने तथा गोला बारूद के इन्तजाम में लग जाने को कहा है इस योजना में सुरक्षा कर्मियों की हत्या के साथ साथ उन्हें अगवा करने की योजना पर भी काम करना है।
14. नक्सलवादियों ने सब अरवन एरियाज में निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों के बीच प्रचारकों

को रखने/स्थापित करने का निर्णय लिया है जिससे कि वह लोगों की परेशानियों को उग्र आन्दोलन में बदल सके।

15. नक्सलवादियों ने सरकारी कर्मचारियों और पुराने नक्सलियों को अपने पक्ष में करने का और उन्हें सक्रिय करने का फैसला किया है।
16. नक्सलवादियों ने अपने कैडर को ट्रेनिंग देने के लिए एक्स सर्विसमैन की मदद लेने का निर्णय लिया है जिससे कि वह सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रभावी तरीके से लड़ सके।
17. नक्सलवादियों ने देहाती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर सफल आक्रमण के लिए होमग्रोन एक्सपर्टाइज जैसे कोरियर्स, आमने सामने सम्पर्क और चिठ्ठियों का इस्तेमाल की हिदायत दी है।
18. नक्सलवादियों ने अपने कैडर को ऐसे तरीके विकसित करने की हिदायत दी है जिससे कि दुश्मन नक्सलियों के खिलाफ लोगों से किसी किस्म मदद या समर्थन हासिल न कर सके।
19. नक्सलियों ने प्रत्येक परिवार को अपने एक बच्चे को संगठन में कार्य करने के लिए कहा है, मजबूर किया है।
20. माओवादी बच्चों को/लड़कियों को कुछ रुपये देकर या खाना कपड़ा देकर जसदस्ती अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं।
21. माओवादी नाबालिक बच्चों व लड़कियों को सबसे आगे रखकर सुरक्षा बलों से लड़ाई लड़ते हैं जिससे कि अगर किसी बच्चे या महिला सदस्य की सुरक्षा बलों के हाथों यदि मौत हो जाये तो उसे सुरक्षा बलों के खिलाफ Propoganda और Publicity के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे सुरक्षा बलों के साथ फायरिंग के दौरान नक्सलियों को कवर करने का जिम्मा सौंपा जाता है। तीसरे आमतौर पर सुरक्षा बल महिलाओं पर तुरन्त गोली नहीं चलाते इसलिए नक्सली इन्हें हमले के दौरान रणनीति के तहत आगे रखते हैं।
22. नक्सलियों द्वारा अपने महिला कैडर का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर सूचना एकत्र करने के लिए किया जाता है जिसमें उन्हें सफलता भी मिलती है और सुरक्षित भी रहते हैं, साथ ही सुरक्षा बलों के कब्जे वाले स्थानों में महिला नक्सलियों की आवाजाही अपेक्षा कृत आसान रहती है। सुरक्षा बलों के लिए संदिग्ध महिलाओं को संदेह के आधार पर पकड़ना मुश्किल है क्योंकि महिला जवानों की उनके पास कमी है।
23. नक्सल बच्चों को जासूस के रूप में Soldiers and Human Shield के रूप में सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उनको घातक हथियारों व अघातक हथियारों व बारुदी सुरंग बिछाने की ट्रेनिंग देते है। जिससे कि सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।
24. नक्सलवादियों ने सड़कों के निर्माण के वक्त घातक विस्फोटक (Heavy IED'S) प्लान्ट करने की रणनीति अपनाई है। सामान्य आदमियों को सड़क सामान्य दिखती है लेकिन जब नक्सली ब्लास्ट करना चाहते हैं तब वे तारों को जोड़ देते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं। इस रणनीति के तहत बीजापुर जिले में 8 सी.आर.पी.एफ. के जवान मारे गये यह स्थिति बहुत खतरनाक है।
25. नक्सलियों ने उन्हें रेल व रोड लिंक को जो सुरक्षा बलों द्वारा आपरेशन चलाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किये जाते हैं उन्हें आक्रमण कर बर्बाद करने का निश्चय किया है।
26. नक्सलियों ने उन लोगों पर आक्रमण करने का फैसला किया है जो सुरक्षा बलों को

समर्थन देते हैं।

27. नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों के उन केन्द्रों को जहां से आपरेशन्स की योजना बनाई जाती है उन पर आक्रमण करने/मारने का फैसला किया है।
28. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के आधार शिविरो को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया है। दुश्मन का पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया जाये इसमें उस समय की स्थिति तथा अपने लाभ का भी ध्यान रखा जाये।
29. मारो और भागो की रणनीति का बड़ी चतुराई से प्रयोग किया जाये।
30. उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादियों व कश्मीरी अलगाववादियों का पूर्ण समर्थन किया जाये जिससे कि सरकार के खिलाफ लड़ाई में एक United Front बनाया जा सके।
31. सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई तेज की जाये तथा इसका विस्तार किया जाये।
32. माओवादियों ने Urban Gurilla Force खड़ी करने का निश्चय किया जिससे कि जिसको मारना है उसे आसानी से मारा जा सके।
33. नक्सलियों ने बड़े-बड़े व्यापारियों, रेल, कोयला, पत्थर के ठेकेदारों, पूंजीपतियों, खदान कंपनियों से लेवी के रूप में धन वसूलने का निणर्य किया है और वे वसूल भी रहे हैं उन्होंने बैंको को भी लूटने का निणर्य किया है।
34. नक्सलियों ने अत्याधुनिक विदेशी हथियार खरीदने का निर्णय किया है।
35. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई में कई मोर्चों पर व्यस्त रखने का फैसला किया है जिससे कि वह अपनी सामर्थ्य, शक्ति व साहस का प्रदर्शन सिद्ध कर सके।
36. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ छोटे Ambushes के बजाय बड़े Ambushes लगाने का फैसला किया है जिससे ज्यादा लोग हताहत हो और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे।
37. नक्सलियों ने अपने साथियों को जेल से छुडाने के लिए हर तरीके हथकन्डे अपनाने के लिए निर्देश दिए हैं।
38. नक्सलवादी अब ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां नक्सलवादी हमले होने की आशंका न होने की वजह से सतर्कता न बरती जाती है। उनका मकसद चौंकाने वाले हमले करके आतंक को बनाए रखना है।
39. अब तो नौकरशाह और नेता निशाने पर है जो मिलकर नीति बनाते हैं और उसे अमली जामा पहनाते हैं नक्सली मानते हैं कि अगर इन दोनों पर हमले हो तो व्यवस्था चरमरा जायेगी और स्थिति बहुत बिगडेगी। इसलिए नक्सलवाद अन्य समस्याओं के मुकाबले देश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है।
40. यहां जाल बिछाया जाता है, घात लगाकर हमले होते हैं स्थानीय लोगों का समर्थन जीता जाता है और फिर सभी का इस्तेमाल योग्यतानुसार किया जाता है।

नक्सलवाद की समस्या से निपटने के उपाय

यदि नक्सवाद से निपटना है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकृतियों को उखाड़ फैंकना होगा जिन्होंने 1960 के दशक से जन्म दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंतोष है उसे दूर करने के लिए प्रभावशाली और दीर्घकालीन योजना बनानी पडेगी। कार्य करने के तरीके में सरकार और प्रशासन के सभी स्तरों पर नेतृत्व की गंभीरता, तत्परता और मौखिक परिवर्तन लाने होगे तथा नक्सलवाद के बारे में जनता को सजग करना होगा। निम्नलिखित उपाय नक्सलवाद को रोकने में उपयोगी हो सकते हैं।

1. केन्द्र को नक्सलियों से निपटने के लिए

एकीकृत रणनीति बनाने की जरुरत है।

2. आदिवासियों का विश्वास हासिल करने की जरुरत है और विकास करने की जरुरत है।
3. मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति की जरुरत है।
5. आतंकियों/नक्सलियों की आपूर्ति लाइन तोड़ने की जरुरत है।
6. ग्रेटाउन्ड सरीखे बल का गठन कर उन्हें सामरिक रूप से पंगू करने की जरुरत है।
7. आदिवासियों को नक्सलियों के चुगल से मुक्त कराने के लिए निर्धन वंचित आदिवासियों को पर्याप्त मदद देने के साथ साथ रोजगार के ठोस साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
8. आदिवासियों में सुरक्षा, संरक्षा और सुखद भविष्य का धैर्य जगाएं।
9. माओवादी किसी भी सूरत में सहानुभुति के पात्र नहीं है वे दण्डनीय हैं, उन्हें दण्ड देने के लिए सुरक्षा बलों को जरुरी अतिरिक्त विधिक शक्ति देनी चाहिए।
10. नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच तालमेल बिठाना होगा।
11. नक्सलियों के खिलाफ केन्द्रीय बल और प्रदेश पुलिस मिलकर कार्रवाई करे। संयुक्त अभियान में केन्द्रीय बल राज्य पुलिस की मदद करें।
12. नक्सलियों के खिलाफ सख्ती बरतने की जरुरत है उनके आधिपत्य वाले इलाकों में कानून का शासन कायम कर विकास करने की जरुरत है। जमीनी स्तर पर गुड गवर्नेन्स की बुनियाद ठोस करने की जरुरत है।
13. नक्सलियों के गढ़ में गुरिल्ला हमलों की आशंका को ध्यान में रखते हुए सड़कों की ठीक जांच करने की जरुरत है खासतौर से बारुदी सुरंगों और अवरोधों के लिहाज से।
14. नक्सली अक्सर अप्रैल से जुलाई तक बड़े हमलों को अन्जाम देते है इस समय खास ध्यान देने की जरुरत है।
15. नक्सली प्रभावित इलाकों में अमला गुजरने से पहले रोड़ क्लीयरिंग पार्टी चलाई जानी चाहिए। साथ ही साथ गाड़ियां इकठ्ठा न चलकर सुरक्षा दायरे में एकाध किमी0 के अन्तर से चलनी चाहिए।
16. नक्सलवाद से निपटने के लिए संचार तंत्र दुरुस्त करने के साथ व्यापक गश्त सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
17. पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से लैस करें।
18. केन्द्र और राज्यों के बेहतर आपसी संबंधों से नक्सली समस्या सुलझ सकती है।
19. नक्सली इलाकों में आम जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजनैतिक गतिविधियां तेज करने की जरुरत है।
20. नक्सलवादियों से लड़ने के लिए एक सख्त कानून और एक प्रभावी आपराधिक प्रशासनिक प्रणाली की आवयकता है।
21. न्यायिक व्यवस्था को भी काम में तेजी, ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाने की आवश्यकता है।
22. राज्य की पुलिस भौगोलिक स्थिति के अच्छे ज्ञान की वजह से वहां के स्थानीय नागरिकों की भाषा और रीति रिवाज से वाकिफ होने की वजह से नक्सलवादियों से अच्छी तरह निपट सकती है। इसलिए राज्य की पुलिस को मजबूत करने की आवश्यकता है उनको अच्छा नेतृत्व, ट्रेनिंग, हथियार और साजो सम्मान दिलाने की जरुरत है।
23. राज्य के खुफिया विभाग की संचालन क्षमताओं को पुलिस स्टेशन के स्तर तक मजबूत करने की जरूरत हैं जिससे कि वह प्रभावी कार्रवाई कर सके।
24. नक्सलवादियों को जहां से पैसा मिलता है उस स्रोत को बन्द करने और जिस चैनल के

द्वारा हथियार गोला बारुद आता है उसे खत्म करने की आवश्यकता है।

25. नक्सलवादियों के जमीनी प्रभाव वाले एरिया से शीघ्र और विश्वसनीय सूचना इकठ्ठा करने की आवश्यकता है जिससे कि प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिल सके।
26. वैचारिक लड़ाई को प्रमुखता दी जाये तो नक्सलवादी कमजोर हो सकते हैं।
27. झारखंड सरकार के पैटर्न पर नक्सलियों को लुभाने के लिए आत्मसमर्पण नीति की घोषणा करने की जरुरत है। इसके तहत इनाम को परिवार वालों को देने की जरुरत है।
28. नागरिक सुरक्षा समिति बनाने की जरुरत है।
29. नक्सलवादियों के पर्चों या मांग पत्रों में कही गई बातें बेशक उनकी रणनीति का हिस्सा होती हैं लेकिन उनके तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता उन पर विचार करना चाहिए।
30. एक प्रभावी समर्पण और पुनर्वास नीति बनाई जाये।
31. राज्य की पुलिस क्षमता में मानव शक्ति को बढ़ाकर, उन्हें प्रशिक्षण देकर, ढांचागत सुविधायें और अन्य साजो समान उपलब्ध कराकर उसे मजबूत बनाया जाये।
32. हर एक स्तर पर राज्य की पुलिस की समझ बढ़ाना, इसी के साथ सीधी भर्ती से आये जवानों को विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण का अनुभव कराना और ग्रेटाउन्ड के पूरे अधिकार देना।
33. पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर विशेषज्ञ गुप्तचरों और सुरक्षा विग के गठन सहित विशेषीकृत प्रहार दल बनाकर मजबूत संस्थागत मशीनरी खड़ी करना।
34. मजबूत खुफिया नेटवर्क तैयार करना।
35. आपरेशन के प्रत्येक चरण की विस्तृत योजना बनाना।
36. विभिन्न उपायों से पुलिस थानों की सुरक्षा में एक ग्रिड तैयार करना।
37. पुलिस अधिकारियों के प्रत्येक स्तर पर तेजी से प्रमोशन विभागीय कार्रवाई से निश्चिन्तता और उनमें नेतृत्व पैदा करना।